# यथार्थ

## लोंगोवाल समझौता

## राजीव गांधी की राजनीतिक सफलता...

## अर्जुन सिंह की सार्थक पहल

ललित श्रीवास्तव

# यथार्थ...

# यथार्थ

## लोंगोवाल समझौता
## राजीव गांधी की राजनीतिक सफलता
## अर्जुनसिंह की सार्थक पहल

**ललित श्रीवास्तव**

माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय
ACC No.
परिग्रहण सं.
भोपाल

प्रकाशक

**कृति परिचय** *राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक मासिक पत्रिका*
114/3, शिवाजी नगर, भोपाल. दूरभाष : 762626

# यथार्थ

## लोंगोवाल समझौता
## राजीव गांधी की राजनीतिक सफलता
## अर्जुनसिंह की सार्थक पहल

**ललित श्रीवास्तव**

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण
15 अगस्त 2000
मूल्य- 400 रुपये

प्रकाशक

**कृति परिचय** *राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक मासिक पत्रिका*
114/3, शिवाजी नगर, भोपाल. दूरभाष : 762626

आवरण

दीपा-शैलेन्द्र, एडवे दूरभाष : 548060

कम्पोजिंग

**ओम कम्प्यूटर ग्रॉफिक्स**
178, चित्रा कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल. फोन : 762507

मुद्रक

**दृष्टि ऑफसेट**
डॉयनेमिक चेम्बर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल. फोन : 576733

समग्र घटनाक्रम की साक्षी

# श्रीमती सोनिया गांधी को समर्पित

# अपनी बात...

राजीव लोंगोवाल समझौता एक ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेज है। यह कालजयी समझौता राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीतिक सफलता का प्रथम सोपान है, जो राजीव गांधी के चिंतन और समस्या के निराकरण करने में उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतिबिम्ब है। राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री बनते ही इस जटिल समस्या के निदान के गंभीर प्रयास शुरू किये, उन्होंने दृढ़ता से सोचा, समस्या को समझा और इसके समाधान के लिये अर्जुनसिंह को चुना, उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया। अर्जुन सिंह ने इस समझौते की तैयारी और क्रियान्वयन में प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका का निर्वाह करते हुये जलते हुये पंजाब को शांत कर वहां पुनः खुशहाली और लोकतंत्र की बहाली में महत्वपूर्ण योगदान किया। राजीव लोंगोवाल समझौता दो नेताओं के बीच हुई गुप्तवार्ताओं के आधार पर की गयी सहमति ही नहीं था अपितु वो देश के नेता व प्रदेश की जनता के बीच विकसित समझ को रेखांकित करता है। इस समझ को विकसित करने में अर्जुनसिंह की भूमिका निःसंदेह नींव के पत्थर की रही है। लेकिन आज तक राजीव गांधी के इस चिंतन और अर्जुनसिंह की इस सार्थक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इसीलिये यह पुस्तक 'यथार्थ' आपके सम्मुख है।

वैसे तो पंजाब पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं और मैंने उन पुस्तकों का अध्ययन भी किया है और पाया कि पंजाब में अलगाववाद का उदय, आतंकवादियों की दहशत, आनन्दपुर साहब प्रस्ताव, ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इन्दिराजी की हत्या पर अनेक तथ्यपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं लेकिन, समझौता होने के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी समझौता की तह तक पहुंचने के लिये- उसमें निहित अन्तर कथाओं, उसकी पृष्ठभूमि और उन कठिन प्रक्रियाओं का उल्लेख एक साथ कहीं नहीं हुआ है। इस पुस्तक में उन सभी विस्मृत पहलूओं को विस्तार से संकलित कर संजोया गया है। इसलिये इतने लंबे अंतराल के बाद भी "यथार्थ" का प्रकाशन एक आवश्यकता है।

यह सर्वविदित है कि राजीव गांधी ने अपनी मौलिक सूझबूझ, धैर्य, साहस और दृढ़ता के साथ देश में शांति कायम की। चुनाव हुये और कांग्रेस भारी बहुमत से केन्द्र में सत्तासीन हुई। राजीव गांधी पुनः निर्वाचित प्रधान मंत्री बने। राजीव गांधी पंजाब की समस्या के निदान के लिये कृतसंकल्पित थे वे जानते थे कि पंजाब कि इस भीषण, भयावह समस्या के कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई, इसलिये उन्होंने पंजाब की समस्याओं का अध्ययन किया, अकालियों की मांगों को समझने की कोशिश की, आनन्दपुर साहब प्रस्ताव कैसे हल किया जाये उस पर उन्होंने अपनी चिन्ता जाहिर की। सबसे अधिक चिन्ता राजीव गांधी को इस बात की थी कि सिखों में कैसे पुनः विश्वास जगाया जाये ताकि वे अपने को देश में सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन सिखों में विश्वास पैदा हो तो कैसे! यही यक्ष प्रश्न राजीव गांधी को चिंतित कर रहा था। वे चाहते थे कि इस विकराल समस्या का हल और उसके मूल में सिखों के मन में आत्म विश्वास और सुरक्षा की भावना कैसे प्रतिस्थापित की जाये और इसी उधेड़बुन में वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे जो पंजाब में जाकर इन समस्याओं का निदान कर सके और वहां लोकतंत्र की बहाली कर सके। राजीव गांधी की नजर सारे देश के राजनेताओं की ओर घूम रही थी और अंत में वह नजर आकर

टिकी मध्यप्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील नेता अर्जुनसिंह पर। राजीव गांधी ने अर्जुनसिंह को पंजाब का राज्यपाल क्यों बनाया वे कौन-कौन से कारण थे जिससे अर्जुनसिंह को चण्डीगढ़ भेजा गया। इन सबका उल्लेख है इस पुस्तक ''यथार्थ'' में....।

स्मरणीय है कि अर्जुनसिंह ने लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की 40 में से 40 सीटें जिताकर कांग्रेस के लिये एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं और गरीब जनता के प्रति उनकी कल्याणकारी नीतियों के कारण अर्जुनसिंह गरीबों के मसीहा बन चुके थे उनकी ख्याति एक संवेदनशील नेता के रूप में फैल चुकी थी इसलिये राजीव गांधी ने अर्जुनसिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया।

जब इस बात की घोषणा हुई तब पत्रकारों ने अर्जुनसिंह से कहा कि क्या आप नहीं समझते कि यह आपके राजनैतिक कद को छोटा करने का एक प्रयास है। तब इसका उत्तर अर्जुनसिंह ने दिया कि मेरी राजनैतिक डिक्शनरी में कुल तीन शब्द हैं और वे हैं- सर्विस, ड्यूटी और लॉयल्टी, पत्रकार लाजवाब हो गये और अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल बन चण्डीगढ़ पहुंच गये।

इस पुस्तक का शीर्षक ''यथार्थ'' इसलिये रखा कि पाठकों के सामने इस समस्या के निदान की वास्तविक प्रक्रिया और सार्थक भूमिका सामने आ सके। इस पुस्तक में दस अध्याय हैं जिसमें से कुछ अध्यायों की सामग्री का संकलन किया गया है क्योंकि जो घटित हुआ है उसकी प्रमाणिकता बनाये रखने के लिये तथ्यों को मैंने ज्यों का त्यों उद्धृत किया है।

राजीव गांधी ने अर्जुनसिंह को क्यों चुना? इस अध्याय में अर्जुन सिंह की उन सारी उपलब्धियों का उल्लेख है जिससे प्रभावित होकर अर्जुनसिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। अन्य अध्यायों में अर्जुनसिंह ने

राज्यपाल के रूप में पंजाब समस्या को हल करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये और उन्हें कैसे-कैसे सफलता मिली, इसका उल्लेख विस्तार से किया गया है।

समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में इन सारी घटनाओं की जो जानकारी मिल सकी है उनके अध्ययन के पश्चात "यथार्थ" पुस्तक अपना आकार ले सकी है। जब अर्जुनसिंह पंजाब गये थे तब मध्यप्रदेश में हजारों नर-नारियों ने भाव-विव्हल विदाई दी थी और परमात्मा से दुआ मांगी थी कि अर्जुनसिंह पंजाब की समस्या को सुलझाकर ही लौटें और इस समस्या के निराकरण के लिये राजीव गांधी ने जो महत्ती जिम्मेदारी उन पर सौंपकर विश्वास व्यक्त किया है उस पर वे खरे उतर सकें। समय साक्षी है कि अर्जुनसिंह इस विश्वास पर खरे उतरे, पंजाब में शांति स्थापित हुई और राजीव गांधी शांतिदूत बनकर उभरे।

पंजाब जाते समय अर्जुनसिंह अपने साथ मध्यप्रदेश कैडर के दो आई. ए.एस. अधिकारी सुदीप बनर्जी और के. शंकरनारायणन और दो आई.पी. एस. अधिकारी शिवमोहन सिंह एवं डी.पी. देवगन को ले गये थे। इसके साथ-साथ पी.सी. बेबी, त्रिभुवन सिंह, हरदेव सिंह, मनवर सिंह, वीर सिंह, सुरेश क्षेत्रिय, प्रताप सिंह, कुंवर सिंह, उदयराज सिंह एवं शंभुनाथ सिंह भी पंजाब गये थे। इन सभी की सहयोगी भूमिका भी सराहनीय रही।

"यथार्थ" को लिखने में मैंने अनेक पुस्तकालयों, वाचनालयों और समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के कार्यालयों में पुराने अंकों का अध्ययन किया। सबसे अधिक सामग्री अगर चयनित और संकलित हो सकी तो वह स्थान है माधवराव सप्रे संग्रहालय भोपाल। जिसके संस्थापक है- विजयदत्त श्रीधर। उन्होंने और उनके सहयोगी संतोष शुक्ल, मंगला अनुजा एवं साधना देवांगन ने मुझे सहायता पहुंचाई। जिनका सहयोग मुझे सदैव स्मरणीय रहेगा।

मैं सुदीप बनर्जी का भी विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने भी ''यथार्थ'' को मूर्तरूप देने में बहुमूल्य सुझाव दिये।

अर्जुन सिंह की पत्नि श्रीमती सरोज सिंह ने दहशत भरे पंजाब में अपनी सहधर्मिता का बखूबी निर्वहन किया। उनके एवं अजयसिंह 'राहुल' के संस्मरणों ने भी यथार्थ लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

इस पुस्तक को लिखने में मेरे घर-परिवार के सदस्यों का सहयोग एवं सुझाव भी समय-समय पर मिलता रहा-जिनमें डॉ. पी.के. श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव, मनीष, आशीष एवं रमन जी के अलावा रामजी एवं रवि अग्रवाल का सहयोग सराहनीय रहा है।

114/3, शिवाजी नगर
भोपाल

**ललित श्रीवास्तव**

# यथार्थ

## लोंगोवाल समझौता
## राजीव गांधी की राजनीतिक सफलता
## अर्जुनसिंह की सार्थक पहल


| अध्याय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि : अलगाववाद का उदय | 1–13 |
| 2. | आनंदपुर साहिब प्रस्ताव | 15–20 |
| 3. | दहशत भरा पंजाब-पंजाब की दुर्दशा-बढ़ता आतंकवाद | 21–33 |
| 4. | आपरेशन ब्लू स्टार | 35–49 |
| 5. | इन्दिरा गांधी की हत्या : राजीव गांधी नये प्रधानमंत्री | 51–64 |
| 6. | राजीव गांधी द्वारा अर्जुनसिंह का ही चयन क्यों? | 65–85 |
| 7. | राज्यपाल अर्जुनसिंह की सार्थक पहल | 87–105 |
| 8. | अर्जुनसिंह की सफलता - राजीव लोंगोवाल समझौता | 107–114 |
| 9. | पंजाब में लोकतंत्र की बहाली | 115–126 |
| 10. | समझौता : प्रमुख समाचार-पत्रों की दृष्टि में | 127–170 |
| 11. | चित्र - संदर्भ समझौता | 171–185 |

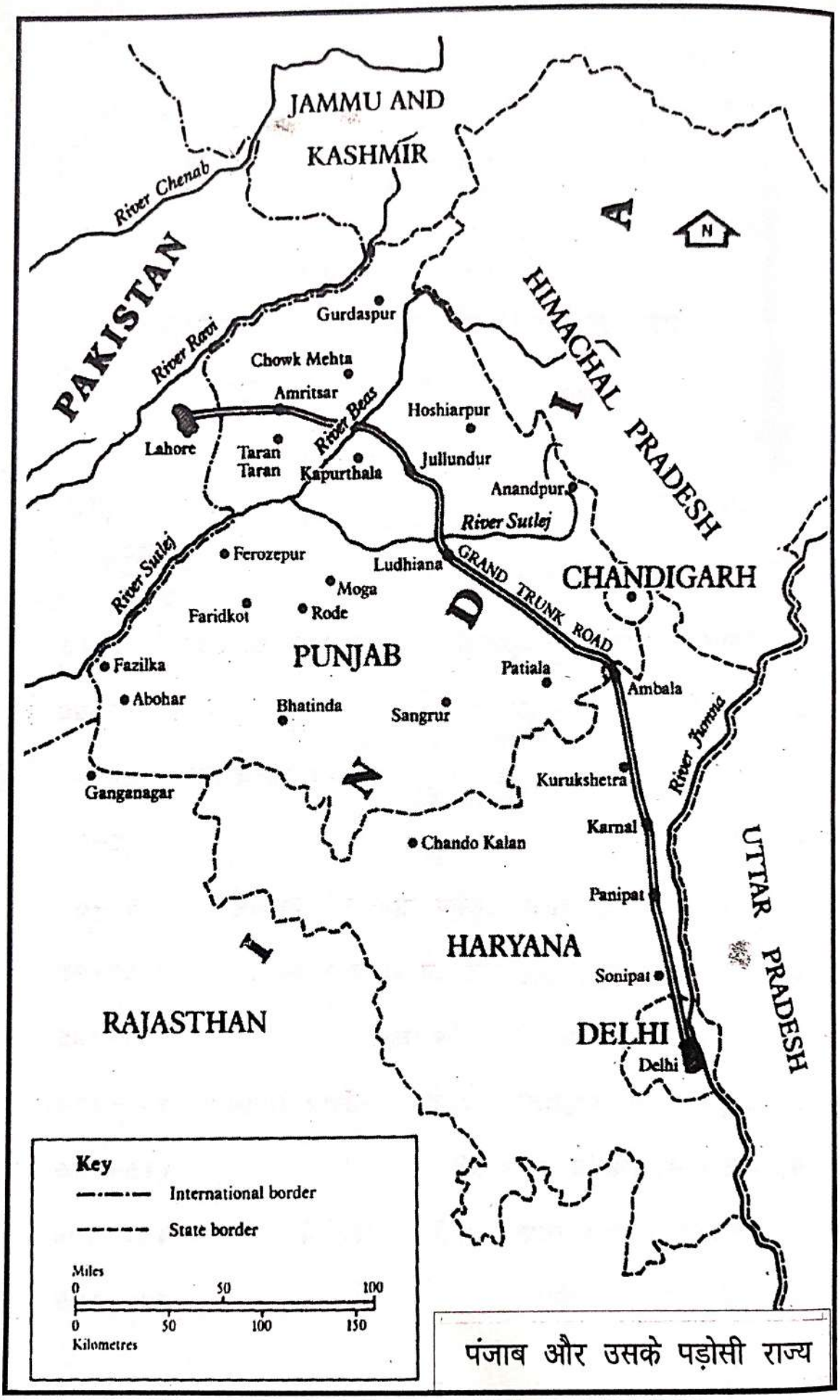


पंजाब और उसके पड़ोसी राज्य

# 1

# पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलगाववाद का उदय

स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात् भी सिख पंजाब को ही अपना घर समझते थे, पंजाब में रहने वाले हिन्दू भी पंजाब को ही अपना घर मानते थे। सिखों और हिन्दुओं में पंजाब में विशेष भेद नहीं था। पंजाब में बसने वालों में प्रारम्भ में हिन्दुओं की संख्या अधिक थी। वे गुरू ग्रंथ साहिब को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। गुरूद्वारे जाते थे, ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे और कीर्तन भी करते थे। अंतर केवल इतना था कि जहां सिख गुरूमुखी लिपि को मानता था वहीं हिन्दू देवनागरी का प्रयोग करते थे। पंजाब में हिन्दुओं और सिखों में बस यही मूल अंतर था। रहन-सहन, खान-पान, आचार-व्यवहार यहां तक कि शादी विवाह में भी हिन्दुओं और सिखों में परस्पर समरसता थी और एक दूसरे के प्रति प्रेम और व्यवहार भी था।

आजादी के वाद जव पूर्वी पंजाव के सिख पंजाव में आ वसे तव उनके मन में यह भावना घर करने लगी कि सिखों को ही पंजाव में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये और यदि अधिक नहीं मिल सकता तो कम से कम हिन्दुओं के वरावर का ही हिस्सा मिले। जवकि वंटवारे के वाद भी उस समय पंजाव में हिन्दुओं की संख्या अधिक थी। यहां यह वात सदैव स्मरण रखना चाहिए कि पंजाव में, अंग्रेजों के आगमन के लगभग 200 साल पूर्व से लेकर आजादी तक सिखों और हिन्दुओं में अटूट भाईचारा, प्रेम, सौहार्द एवं अपनत्व रहा है। दोनों ने मिलकर ही मुगलों और अंग्रेजों का सामना किया था।

आजादी के वाद भी केन्द्रीय सरकार यही चाहती थी कि जो प्रेम सिखों और हिन्दुओं में पहिले था वह किसी भी कीमत पर न टूटे और वैसा ही प्रेम बना रहे। इसलिये भारत सरकार ने निश्चय किया कि यदि कोई शंकायें-कुशंकायें दोनों में हैं तो उन्हें मिल बैठकर, बिना साम्प्रदायिक और राजनीतिक वातावरण को बिगाड़े पंजाब को सुदृढ़ मजबूत और विकासशील बनाया जा सके। हिन्दू और सिख दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर पंजाब के नव निर्माण में जुट जावें। यद्यपि भारत सरकार इसी भावना से काम कर रही थी लेकिन पंजाब में धीरे-धीरे अपनी-अपनी अहमियत और प्रभुत्व को लेकर असहयोग बढ़ता जा रहा था और यह असहयोग आंदोलन का रूप लेने लगा था तभी भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यह आंदोलन उग्र रूप धारण करे, उसके पहिले ही वहां की परिस्थितियों-स्थितियों और समस्याओं को समझकर उसका हल निकाले जाने का प्रयास शुरू कर दिया। उपरोक्त परिस्थितियों का सही आकलन करने उन्होंने अपने विश्वस्त लोगों को पंजाब भेजा और उनसे वहां की राजनीति तथा साम्प्रदायिक परिस्थितियों का जायजा लिया।

उस समय पंजाब में बंटवारे के बाद, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर,

लुधियाना तथा फिरोजपुर में पूर्वी पंजाब से आये हुये लगभग 85 प्रतिशत सिख रह रहे थे। इन पांचों जिलों में कुल आबादी के 65 प्रतिशत सिखों का बाहुल्य था और उधमसिंह और मास्टर तारासिंह स्वयं इनका नेतृत्व करने लगे थे। जहां तक हिन्दुओं का प्रश्न था वहां सनातनी और आर्य समाजी दोनों के अपने-अपने नेता थे जिनमें गोकलचंद नारंग, कैप्टन केशवचंद आदि प्रमुख थे। इन नेताओं और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता और बंधुत्व की मुहिम चलाई। इस मुहिम में सिखों की वीरता, उनके शौर्य उनके त्याग और देश की एकता के लिये बलिदान और सज्जनता की शौर्य गाथाओं को उजागर किया गया। देश के सुप्रसिद्ध कवि चिंतक रवीन्द्रनाथ टैगोर की सिखों के शौर्य पर रची कविता ''बंध वीर'' को उद्धृत कर- सिखों के देश प्रेम और वीरता का गान किया गया।

सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब ज्ञात हुआ कि सिखों में असंतोष का कारण केवल इस बात के भय को लेकर है कि पंजाब में शनैः शनैः आर्य समाजियों के कारण, सिख धर्म कमजोर पड़ता जा रहा है और सिखों पर उसका प्रभाव भी कम होने लगा है तब मास्टर तारासिंह ने धर्म के नाम पर आंदोलन की राह अपनाई।

मास्टर तारासिंह ने सिखों को धर्म पर आधारित केश, कंघी, कड़ा, कच्छा और कृपाण को हमेशा याद रखने के लिये अपनी पहचान बनाये रखने को कहा। संभवतः मास्टर तारासिंह को यह भय होने लगा था कि पंजाब के अलावा सिख कहां रहेगा इसलिये उन्होंने ''पंजाब सिखों का'' नारा दिया। उन्होंने यह भी मांग रखी कि सरकारी नौकरियों में अकालियों को अधिक वरीयता दी जावे। 50 प्रतिशत तक विधान सभाओं में अकालियों का प्रतिनिधित्व हो तथा ''शिरोमणि अकाली दल'' को ही सिखों की समस्त समस्याओं के समाधान के लिये मान्यता प्राप्त हो। अकालियों की

मूलतः ये मांगें पंजाब को सिख राज्य घोषित करना ही था अतएव पंजाब में बसने वाले हिन्दुओं ने इस मांग को उचित नहीं ठहराया। यद्यपि हिन्दुओं ने सदैव सिखों को सम्मान-आदर और बहादुर कौम मानते हुये अपना रक्षक ही समझा फिर भी वे यह नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र में अकालियों के कहने से सिखों को कोई विशेष दर्जा दिया जावे। हिन्दुओं की यह मांग भी शनैः शनैः बढ़ने लगी कि पंजाब में बोलचाल की भाषा तो पंजाबी हो किन्तु लिपि देवनागरी ही हो, जहां लोग पंजाबी नहीं जानते वहां हिन्दी ही बोलचाल की भाषा बनी रहे और शिरोमणि अकाली दल को किसी' भी प्रकार से विशेष मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिये। पंजाब के हिन्दुओं ने यहां तक मांग करना शुरू कर दिया था कि जिस प्रकार मुस्लिम लीग की कार्यशैली के कारण उस पर "बैन" लगना चाहिये उसी प्रकार अकाली दल पर भी, उनकी अनुचित और अलगाववादी गतिविधियों के कारण "बैन" लगना चाहिये।

उपरोक्त परिस्थितियां विषम रूप धारण करें, इसके पूर्व ही तात्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को निर्देशित किया कि पंजाब की समस्याओं का सही हल निकाल लिया जावे अन्यथा राजनीतिक स्थितियां और भी जटिल हो जावेंगी। सरदार पटेल को जो गुप्त सूचनायें मिल रहीं थी उसी आधार पर उन्होंने भीमसेन सच्चर से पंजाब की स्थितियों का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

**सच्चर फार्मूला-**

भीमसेन सच्चर ने गहन अध्ययन के पश्चात् पंजाब में उपजी तात्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।

यह रिपोर्ट भीमसेन सच्चर ने अक्टूबर 1949 को प्रस्तुत की जिसमें निम्न बिन्दुओं पर प्रमुखता से क्रियान्वयन हेतु बल दिया गया था-

1. **पंजाब में भाषा**- पंजाब में दो भाषायें प्रमुख रूप से बोली जाती थीं- पहली पंजाबी और दूसरी- हिन्दी।

2. **लिपि** - पंजाबी बोलने वाले, सिख गुरूमुखी लिपि को ही अपनी लिपि बनाना चाहते थे और हिन्दू जो पंजाबी बोलते थे वे देवनागरी को अपनी लिपि बनाना चाहते थे।

अतएव सच्चर फार्मूला के अनुसार "द्वभाषी-लिपि" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार पंजाब में दो भाषायें बोली और लिखी जावेगी। वे हैं- पहिली- पंजाबी गुरुमुखी में और पंजाबी देवनागरी लिपि में तथा दूसरी हिन्दी भाषा में।

1. साथ-साथ यह भी प्रस्तावित हुआ कि उन जिलों में जहां पंजाबी ज्यादी बोली जाती है, पंजाबी ही शिक्षा का माध्यम होगा और जिन जिलों में हिन्दी बोली जाती है वहां हिन्दी।

2. जहां पंजाबी शिक्षा का माध्यम होगा वहां बुनियादी स्तर पर हिन्दी का भी शिक्षण दिया जावेगा जो प्राथमिक स्तर से मैट्रिकुलेशन तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जावेगी और जिन क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम देवनागरी के साथ होगा वहां पंजाबी भाषा का भी अध्ययन प्राथमिक स्तर से मैट्रिकुलेशन तक किया जावेगा।

3. पंजाबी वाले क्षेत्र के अभिभावक यदि मांग करें कि उनके बच्चों को हिन्दी पढ़ना है तो इसकी भी व्यवस्था की गई तदानुसार हिन्दी भाषी क्षेत्र में पढ़ने वाले पाल्यों के पालक यदि पंजाबी भाषा पढ़ाने की मांग करें तो उसकी भी व्यवस्था की जावे। इसके अतिरिक्त यदि आगे उच्च शिक्षा में भी ऐसी ही एक दूसरे विषयों की पूरक व्यवस्था के लिये क्षेत्र की एक तिहाई आबादी मांग करे तो पंजाबी और हिन्दी दोनों पढ़ने को मिल सकती है।

4. सरकार इन दोनों भाषाओं और लिपियों की सीमायें निर्धारित करने का अधिकार रखेगी।

5. अंग्रेजी और उर्दू सरकारी कामकाज की और अदालत की भाषा तब तक बनी रहेगी जब तक पंजाबी और हिन्दी उनका स्थान ग्रहण नहीं कर लेती।

स्मरणीय है कि सच्चर फार्मूले को सिखों ने व्यापक समर्थन देते हुए स्वागत किया किन्तु आर्य समाजियों में घोर असंतोष रहा और भाषा और लिपि का विवाद बना रहा जो उस समय अकालियों और हिन्दुओं में वैमनस्य का कारण बना रहा।

सच्चर फार्मूला इतना साहसिक और व्यवहारिक था कि इसके बाद जब भी भाषायी लिपियों की समस्या सुलझाने कमेटियां बनी तब भी सच्चर फार्मूले से अच्छा कोई विकल्प सामने नहीं आया। इसलिये सच्चर फार्मूला उस समय तक कार्य में आता रहा, जब तक 1966 में पंजाब का पुनः विभाजन नहीं हो गया।

पंजाब में अलगाववाद के मूल कारणों में पंजाबी भाषा और गुरूमुखी लिपि था। अकालियों ने इसे मुद्दा बना लिया और आंदोलन की राह पकड़ना प्रारंभ की। उनकी मांग थी की पंजाबी सूबे में ही पंजाबी भाषा गुरूमुखी लिपि और सिख सुरक्षित रह सकते हैं और पंजाबी सूबा ही उनकी मातृभूमि है।

जब 1954 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु आयोग बना तब पंजाब में पंजाबी सूबे की मांग काफी उग्र हो गई थी। पंजाब के तात्कालीन मुख्य मंत्री भीमसेन सच्चर ने अपने पूर्व फार्मूले के अनुसार ही पंजाब में एकता स्थापित करने के सक्रिय प्रयास किये। 1956 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पेप्सू

को पंजाब में मिलाने और भाषा के प्रभाव वाले पंजाबी और हिन्दी प्रखण्डों को भी मान्यता प्रदान की। जिसे बाद में संसद ने मुहर लगा दी। पंजाबी सूबे की अकालियों की मांग और महापंजाब की हिन्दुओं की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। उसी समय शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव हुए और उसमें 132 स्थानों में से 122 स्थानों पर अकालियों का कब्जा हो गया और कांग्रेसी सिखों का लगभग उस चुनाव में सफाया हो गया। तब श्री उधम सिंह नागोर कांग्रेस में सिखों के प्रमुख थे। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति में शानदार जीत के कारण अकालियों में उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने मई 1955 में पंजाब सरकार के विरूद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया, अकालियों ने जेल भर दिये और आंदोलन उग्र हो उठा। तात्कालीन पंजाब सरकार ने पंजाबी सूबे की अकालियों की मांग पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकालियों ने अपना आंदोलन पंजाबी सूबे की मांग पर बैन उठाने के लिये शुरू किया था। अंततः पंजाब की तात्कालीन सरकार को बैन उठाना पड़ा, गिरफ्तार अकालियों को छोड़ना पड़ा।

अकाली उत्साहित हो गये और धीरे-धीरे अकालियों का जनाधार भी बढ़ने लगा। मास्टर तारासिंह का राजनीतिक कद बहुत ऊंचा हो गया और वे अकालियों और अकाली दल के एक छत्र नेता के रूप में उभर चुके थे। फलस्वरूप मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर को हटना पड़ा और उनके स्थान पर कांग्रेस की रीति-नीति सिद्धांतों पर अटूट विश्वास रखने वाले सिख नेता प्रतापसिंह कैरो ने पंजाब के मुख्य मंत्री के रूप में बागडोर सम्हाली।

प्रतापसिंह कैरो ने पंजाब को गतिशील नेतृत्व दिया। उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही सबसे पहिले सच्चर फार्मूले के आधार पर अकालियों और हिन्दुओं में मेल बढ़ाया- यहां तक कि अकालियों के साथ कांग्रेस ने क्षेत्रीय फार्मूला के आधार पर समझौता कर लिया। परिणाम स्वरूप प्रतापसिंह कैरो ने अकालियों को बहुत ही सहजता से राजनीति के परिदृश्य से प्रभावहीन

बना दिया। कैरो द्वारा प्रस्ताव तो यहां तक दिया गया कि अकाली कांग्रेस में विलय हो जाये। मास्टर तारासिंह भी राजनीति के चतुर सुजान थे, इसलिये उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल तो रखा किन्तु विलय के लिये तैयार नहीं हुये। लेकिन मास्टर तारासिंह, प्रतापसिंह कैरो की रणनीति और राजनीतिक कौशल के आगे कुछ पिछड़ने लगे थे और अनेक अकालियों ने प्रतापसिंह कैरो द्वारा पंजाब की प्रगति, उन्नति और विकास के लिये उठाये जा रहे कदमों की सराहना तक शुरू कर दी थी। इससे भयभीत होकर मास्टर तारासिंह ने एक नये राजनीतिक दल का गठन कर लिया। उस दल का नाम उन्होंने "वीर खालसा दल" दिया और चुनाव में वीर खालसा दल को भी सिखों का समर्थन जब नहीं मिला तब मास्टर तारासिंह ने "अमृत प्रचार" शुरू कर दिया। इसका भी सिखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मुख्य मंत्री प्रतापसिंह कैरो ने पंजाब में अकालियों की राजनीतिक पकड़ ढीली कर दी।

प्रतापसिंह कैरो ने एक ओर भले ही अकालियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया किन्तु वहीं हिन्दुओं में इस बात को लेकर असंतोष बना रहा और आर्य समाजियों ने भाषा और गुरूमुखी लिपि के प्रति उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। आर्य समाजियों ने अपने असंतोष को जाहिर करने के लिये पंजाबी भाषा और गुरूमुखी लिपि के प्रति उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। आर्य समाजियों ने सारे पंजाब में हिन्दुओं में एकता के प्रयास करने के लिये संगठित करना शुरू कर दिया। 1956 में जालंधर में एक आर्य समाजियों का कन्वेंशन भी हुआ जिसमें 15 सदस्यीय "हिन्दी रक्षा समिति" बनी। इस समिति के माध्यम से भाषा के सवाल पर आंदोलन की रूपरेखा बनायी जाती रही और चर्चाओं, बैठकों और जेल भरो आंदोलनों के माध्यम से प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी ध्यान आकर्षित किया गया किन्तु नेहरू जी ने इसे पंजाब की एकता के लिये उपयुक्त नहीं समझा और आर्य समाजियों द्वारा हिन्दी रक्षा समिति का आंदोलन व्यापक नहीं हो सका और

शनैः शनैः अपने आप ही समाप्त होने लगा। इसी तरह 1957 और 1958 में पुनः चलाये गये आंदोलन भी सफल नहीं हो सके। "हिन्दी रक्षा समिति" के सदस्यों द्वारा आर्य समाजियों के मार्गदर्शन में 1959 में दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें स्वामी रामेश्वरानंद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक बार फिर आंदोलन ने सिर उठाया। इस बार इसमें हरियाणा के आर्य समाजियों ने अपना नियंत्रण कर लिया। पूरा का पूरा आंदोलन हरियाणा के जिलों में ही सीमित होकर रह गया पंजाब में यह आंदोलन व्यापक रूप धारण कर ही नहीं सका। इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दी रक्षा समिति का यह आंदोलन "हरियाणा राज्य" की मांग में बदल गया। इधर हरियाणा राज्य की मांग से पंजाबी सूबे की ठण्डी पड़ती मांग ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया था।

प्रतापसिंह कैरो के मुख्यमंत्रित्व काल में पंजाब ने आशातीत सफलता प्राप्त की, चहुंमुखी विकास हुआ और अनेक आर्थिक सुधारों के कारण पंजाब में खुशहाली-समृद्धि हुई। लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लगने से पंजाब ने देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उन्नति की। प्रतापसिंह कैरो ने पंजाब की जनता में गजब उत्साह का संचार किया और जनता के कठिन परिश्रम और कैरो सरकार के कल्याणकारी कार्य नीति से पंजाब न केवल धन धान्य से परिपूर्ण बना अपितु औद्योगिक प्रगति के कारण देश में अग्रणी राज्य का दर्जा भी प्राप्त किया।

राजनीति के क्षेत्र में भी स्थाई शांति के लिये प्रतापसिंह कैरो ने "सच्चर फार्मूले" में जो कुछ त्रुटियां रह गई थीं, उनमें सुधार हेतु 1959 में ही दो सदस्यीय आयोग बनाया। प्रसिद्ध और योग्य शिक्षा शास्त्रियों भाई जोध सिंह और अमरनाथ विद्यालंकार को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की किन्तु "सच्चर फार्मूले" से अच्छा भाषायी विवाद का विकल्प अन्य कोई भी फार्मूला नहीं बन सका। अंततः "सच्चर फार्मूला" ही पंजाब में भाषायी विवाद के हल का एकमात्र फार्मूला बना रहा।

जब मास्टर तारासिंह ने देखा कि प्रतापसिंह कैरो धीरे-धीरे अकालियों के पर कतरने लगे हैं तब उन्होंने मई 1960 में अमृतसर से दिल्ली के लिये कूच करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार निश्चय यह हुआ था कि दिल्ली पहुंच कर चांदनी चौक स्थित गुरूद्वारा शीशगंज से 12 जून 1960 को अकालियों का विशाल जुलूस निकाला जावेगा जो दिल्ली के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पं. जवाहरलाल नेहरू के तीन मूर्ति निवास के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा।

अच्छे प्रशासक की तरह प्रतापसिंह कैरो ने मास्टर तारासिंह के मोर्चे और दिल्ली से जुलूस निकालने की योजना पर रोक लगाने के लिये समुचित कदम उठाये उन्होंने मास्टर तारासिंह को 24 मई 1960 को ही गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। मास्टर तारासिंह ने अपनी जगह संत फतेहसिंह को मोर्चा जुलूस और आंदोलन हेतु संचालक बना दिया। संत फतेहसिंह गंगानगर से तुरंत अमृतसर आये और ''दरबार साहिब'' के अहाते ही में अपना निवास बनाकर उसकी चारों तरफ से किले जैसी घेराबंदी कर ली। संत फतेहसिंह ने पूरी मुस्तैदी से मोर्चा सम्हाल लिया और निर्देश देना शुरू कर दिये। पूर्व योजना के अनुसार-29 मई को अमृतसर से इकबाल सिंह के नेतृत्व में अकालियों का एक जत्था दिल्ली के लिये रवाना हुआ। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर आदि जिलों में भी इस आंदोलन का मिला-जुला असर हुआ किन्तु यह मोर्चा आंदोलन, प्रतापसिंह कैरो की कुशल रणनीति के कारण, उग्र रूप धारण नहीं कर सका और जो उम्मीद मास्टर तारासिंह और संत फतेहसिंह ने लगाई थी वह पूरी नहीं हो सकी। सिखों का कोई प्रभावशाली सहयोग नहीं मिला।

प्रतापसिंह कैरो सतर्क थे कि भले ही पंजाब से सिख भारी तादाद में रैली में सम्मिलित न हुये हों किन्तु यह हो सकता है कि 11 जून 1960 को दिल्ली शीशगंज गुरूद्वारे से ''तीनमूर्ति'' पर धरने के लिये छिपे तौर पर सिख जमा हो जायें।

दिल्ली में भी तनाव बन गया था और गुरूद्वारा शीशगंज के ग्रंथी रिछपाल सिंह द्वारा मास्टर तारासिंह की इस योजना की कमान सम्हालने का दायित्व ले लिया गया था। रिछपालसिंह ने भी संत फतेहसिंह के समान ही शीशगंज में अपना डेरा डाल दिया और भी नाकेबंदी किले के रूप में कर ली ताकि वे भी गिरफ्तार न हो सकें और आंदोलन संचालित होता रहे। अकाली अपनी मांगों के सिलसिले में सुनियोजित तरीके से आंदोलन संचालित करने की योजना बना रहे थे। वहीं दिल्ली प्रशासन भी गृह मंत्रालय के परामर्श पर पंजाब की तरह दिल्ली में सख्त रूख अपनाने के लिये योजनाबद्ध रणनीति तय कर रहा था। गृह मंत्री पं. गोविन्द वल्लभ पंत स्वयं सभी परिस्थितियों का आंकलन कर आद्देश प्रसारित कर रहे थे। पं. जवाहरलाल नेहरू भी पूरी स्थिति पर अपनी पैनी दृष्टि रखे हुए थे और पं. पंत से पल-पल सूचनायें ले रहे थे। अंत में यह निश्चित हुआ कि पंजाब में जिस साहस से कैरो ने पूरे आंदोलन को बैन लगाकर गतिहीन कर दिया, पंजाब से दिल्ली आने वाले रास्तों की नाकेबंदी कर दी। उसी तरह 12 जून को शीशगंज गुरूद्वारा से प्रारंभ होने वाले जत्थों और जुलूस पर भी बैन लगाकर आंदोलन को विफल किया जावे।

12 जून 1960 ठीक 2.00 बजे सत् श्री अकाल और पंजाबी सूबा ले के रहेंगे के नारों से गूंजता जुलूस गुरूद्वारा शीशगंज से आरंभ हुआ जिसें बड़ी समझ-बूझ और सुनियोजित ढंग से दिल्ली पुलिस प्रशासन ने बिना खून खराबा के आंदोलन को ठण्डा कर दिया और स्थितियों को मजबूती से अपने कब्जे में कर लिया। इसी तरह करोलबाग और पहाड़गंज से आते हुये छोटे जत्थों पर भी प्रशासन ने पकड़ बना ली और उन्हें भी शांत कर दिया। धीरे-धीरे पूरा जुलूस बिना खून-खराबे के तितर-बितर हो गया और आंदोलन समाप्त हो गया।

इसके बाद से ही दरबार साहिब में प्रतिदिन जोशीले भाषणों का दौर

शुरू हो गया जिसमें ''पंजाबी सूबा'' लेके रहेंगे के तौर-तरीकों पर विचार-मंथन होना प्रांरभ हो गया और अकाल तख्त का राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो गया।

अनेक राजनीति उतार-चढ़ाव हुये आंदोलन धरना-हड़ताल होते रहे और पंजाबी सूबे की मांग बनी रही। 1967 में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ जिस पर ''पंजाब'' और ''हरियाणा'' दो राज्यों का गठन हुआ।

पंजाब राज्य के गठन के पश्चात भी अकालियों ने अपना आंदोलन जारी रखा। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति में अकालियों के वर्चस्व के कारण आंदोलन को गतिशील बनाने में पूरा सहयोग मिल रहा था। शनैः शनैः पूरे पंजाब में अकाली दल का प्रभाव बढ़ने लगा और उनकी मांगों ने आंदोलन को उग्र रूप प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति में गुरुचरणसिंह टोहरा अध्यक्ष निर्वाचित हो गये थे और अकालीदल के अध्यक्ष संत हरचंदसिंह लोंगोवाल हो गये थे। इन दोनों अकाली नेताओं तथा पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल, पूर्व मंत्री सुरजीतसिंह बरनाला और बलवंतसिंह के संयुक्त नेतृत्व में अकाली आंदोलन फलने-फूलने लगा। अकाली दल के इन नेताओं ने अपनी मांगों के लिये समर्थन प्राप्त करने हेतु एक विशाल अकाली समागम आनंदपुर साहब गुरूद्वारा में आयोजित किया। यह सुप्रसिद्ध आनंदपुर साहब गुरूद्वारा सतलज नदी के तट पर भांगड़ा नंगल व रोपड़ के बीच स्थित है जो सिखों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। सिखों के दसवें गुरू गोविन्दसिंह जी ने मुगल बादशाहों और पड़ोसी राजाओं से रक्षा के लिये यहां पर अपना गढ़ बनाया था और यहीं पर उन्होंने पंचप्यारों को चुनकर खालसा पंथ की नींव डाली थी। इन

पंच प्यारों में दिल्ली, लाहौर, मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारिका से आये उनके भक्त थे। गुरू गोविन्दसिंह जी का जन्म पटना में हुआ था और मृत्यु नादेड़ महाराष्ट्र में हुई थी परंतु उनके कार्यकलाप का केन्द्र मुख्यतः आनंदपुर साहब रहा। इसलिये इस स्थान का सिखों के हृदय में बड़ा मान और महत्व है। अतएव अकाली नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन के लिये आनंदपुर साहिब गुरूद्वारा को ही समागम के लिये चुना और इसी स्थान पर प्रस्ताव पारित कर अपने आंदोलन को तीव्र और उग्र बनाने का निर्णय लिया। इसके पश्चात पूरे पंजाब में उग्रपंथी प्रभावी हो गये। और पंजाब में आतंकवादी अकाली आंदोलन पर हावी हो गये।

# 2

# आनंदपुर साहिब प्रस्ताव

सिख पंथ की रक्षा- उसके प्रचार प्रसार के लिये पंजाब में अकालियों ने जबर्दस्त एकता का प्रदर्शन किया, इस भय से कि सरकार अकालियों की एकता में फूट डाल रही है।

सिखों की इस एकता को बहाल रखने में अकाली दल ने योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाने के लिये 16-17 अक्टूबर 1973 को शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में एक मसविदा तैयार किया। यह मसविदा अकाली दल की कार्यकारिणी ने तैयार किया। यह मसविदा ही आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से महत्वपूर्ण दस्तावेज बन अकालियों द्वारा सिखों के उत्थान के लिये उठाया गया संवेदनशील पथ-प्रदर्शक बना।

"आनंदपुर साहिब प्रस्ताव" को अंतिम रूप देने के लिये 1978 में शिरोमणि अकाली दल का अखिल भारतीय सम्मेलन लुधियाना में बुलाया गया और संत हरचरण सिंह लोंगोवाल की अध्यक्षता में आनंदपुर साहिब

प्रस्ताव पर खुली बहस हुई तथा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। आनंदपुर साहिब के मूल प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया तथा 12 प्रस्ताव पारित किये गये।

यद्यपि अकालियों का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अखबारों की सुर्खियों में काफी समय तक रहा फिर भी इसकी मुख्य विशेषताएं लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हुई थीं। इस प्रस्ताव को अकाली दल की कार्यकारी समिति ने 17 अक्टूबर 1973 को अंगीकार किया। अकाली चाहते थे कि आजादी के संघर्ष में अदा की गई उनकी अद्वितीय भूमिका को पहचाना एवं रेखांकित किया जाए। उन्होंने कहा कि अकाली दल सिक्ख पंथ का मार्गदर्शन करता रहा है एक निश्चित लक्ष्य के लिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकाली दल कई प्रकार से साधनों का इस्तेमाल करता आ रहा था।

कांग्रेस सरकार की पंथक विरोधी नीतियों को ध्यान में रखते हुए अकाली दल की कार्यकारी समिति ने 11 दिसम्बर, 1972 को हुई एक बैठक में 12 सदस्यीय उप समिति का गठन किया ताकि विस्तृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को निरूपित किया जा सके। इस उपसमिति की पहली बैठक अमृतसर में हुई। बाद में 10 बैठकें चण्डीगढ़ में आयोजित की गई। अकालियों (अकाली दल) के पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई। इन बैठकों में तीखे मतभेद भी हुए लेकिन अंतिम रिपोर्ट को एक स्वर में स्वीकार कर लिया गया।

अकाली दल ने 1977 में संसदीय चुनाव लड़ा तथा इस प्रस्ताव के फलस्वरूप विधानसभा के चुनावों में भी भाग लिया। अकाली दल के सामान्य सदन ने अमृतसर में 28 अगस्त, 1977 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। लगभग 5 वर्षों के बाद कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव

को अपनी स्वीकृति प्रदान की इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

**प्रस्ताव की अवधारणा :-**

अकाली दल ही एक ऐसा संगठन है जो सिक्ख पंथ की सामूहिक इच्छा का अधिकृत रूप से प्रतिनिधित्व करता है। सिक्ख पंथ का आशय एक ऐसे समाज से है जो मानवीय परस्पर संवंधों एवं मनुष्य (भाई-चारे) को मनुष्य के प्रति प्रेम को यथार्थ धरातल प्रदान करता है।

ये अवधारणाएं गुरूनानक के उपदेशों में भी निहित हैं। यथा ''किरत करो, नाम जपो, वंड छको'' (अर्थात मेहनत करो, ईश्वर का स्मरण करो, परिश्रम के फल को बांट कर खाओ।) गुरू गोविन्द सिंह ने भी कहा कि मनुष्य शक्ति का सच्चा स्त्रोत है और वह स्वयं में साध्य है और उसे दूसरों द्वारा न तो गुलाम बनाया जाना चाहिए और न ही उसका शोषण किया जाना चाहिए। समृद्धि एवं खुशी मानवता का भाग्य एवं जन्मसिद्ध अधिकार है।

**सामान्य उद्देश्य-**

अकाली दल निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय एवं प्रतिबद्ध रहेगा :-

(1) सिक्ख जीवन पद्धति का प्रसारण करना एवं नास्तिकता व गैर सिक्ख विचार भावना को दूर करना।

(2) सिक्ख पंथ की अलग स्वतंत्र पहचान की भावना को बनाए रखना तथा ऐसा वातावरण पैदा करना जिसमें सिक्खों का पूर्ण एवं संतोषप्रद ढ़ंग से राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव हो सके।

(3) गरीबी एवं कमी को दूर करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना ताकि वर्तमान अन्यायपूर्ण जन वितरण एवं शोषण के स्थान पर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जा सके।

(4) अशिक्षा, छुआछूत सामाजिक असमानता और जाति आधारित मतभेद को दूर करना जो महान गुरूओं की महान शिक्षाओं के विरूद्ध हैं।

(5) रूग्णता एवं बीमारियों को खत्म करना तथा व्यसनी व अन्य मादक चीजों की भर्त्सना करना तथा इन्हें प्रतिबंधित करना ताकि लोगों का शारीरिक विकास ठीक ढंग से हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश को तैयार किया जा सके।

**धार्मिक उद्देश्य-**

अकाली दल के कुछ धार्मिक लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

(1) नया अखिल भारतीय गुरूद्वारा नियम बनाना जो पूजास्थलों एवं सामुदायिक केन्द्रों का सुचारू रूप से प्रबंध कर सके तथा प्राचीन सिक्ख प्रचार आदेशों का पुनर्गठन करके एक मजबूत सिक्ख समाज बनाया जा सके जिसमें उनके वित्तीय साधनों एवं सम्पत्ति में कोई हस्तक्षेप न हो।

(2) विश्व के सभी गुरूद्वारों को एक ही संगठन के आधीन लाना ताकि समस्त विश्व में सिक्ख धार्मिक प्रक्रियाओं, कार्यवाहियों में एकरूपता बनी रहे तथा धर्म के प्रचार-प्रसार के लिये प्रभावात्मक संसाधनों को उपलब्ध किया जा सके।

(3) ननकाना साहिब एवं अन्य पवित्र स्थलों में जाने की स्वतंत्रता होना जो गत दिनों में सिक्खों को मुहैया नहीं कराई गई थी।

## राजनीतिक उद्देश्य-

पंथ के राजनीतिक उद्देश्य दशम गुरू की विशेषताओं- आदेशों में निश्चित रूप से निहित हैं जिन्हें खालसा पंथ के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

खालसा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का जन्मसिद्ध अधिकार देना, आवश्यक वातावरण तैयार करना एवं राजनीतिक संविधान प्राप्त करना अकाली दल के बुनियादी सिद्धांत हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए अकाली दल हर संभव संघर्ष करेगा।

(1) जिन क्षेत्रों को जानबूझकर पंजाब से बाहर रखा गया है, उन्हें शीघ्र पंजाब में शामिल किया जाए तथा इसे एकल प्रशासनिक इकाई बनाया जाए। जिसमें सिक्खों के हितों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। ये क्षेत्र हैं :- गुरदासपुर जिले में डलहौजी, चण्डीगढ़, पिंजौर, कालका व अम्बाला, ऊना तहसील (होशियारपुर जिला), नालागढ़ क्षेत्र, शाहबाद एवं गुहला खण्ड (करनाल जिला) सिरसा तहसील, रोहना उप तहसील, रतिया खण्ड (हिसार जिला) राजस्थान में गंगा नगर जिले की छह तहसीलें तथा अन्य पंजाबी भाषी एवं सिक्ख क्षेत्र।

(2) ''नए पंजाब'' में केन्द्र का प्राधिकार केवल देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों, संचार माध्यम, रेलवे एवं करेंसी तक ही सीमित होगा। सभी घरेलू विषय (विभाग) ''नए पंजाब'' के क्षेत्राधिकार में रहेंगे तथा इन विषयों के लिए अपना संविधान बनाने का पंजाब को अधिकार होगा। केन्द्रीय मामलों में ''नया पंजाब'' लोकसभा में अपने सदस्यों के अनुपात में आवश्यक वित्तीय हिस्से में अपना योगदान देगा।

(3) अन्य राज्यों में रहने वाले सिक्खों एवं अन्य समुदायों को पक्षपात के विरूद्ध रक्षा करने के लिए उचित संवैधानिक एवं राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करना।

(4) अकाली दल भारतीय संविधान को सच्चे अर्थों में संघीय वनाने में भरसक प्रयास करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है।

(5) अकाली संगठन के विचार में वर्तमान विदेश नीति (कांग्रेस सरकार द्वारा निर्मित) देश के लिए दोषपूर्ण, अप्रभावक एवं खतरनाक है तथा मानवता के लिए हानिकारक है। अकाली दल शांति एवं सौहार्द्रता आधारित विदेश नीति का समर्थन करेगा जिसमें राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। इससे पड़ोसी देशों से, जहां सिक्ख रहते हैं भाईचारे एवं सद्भावना को बल मिलेगा।

(6) सिक्खों के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करना अकाली दल के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा।

(7) सुरक्षा दलों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए नागरिक जीवन में उनके पुनर्वास के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करना भी इस संगठन का मूलभूत कर्तव्य होगा। इससे उनके अधिकारों, आत्मसम्मान एवं उनकी वाणी को बल मिलेगा।

(8) अकाली दल का मत है कि वे सभी स्त्री-पुरूष जिन्हें किसी अपराध के तौर पर न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दिया गया है, उन्हें छोटे-मोटे हथियार जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, राइफल रखने का अधिकार होगा तथा इनके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें रखने के लिए पंजीकरण ही पर्याप्त होगा।

(9) अकाली दल नहीं चाहेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर मद्य-पान एवं धूम्रपान किया जाए।

# 3

## दहशत भरा पंजाब

# पंजाब की दुर्दशा : बढ़ता आतंकवाद

आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पारित होने के बाद पंजाब में आंदोलन प्रारंभ हो गये थे इन आंदोलनों ने 1980 से अपनी गति पकड़ी। हिंसा और आंतक का ऐसा दौर शुरू हो गया जिससे न केवल पंजाब बल्कि सारे देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता को संकट पैदा हो गया था। धीरे-धीरे आंदोलन का स्वरूप बदलता गया और उसने उग्रता और हिंसा का विकराल रूप धारण कर लिया जहां खुलेआम हिंसा की वकालत की जाने लगी और बेगुनाह निर्दोष तथा असहाय लोगों की हत्या होने लगी। जघन्य अपराधों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। अकालियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में चलाये गये इस आंदोलन को तीव्रता देने के लिये विदेशों में रहने वाले सिख-समुदाय के कुछ सदस्यों ने एक पृथक सिख राज्य की मांग को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। अमरीक सिंह, जनरैल सिंह भिंडरावाले और कुछ अन्य लोगों के भड़काऊ बयानों ने भारत में पृथकतावादी गतिविधियों को आग में घी डालने का काम किया।

हालांकि यह बात सही है कि अकाली दल के नेताओं ने अपनी मांगों में अलगाववादी जैसी कोई मांग नहीं रखी थी। अकाली आंदोलन आनन्दपुर साहिब में पारित प्रस्तावों पर ही चल रहा था किन्तु विदेशों में रहने वाले कतिपय ऐसे संगठन गतिशील हो गये जिन्होंने अलगाववाद का बीजारोपण करने की चेष्टा कर अकाली आंदोलन के 'मूल' स्वरूप को ही विकृत करने की सक्रिय पहल की और आंदोलन ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया था। ऐसा लगने लगा कि अकाली दल के नेताओं के हाथ से आंदोलन की बागडोर छूट गई। ''क्योंकि पंजाब की समस्या का 'मूल' अकाली दल द्वारा 1981 में पेश की गई मांगें नहीं, बल्कि विदेशों में कार्य कर रहे थोड़े से ग्रुपों के सक्रिय समर्थन से पृथकतावादी तथा राष्ट्र विरोधी आंदोलन का बल पकड़ना था। पृथकतावादी और आतंकवादी ग्रुपों ने जो तरीके अपना रखे थे वे थे हिन्दुओं और सिखों के बीच कटुता तथा नफरत पैदा करने के लिये क्रमबद्ध अभियान, गुरूमत केम्पों के बहाने पृथकतावादी विचारधारा उत्पन्न करना, आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण, पंजाब की पुलिस तथा प्रशासन में विशिष्ट लक्ष्यों के खिलाफ आतंकवाद का उपयोग, जो असहायक हों, उनकी हिटलिस्ट तैयार करना और उनकी हत्यायें कराना, आतंक फैलाने तथा साम्प्रदायिक हिंसा उकसाने के उद्देश्य से समुदाय विशेष के लोगों की हत्यायें कराना, पूजा स्थलों पर हथियार, गोला-बारूद के भंडार जमा करना। हथियार गोला-बारूद प्राप्त करने तथा बैंकों, हीरे जवाहरातों की दुकानों तथा घरों को लूटने, तस्करों और समाज विरोधी तत्वों का इस्तेमाल करना। गुप्त रूप से तथा खुले तौर पर बाहरी स्त्रोतों से समर्थन प्राप्त करना, यह सब उन्होंने स्वर्ण मंदिर के पवित्र परिसर, पंजाब तथा अन्य जगहों पर स्थित अन्य गुरूद्वारों में रहकर किया। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुये गुरूद्वारों में पुलिस बल भेजने की सरकार की इच्छा न होने का पूरी तरह नाजायज फायदा उठाया गया। इन तत्वों ने हत्या, तोड़-फोड़, आगजनी और लूटपाट का निर्देश देकर और ऐसे कार्य करके पवित्र पूजा स्थलों का दुरूपयोग किया उनकी कार्यवाही से पंजाब में

अव्यवस्था व अराजकता फैल गई। जिसके कारण कानून का पालन करने वाले लोगों के मन में भारी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। विभिन्न समुदायों के बीच फूट पड़ जाने का खतरा सचमुच पैदा हो गया था।'' विद्रोह की स्थिति तेजी से पैदा होती जा रही थी जिससे देश की एकता तथा प्रादेशिक अखण्डता को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। (पंजाब आंदोलन श्वेत पत्र, 10 जुलाई 1984 प्रस्तावना)

सन् 1980 से सन् 1984 के बीच ही पंजाब में आतंकवाद का जबरदस्त बोलबाला था। लूट-पाट, हत्या, आगजनी, प्रतिदिन हो रही थी- निर्दोष-निहत्ते, नागरिकों का सरेआम कत्ल हो रहा था। इसी बीच पंजाब में कट्टरपंथी सिखों और निरंकारियों में भी दंगे हो रहे थे। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारियों के गुरू और प्रमुख बाबा गुरूबचनसिंह की हत्या कर दी गई थी। इसका असर सारे पंजाब में हुआ और शनैः शनैः उग्रवादी अपने लक्ष्य में कामयाब होते प्रतीत होने लगे।

पंजाब में दूसरी जघन्य और विशिष्ट हत्या हुई 1981 में, लाला जगतनारायण की हत्या क्योंकि उन्होंने निरंकारियों को मारे जाने की आलोचना की थी। हत्या का यह सिलसिला धीरे-धीरे व्यापक हो गया। पंजाब अशांत हो उठा। 1981 में ही इण्डियन एयर लाइंस के एक हवाई जहाज का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। इस तरह आतंक से पूरा पंजाब भयभीत हो उठा। आंदोलन उग्र होता गया। दल खालसा ने भी आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का कर दहशत पैदा की गई। गौ-हत्या आंदोलन को धमकी दी जिससे साम्प्रदायिक तनाव बिगड़ने की बहुत आशंका थी। इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने 1 मई 1982 को ''दल खालसा'' और राष्ट्रीय खालिस्तान परिषद को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया था।

29 अप्रैल 1982 को संसद द्वारा पारित एक संकल्प का पाठ - ''संकल्प किया गया कि यह सदन पंजाब में हाल ही में पैदा हुई स्थिति पर अपना गहरा दुःख और चिंता प्रकट करता है और राज्य की देशभक्त एवं शांतिप्रिय जनता में दुर्भावना, अव्यवस्था तथा गलतफहमी पैदा करने के उद्देश्य से अमृतसर में कुछ बदमाशों और आतंकवादी तत्वों द्वारा की गई पूर्वनियोजित अपवित्र कार्रवाईयों की कड़ी निन्दा करता है। सदन भारतीय नागरिकों के सभी वर्गों के बीच धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और मित्रता की राष्ट्रीय नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करता है और विश्वास करता है कि पंजाब की जनता कुछ पथभ्रष्ट एवं राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों के शरारती और गैर-जिम्मेदाराना कार्यों से अपने आपको विचलित नहीं होने देगी। सदन इस बात को दोहराता है कि कानून अपराधियों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिये अपनी कार्यवाही शुरू करेगा और विश्वास करता है कि पंजाब में सभी समुदाय और लोकमत का प्रत्येक वर्ग परम्परागत साम्प्रदायिक सद्भावना मित्रभाव और शांति बनाये रखने के प्रयास करते रहेंगे, तथा राज्य एवं अपने देश की और अधिक भलाई के लिये साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे।''

19 जुलाई 1982 को ए.आई.एस.एस. के अध्यक्ष अमरीकसिंह की गिरफ्तारी के बाद भिंडरवाले ने अपना मुख्यालय स्वर्ण मंदिर के परिसर के भीतर-गुरूनानक निवास में बना लिया। अब आंदोलन की सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होने लगीं तथा इस आंदोलन का नाम ''धर्मयुद्ध'' कर दिया गया। राष्ट्रीय खालिस्तान परिषद ने भी अपना कार्यालय स्वर्ण मंदिर में ही स्थानांतरित कर लिया।

अब मोर्चे निकलने लगे, घेराव धरना प्रदर्शन के साथ ट्रेनों में डकैती, बसों में लूटपाट, यात्रियों की हत्या आम होने लगी। आंदोलन को महत्व दिलाने- राष्ट्रीय पर्वों पर भी मोर्चा आयोजित किया जाने लगा।

1982 में एशियाई खेलों के अवसर पर तथा 1983 में राष्ट्रमण्डल, शासनाध्यक्षों के सम्मेलनों में भारी व्यवस्था के बावजूद भी अकालियों द्वारा परचे बांटे गये जिसमें, भारत सरकार की कार्य प्रणाली को कलंकित किया गया था। अकालियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये अल्टीमेटम दिया और एक निर्धारित तिथि 21 फरवरी 1983 तक उसे पूरा करने के लिये धमकी दी। इसके फलस्वरूप सरकार से बातचीत शुरू हुई लेकिन उग्रवादियों के रहते वार्तायें असफल हो गईं। अकालियों ने अब "शहीदी स्वयंसेवकों" के भर्ती का अभियान चलाया। इसके अंतर्गत 25 अप्रैल 1983 को ए.एस. अखाल, पुलिस उप महानिरीक्षक को मार डाला। पुलिस और आतंकवादियों की बीच अनेक मुठभेड़ें हुईं- अनेक पुलिस कर्मी मारे गये।

आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि विस्फोटों के माध्यम से नागरिकों को उड़ाया जाने लगा, सम्पत्ति ध्वस्त की जाने लगी। अराजकता चरमसीमा पर पहुंच गई थी। हथियारों का प्रशिक्षण शुरू हो गया- प्रशिक्षित आतंकवादियों की फौज तैयार होने लगी थी।

पंजाब के इन आतंकवादियों की गतिविधियों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ने लगा था। देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को खतरा पैदा होने लगा। ऐसी विषम परिस्थितियों के निर्मित होने के कारण 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। पंजाब को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया तथा "सशस्त्र बल" विशेष शक्तियों का अध्यादेश भी प्रभावशील किया गया। जिसे बाद में संसद ने अधिनियम पारित कर दिया।

पंजाब में सबसे घृणित कार्यवाही तब हुई, जब संविधान की अनुच्छेद 25 की प्रतियां 1984 के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर जलाई गईं। इन तमाम घटनाओं के फलस्वरूप पंजाब पूर्ण रूप से आतंकवादियों की चपेट में आ गया था। न्यायपालिका को भी डराया जाने लगा। कानून और व्यवस्था

नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई थी। जब स्वर्ण मंदिर में ही अपराधियों और असामाजिक तत्वों को पनाह मिलने लगी तब "अर्ध सैनिक बल" एक मूकदर्शक बनकर रह गया था। इस तरह की अराजकता से लोगों का मनोबल टूट गया और वे असुरक्षित महसूस करने लगे।

फलस्वरूप अब आतंकवादियों की गतिविधियां दिल्ली में भी शुरू हो गई जब एच.एस. मनचन्दा की 22 मार्च 1984 को हत्या कर दी गई। 23 अप्रैल 1984 को अकाली दल के प्रमुख नेता संत हरचन्दसिंह लोंगोवाल ने "पंथ आजाद सप्ताह" मनाने का आव्हान किया। जिसे फिर वापिस भी ले लिया गया। उल्लेखनीय है कि अकालियों के आंदोलन के तहत एक वर्ष के अंदर अनेक बैंकों को लूटा गया, डाके डाले गये। स्टेशनों में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हरबंसलाल खन्ना की हत्या की गई। हत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही थी।

अब तो गुरूद्वारे से सुरक्षा बलों के ऊपर भी गोलिया दागी जा रही थी। भिण्डरावाले तानाशाह बन बैठा था उसकी आज्ञा सबको शिरोधार्य करना पड़ती थी। सबसे दुःखदायी घटना तब हुई जब लाला जगत नारायण के पुत्र पत्रकार रमेश चन्द्र की भी हत्या कर दी गई थी।

जनरैल सिंह भिण्डरावाले ने अब सामूहिक दृष्टि से अपने दल को सशक्त बनाने की दिशा में कठोर कदम उठाये। स्वर्ण मंदिर के आसपास के निजी मकानों पर जबरन कब्जा कर लिया था। पंजाब से अन्य राज्यों को जो खाद्यान्न भेजा जाता था उसे रोक दिया गया था और कहा गया कि सरकार को कोई कर नहीं देगा, न ही बकाया रकम दी जायेगी। प्रशासन ठप्प हो गया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी पंजाब की इन परिस्थितियों से बहुत चिंतित थीं। हर क्षण वे अकालियों के साथ बातचीत के लिये तैयार रहतीं थीं और

उनकी जायज मांगों को मानने का आव्हान किया किन्तु उग्रवादियों तथा रूढ़िवादियों के आगे सब प्रयास निष्फल हो जाते क्योंकि जब अकाली वार्ता के लिये या समझौते के लिये यदि तैयार भी होते थे तो विदेशों में स्थित संगठनों में ''नेशनल काउसिंल ऑफ खालिस्तान'' जिसके स्वयंभू नेता जगजीत सिंह चौहान, ''दल खालसा'' ''बब्बर खालसा'' और अखण्ड कीर्तनी जत्था'' आदि उन्हें समझौता करने से रोक देते थे।

पंजाब की दुर्दशा बढ़ती जा रही थी। भारत सरकार बिना समय खोये अब कोई समाधान चाहती थी। इसलिये 2 जून 1984 को सरकार ने पंजाब में सेना बुलाये जाने का निर्णय लिया।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में कहा- ''जब अपार दुःख होता है तो उसे प्रगट करना कठिन होता है। इन पिछले महिनों से मेरा दिल दुःख से भरा है। हर दिन पीड़ा बढ़ती है। सब का ध्यान पंजाब की तरफ लगा है। सारा देश चिंतित है। इस मसले पर पार्लियामेंट में और बाहर कई बार चर्चा हुई है। तब भी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम कुछ नहीं करना चाहते। मैंने और मेरे साथियों ने संसद में और उसके बाहर यह साफ कहा कि हम उन सभी मांगों को मानने के लिये तैयार हैं जो अकाली दल ने आंदोलन शुरू करने से पहले पेश की थीं। लेकिन बाद में नयी-नयी मांगे सामने आती गईं। दुर्भाग्य से इस आंदोलन के नेतृत्व को आतंकवादियों ने अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे लोगों ने जो अपने मकसद को पूरा करने के लिये हत्या, आगजनी और लूटमार का सहारा ले रहे हैं।

पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा और आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इन समस्याओं को गहराई से देखिये। 1981 में अकाली दल ने बहुत सी मांगे रखी। जैसे ही यह हमें प्राप्त हुई वैसे ही मैंने अकाली नेताओं के साथ

बातचीत शुरू की। तब से सलाह मशविरा और बातचीत का सिलसिला सरकार की ओर से कभी नहीं टूटा। शुरू से ही हमने इन समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा है।

हमने विरोधी पार्टियों को भी विश्वास में लिया और बातचीत में शामिल किया ताकि कोई ऐसा हल निकल जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वीकार हो। इस बातचीत में हमारा रवैया बराबर यही रहा कि मुनासिब मांगों को स्वीकार किया जाए। पंजाब में अशांति और हिंसा से किसी का भी फायदा नहीं है, सिवाय उनका जो भारत की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्र के इन्हीं व्यापक हितों को मद्देनजर रखते हुए हम दावों और प्रतिदावों पर एक आम राय बनाने की कोशिश करते रहे।

कुछ लोग पूछते हैं कि यह सब होते हुए कोई अंतिम समाधान क्यों नहीं निकला यह सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिये जो मोर्चा और बंद का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसी मांगे, जिनका दूसरे राज्यों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता या जहां इन मांगों को एक व्यापक ढांचे में रखा जा सकता था। वहां इन्हें स्वीकार करने में सरकार ने कभी संकोच नहीं किया। मिसाल के तौर पर सरकार ने अकाली दल की वह सभी मांगे स्वीकार कर लीं जिन्हें आमतौर से "धार्मिक" कहा जाता है, और निर्णयों पर अमल की कार्यवाही शुरू की। अमृतसर शहर की चारदीवारी के अंदर निर्धारित क्षेत्रों में तम्बाकू, शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गयी और गोल्डन टैम्पल (स्वर्ण मंदिर) में होने वाले कीर्तन को आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) पर सीधा प्रसारित करने को माना लेकिन शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस प्रसारण के लिये आवश्यक सुविधायें नहीं दी। सरकार ने सिख यात्रियों को घरेलू हवाई उड़ानों में निर्धारित लंबाई की कृपाण, जिससे सभी सहमत हों, ले जाने की अनुमति दी।

संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग पहले नहीं थी लेकिन इस मामले को हमने कानूनी निगाह से नहीं देखा। जब इस मांग को पेश किया, हालांकि साथ ही संविधान की प्रतियां जलाने का निंदनीय आंदोलन किया गया, तब भी सरकार ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा सिख समुदाय के दूसरे प्रतिनिधियों से और कानून के विशेषज्ञों से परामर्श करने की तथा अनुच्छेद 25 (2) (बी) में संशोधन करके ऐसे कानून बनाने की पेशकश की थी जो इस संबंध में गलतफहमी दूर करने के लिये जरूरी हो।

केन्द्र और राज्यों के संबंध के सवाल पर विचार करने के लिये जस्टिस रणजीतसिंह सरकारिया के अधीन एक आयोग की स्थापना पहले की जा चुकी है। हमने अकाली दल से कहा कि आयोग के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत वे अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं।

दूसरी दो मांगों और दावों की बात भी आई जिनका संबंध पंजाब के अलावा दूसरे और राज्यों से भी है। ये मांगे नदी, जल और कुछ क्षेत्रों की है। नदियों के जल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अधीन एक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) को सौंपने पर सहमति हो गई थी। अकाली दल और विरोधी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रि-पक्षीय बैठक में इस बात पर सहमति भी हो गई थी। लेकिन अकाली दल अब उन सभी फैसलों को फिर से खोलना चाहता है, जो नदी जल में राजस्थान की साझेदारी के बारे में बहुत पहले उन्नीस सौ पचपन में हुये थे और यमुना जल की बात भी उठायी है।

क्षेत्र संबंधी झगड़ों के बारे में मैंने बार-बार स्पष्ट कहा है कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा बशर्ते कि हरियाणा को हिन्दी भाषी इलाकों का अपना उचित हिस्सा मिले, जो आज पंजाब में हैं। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद बदले में दिये जाने वाले इलाकों के बारे में पंजाब और हरियाणा के

बीच कोई समझौता नहीं हो सका। सरकार ने सुझाव दिया था कि चण्डीगढ़ व अबोहर फाजिल्का सहित क्षेत्र संबंधी इस सम्पूर्ण झगड़े को एक आयोग को दे दिया जाए, जिसका फैसला दोनों राज्यों को मानना होगा। दुर्भाग्य से चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को ऐसे क्षेत्र देने या इस सम्पूर्ण झगड़े को किसी आयोग को देने के सुझाव को अकाली दल ने नहीं माना।

मैं अकाली दल की मांगों के बारे में और उन पर सरकार के रवैये की विस्तार से चर्चा इसलिये कर रही हूं कि वह गलत धारणा दूर हो जाए जो कुछ लोगों के मन में है कि सरकार ने हल निकालने के लिए कुछ नहीं किया। आप गंभीरता से सोचें कि जब झगड़ों का संबंध एक से ज्यादा राज्यों से हो तो कोई भी सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है? जो असलियत उभरी है वह यह नहीं कि अकाली दल की विभिन्न मांगों पर सरकार ने जो सुझाव रखे थे वे काफी हैं या नहीं। सच्चाई तो यह है कि यह आंदोलन अब उन चंद लोगों के हाथ में हैं जिन्हें हमारे देश की एकता और अखण्डता का कोई आदर नहीं है, जिन्हें साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव या पंजाब की आर्थिक उन्नति से कोई सरोकार नहीं है।

हर तीसरे या चौथे महीने एक नया मोर्चा शुरू किया जाता है और पंजाब में दुःख और झगड़ों का वातावरण छा जाता है। आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी तत्व इसका लाभ उठाते हैं। पंजाब में दुःख अशांति और भय फैलाते हैं। मासूम लोग, सिख और हिन्दू दोनों ही मारे जा रहे हैं। आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ की घटनायें हो रही हैं। पवित्र स्थान अपराधियों और हत्यारों के छिपने की जगह बन गये हैं। इन पूजा के स्थानों की पवित्रता अपमानित हो गयी है, हिन्दुओं और सिखों के बीच जान-बूझकर कटुता फैलाई जा रही है। सबसे बुरा यह है कि जो चन्द लोग इन पवित्र स्थानों में छिपे हैं वे खुले रूप से देश की एकता और अखण्डता को चुनौती दे रहे हैं।

इस दूषित वातावरण के बावजूद समझौते की उम्मीद में हमने अकाली नेताओं के साथ बातचीत जारी रखी। लेकिन हमें बड़ी निराशा हुई कि बातचीत के दौरान कोई फैसला नहीं हो सका। जब भी समाधान करीब लगता था या तो कोई नई मांगे पेश की जाती थीं या उन मामलों पर भी जिन पर पहले सहमति हो चुकी थी, उनका रवैया सख्त हो जाता था। ऐसा लगता है कि जिन नेताओं ने यह आंदोलन शुरू किया था उनमें इसके परिणामों पर काबू करने की न तो क्षमता और शायद न इच्छा है।

इस नई स्थिति में हम क्या करें? दो बातें मैं साफ करना चाहूंगी। पहली तो यह कि पिछले दो वर्षों में अकाली नेताओं के साथ बातचीत में तमाम निराशाओं के बावजूद मैं अब भी उनसे यही अनुरोध करती हूं कि इसके समाधान का हमने जो ढांचा बनाया उसे वे स्वीकार करें। अगर किसी मामले के बारे में कोई गलतफहमी या शंका रह जाए तो उसे भी हम बातचीत से तय कर सकते हैं। लोकतंत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने का सही और एकमात्र तरीका यही होता है कि उसे बातचीत के द्वारा तय किया जाए।

दूसरी बात यह है कि सरकार सभी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिये प्रतिबद्ध अवश्य है। लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिये कि कोई भी सरकार हिंसा और आतंकवाद को समाधान का तरीका नहीं मान सकती। जो ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं, उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये।

मैं अपने सिख भाई-बहनों से खास तौर पर कहना चाहूंगी, चाहे वे पंजाब में रहते हों या भारत के दूसरे प्रान्तों में या विदेशों में। भारत सब का बराबर है। चाहे वे हिन्दू हैं या मुसलमान, ईसाई या सिख, बौद्ध या जैन, पारसी अथवा किसी और धर्म के मानने वाले, सबको बराबर के अधिकार हैं तथा सबको बराबर की इज्जत और सुरक्षा मिलनी चाहिये।

स्वयं सिख धर्म की स्थापना विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने के लिये की गई थीं। गुरू नानक देव साहिब से भी हमें सच्चाई और दया भाव का संदेश मिलता है।

हमारे राष्ट्र की आजादी का एक लंबा और शानदार इतिहास है, जिसमें पंजाब और सिखों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिख धर्म वहुत सी सम्य बातों के लिये प्रसिद्ध है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि कुछ थोड़े से लोग इस बहादुर और देशभक्त कौम की छवि को बिगाड़ न सकें तथा उन ऊंची मर्यादाओं को, जिनके लिये सिख धर्म प्रसिद्ध है किसी भी प्रकार से कुचल न पायें।

समय क्रोध का नहीं है। काफी खून बह चुका है। हिंसा हो रही है और कुछ हिन्दू शायद सोच सकते हैं कि आतंकवादी का मुकाबला करने का यही एक तरीका है। इससे खतरनाक ना समझी की बात क्या हो सकती है। हम भूले नहीं कि भविष्य की जिम्मेदारी हम सब की है, ऐसा भविष्य जिस पर गर्व हो।

आज मेरा हर देशवासी से अनुरोध है कि वे ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। पंजाब के लोगों पर इतिहास ने बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें आगे का सोचना है। क्या आप भी इन लोगों का साथ देना चाहेंगे, जिनका इरादा भारत को कमजोर करने का है और जो चाहते हैं कि भारत अंधेरे और अस्थिरता में डूब जाए? सरकार की जिम्मेदारियों का मुझे पूरा अहसास है लेकिन ऐसे समय जब जज़बात भड़क उठे हों और हम खतरों से घिरे हों तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह हिंसा को रोकने और आतंकवादियों का हिम्मत से मुकाबला करने में सरकार को सहयोग दे और संयम से काम ले।

इतना समय गुजर जाने पर भी, मैं अकाली नेताओं से अपील करती

हूँ कि वे अपने आंदोलन को वापिस ले लें। एक और आंदोलन इस समय छेड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा बल्कि उससे राष्ट्रविरोधी तत्वों को मजबूती मिलेगी। शांतिपूर्ण हल के लिये जो पेशकश हमने की है उसे वे स्वीकार करें।

आइए, हम सब मिलकर जख्मों पर मरहम लगायें। जिनकी जानें गई हैं, उनके प्रति यही श्रद्धाजंलि होगी कि हम पंजाब में सामान्य स्थिति और सद्भाव को फिर से बहाल करें विकास, उन्नति और समृद्धि के पथ पर पंजाब को फिर से ले चलें।''

# 4

# ऑपरेशन ब्लू स्टार

पंजाब में आतंकवादियों के हाथ में पूरा का पूरा आंदोलन चला गया था। कानून व्यवस्था चरमरा गई थी- लूट-पाट, आगजनी, हत्यायें दिन-रात, दुगनी-चौगनी होती जा रही थीं। आतंकवादियों का प्रभाव पंजाब के साथ-साथ जब देश पर होने लगा तब सरकार को विवश हो पंजाब और केन्द्र शासित चण्डीगढ़ में हिंसा, आतंकवाद और साम्प्रदायिक शक्तियों को दबाने के लिये सेना को भेजना पड़ा। 2 जून 1984 को पंजाब में नागरिक प्राधिकारियों के सहयोग के लिये सेना को आदेश दिया गया और उसे सभी जिलों में उपयुक्त स्थानों पर तैनात कर दिया गया था। उल्लेखनीय यह कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सेना के अधिकारियों को दिये।

पंजाब में पूरी सैनिक कार्यवाही का दायित्व पश्चिमी कमाण्ड के जनरल आफिसर कमांडिंग प्रमुख लेफ्टीनेंट जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी पर था और उनका साथ दे रहे थे लेफ्टीनेट जनरल रणजीत सिंह दयाल एवं मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार

अमृतसर में सैनिक कार्यवाही का नेतृत्व कर रहे थे। उनहोंने स्वर्ण मंदिर परिसर का सूक्ष्म निरीक्षण किया, परिक्रमा की। उस समय स्वर्ण मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी। गुरू अर्जुन देव का शहीदी दिवस होने के कारण श्रद्धालुओं और यात्रियों का आना-जाना लगा हुआ था। इस दिन का तीर्थ यात्रियों के लिये सरदार सरोवर में स्नान का विशेष महत्व था।

मेजर जनरल कुलदीप सिंह अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे अतएव उन्होंने अपनी सेना की रणनीति तय की और जो हिदायतें उन्हें दी गई थीं, उनका पालन करते हुये उन्होंने सैनिक कार्यवाही को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 जून 1984 को सैनिक कार्यवाही की उपादेयता पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारण किया। उसके बाद ही आतंकवादियों ने हिंसा को दूना कर दिया और 2 जून की रात्रि को ही कर्फ्यू लगा दिया गया और 3 जून को सेना ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी और उसे सभी जिलों में उपयुक्त स्थानों पर तैनात कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सेना के अधिकारियों को दिये जो निम्नलिखित हैं-

1. सभी पवित्र स्थानों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित होना चाहिये।

2. स्वर्ण मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण स्थल हरमंदिर साहिब को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिये।

3. प्रत्येक गुरूद्वारों के दरबार साहिब को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये।

4. विस्फोटक और प्रज्जवलनशील हथियारों का न तो उपयोग होना चाहिये और न ही गोला-बारूद का।

5. आतंकवादियों के किन्हीं भी धार्मिक स्थलों या अन्य स्थलों में छिपे होने के संदेह को पुष्ट करने के लिये लाऊड स्पीकरों द्वारा सचेत कर बाहर आने की एवं हथियार डालने की सूचनायें निरन्तर प्रसारित होना चाहिये।

6. पूजा स्थलों पर चमड़े की कोई भी वस्तु पहनकर नहीं जावें और सामाजिक-धार्मिक संस्कारों के अनुसार ही आदर-सम्मान प्रदर्शित होना चाहिये।

7. खून-खराबा रोकने के लिये आतंकवादियों को समर्पण करने की सूचनायें प्रसारित करना चाहिये।

राज्यपाल को पंजाब के साथ-साथ अस्थाई तौर पर चण्डीगढ़ का भी प्रशासनिक दायित्व सौंप दिया गया।

आतंकवादियों की जबरदस्त सामरिक घेराबंदी थीं उन्होंने प्रशिक्षित सैनिकों की तरह तैयारियां की थीं। "आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को वास्तव में ऐसे किले में बदल दिया था जहां से वे उन्हें चुनौती देने वाले किसी भी अर्धसैनिक अथवा सैनिक बलों पर आक्रमण कर सकें। उन्होंने सैनिक कार्यवाही और विस्फोटक पदार्थों तथा उन्नत हथियारों के प्रयोग का व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था। उन्होंने अपनी ही संचार व्यवस्था बना रखी थी और कई महिनों के लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज जमा कर रखा था। भूतपूर्व अनुभवी सैनिकों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया गया था और युद्ध की योजना बहुत कौशल से बनाई गई थी। जिससे कि मंदिर परिसर के तहखानों, भूमिगत रास्तों, गुप्त जगहों, घुमावदार सीढ़ियों, निगरानी चौकियों तथा टॉवरों का सामरिक दृष्टि से अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। कई तरह की वर्दियां पहने ये आतंकवादी अच्छे नियमित सैनिकों

की तरह प्रशिक्षित तथा हथियार बंद थे'' ..... (पंजाब आंदोलन पर श्वेत पत्र 1984)

सेना बहुत ही सतर्कता के साथ सभी हिदायतों का पालन करती हुई आगे बढ़ रही थी। 5 जून 1984 को कुछ आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके पश्चात् सैनिकों ने अश्रुगैस के गोले छोड़े जहां अकाल तख्त के करीब आतंकवादी छिपे हुये थे किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। धीरे-धीरे सेना आगे बढ़ने लगी और स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ के क्षेत्र में कार्यवाही शुरू कर दी। फायरिंग करती हुई सेना ने कुछ देर के लिये गोलियां चलाना बंद कर दिया ताकि स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादी अपने हथियार डाल दें। स्वर्ण मंदिर के परिसर में ही आतंकवादियों का नेतृत्व जनरैल सिंह भिण्डरावाले कर रहा था वहीं पर अकाली मोर्चा के नेतागण हरचंदसिंह लोगोंवाल, गुरूचरण सिंह टोहरा आदि उपस्थित थे।

मेजर जनरल कुलदीपसिंह बरार की रणनीति थी कि पुनः कार्यवाही करने के पूर्व समर्पण हो जाये। लेकिन इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा। पंजाब का पूरे देश से रेल, बस और वायु मार्ग से सम्पर्क कट चुका था। टेलीफोन और टेलेक्स भी काट दिये गये थे और पाकिस्तान की सीमा को सील कर दिया गया था। इसी तरह जैसे स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्यवाही हो रही थी उसी तरह 37 अन्य गुरूद्वारों को भी सेना ने घेर लिया था। समझा जाता था कि इन गुरूद्वारों में भी जनरैल सिंह भिण्डरावाले के समर्थक छिपे हुये हैं। पटियाला गुरूद्वारे में छिपे आतंकवादियों ने सेना का डटकर मुकाबला किया। इधर सेना की कमान मेजर जनरल गुरूदयाल सिंह कर रहे थे।

सेना के ये प्रमुख अधिकारी जानते थे कि जनरैल सिंह भिण्डरावाले और अकाली मोर्चे के नेता हरचन्द सिंह लोगोंवाल में अनेक सैद्वान्तिक

मतभेद थे और दोनों के गुटों में झड़पें भी होती रहती थीं। इन अधिकारियों को जो महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये थे उनमें यह भी था कि सेना का कम से कम उपयोग हो और स्वर्ण मंदिर अकाल तख्त तथा हरमिंदर साहिब को कोई क्षति न पहुंचाई जाये। लेफ्टीनेंट जनरल दयाल ने सेना को सख्ती से इन आदेशों का पालन करने के निर्देश भी दिये थे। जहां अनेक बंदिशों के साथ सेना को अपना लक्ष्य पूरा करना था। लेफ्टीनेंट जनरल सुंदर जी ने भी इस सैनिक कार्यवाही को सबसे अधिक सावधानी बरतते हुये अपने ढंग की अपूर्व कार्यवाही निरूपित किया था। कार्यवाही करते समय मन में संवेदनायें और ईश्वर की प्रार्थना ही संबल थी ताकि सतर्कता के साथ कार्यवाही पूर्ण हो जावे।

जनरैल सिंह भिण्डरावाले को स्वर्ण मंदिर परिसर से बाहर निकालना था अतएवं लेफ्टीनेंट जनरल दयाल ने अपनी रण योजनानुसार मंदिर और होस्टल कॉम्पलेक्स को अलग-अलग कर देना उचित समझा था ताकि होस्टल कॉम्पलेक्स को लोग खाली कर दें। इस तरह सैनिक जहां एक ओर बढ़ रहे थे वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों की गोलीबारी से हताहत भी हो रहे थे। अकालतख्त से तो स्वचलित हथियारों से गोलीबारी की जा रही थी। इन सबके बावजूद सैनिकों ने संयम से काम लिया और हरमंदिर साहिब को कोई क्षति नहीं पहुंची।

सैनिक कार्यवाही से एक सफलता तब मिली जब 6 जून को हरचन्दसिंह लोंगोवाल और जी.एस. टोहरा ने अपने कुछ साथियों सहित गुरूनानक साहब के पास आत्मसमर्पण कर दिया। आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। अनेक हताहत हुये और अनेक मारे गये। 6 जून तक सैनिक कार्यवाही को सफलता मिलने लगी थी। हरचन्दसिंह लोंगोवाल और जी.एस. टोहरा के समर्पण के कारण आतंकवादियों में कुछ हताशा दिखाई दी लेकिन उसका कोई सफल निष्कर्ष नहीं निकला। सैनिक अकालतख्त के अंदर आ

गये थे। उन्होंने आस-पास के हर कमरे में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू कर दी और अंततः अकाल तख्त अकालियों से मुक्त करा लिया। आत्म समर्पण की घोषणा के साथ अनेक आतंकवादी आगे आ गये और हथियार डाल दिये। अकालतख्त के पास नीचे की मंजिल और तहखानों में ही अनेक शव पाये गये जिनमें भिण्डरावाले और अमरीक सिंह के शव भी थे। सैनिक कार्यवाही उन धार्मिक स्थलों पर भी हुई जहां आतंकवादी छिपे हुये थे। उनमें प्रमुख हैं मोगा और मुक्सर के गुरूद्वारे जहां आतंकवादियों से सेना को कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इसके साथ-साथ ऐसे लगभग 42 पूजा स्थलों से भी आतंकवादियों की मुठभेड़ सेना से हुई जैसे - फरीदकोट, पटियाला, रोपण आदि। सेना की अंतिम कार्यवाही 7 जून तक चलती रही।

स्वर्ण मंदिर परिसर आतंकवादियों से और गोलाबारूद के भण्डारण से मुक्त हो गया था। आतंकवादियों ने या तो हथियार डाल दिये थे अथवा मारे गये। इस तरह सैनिक कार्यवाही समाप्त तो हो गई किन्तु पंजाब में अभी आतंकवादी गतिविधियां पूर्ण तरह समाप्त नहीं हुई थीं। अंतर केवल अब इतना था कि आतंकवादियों का जो प्रमुख अड्डा स्वर्ण मंदिर परिसर और अन्य गुरूद्वारे थे, उनमें अब कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं जा सकता था।

सैनिक कार्यवाही के बाद "कार सेवा" शुरू हो गई थी और शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंध समिति ने सभी प्रवेश द्वार पर इस आशय के नोटिस चस्पा कर दिये कि "हथियार लेकर परिसर के अंदर आना मना है।" सूचना में लोगों से कहा गया कि वे प्रवेश करने से पूर्व अपने शस्त्र प्रबंध समिति की चौकी पर जमा कर दें।"

इस तरह जहां "कार सेवा" शुरू हो गई थी वहीं "सैनिक कार्यवाही" पर पूरे देश में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। एक ओर लोग कह रहे

थे कि आहत सिखों का रोष रत्तीभर भी कम नहीं हुआ और दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा सरकार के इस कदम को उचित समय पर उचित वतलाया जा रहा था।

यहाँ इस मिश्रित प्रतिक्रिया के दो महत्वपूर्ण उदाहरण उद्धृत हैं।

पहला है डॉ. महीप सिंह का उन्होंने कहा कि "कुछ मुट्ठी भर सरकार समर्थक सिखों को छोड़कर सिखों के दो वर्ग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग विदेशों में बसे और पंजाब में भिण्डरावाले समर्थक उन सिखों का है जो यह मानता है कि अब इस देश में उनका गुजारा नहीं। भारत की हिन्दू सरकार उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है, इसलिये स्वतंत्र खालिस्तान ही उनकी मंजिल है। दूसरे वे सिख हैं जो इस सम्पूर्ण उत्तेजना के बावजूद स्थिति का अधिक गहराई और विवेक से विवेचना करते है। वे सैनिक कार्यवाही को सिखों पर सरकार का हमला मानते हैं। वे मानते हैं कि वे भारत के अभिन्न अंग हैं। सम्पूर्ण भारत उनका "स्थान" है। सम्पूर्ण भारत में वे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीते रहे हैं और भविष्य में भी जियेंगे। यह वर्ग यह भी मानता है कि पंजाब के आर्य समाजी या जनसंघी मानसिकता वाले हिन्दुओं को छोड़कर शेष भारत के हिन्दू-सिखों के साथ सद्भावना अनुभव करते हैं। इसलिये लड़ाई सरकार से है न कि अन्य किसी से।"

कुछ संस्थाओं के प्रयासों के कारण सैनिक कार्यवाही के पश्चात् अलग-थलग पड़ते जा रहे सिखों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि इस देश में ऐसे बुद्धिजीवों, पत्रकार, राजनैतिक कार्यकर्ता, जनवादी और नागरिक स्वतंत्रता के हिमायती लोग भी हैं जो उनकी समस्या और व्यथा को समझते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर अधिनायकवादी शक्तियों के साथ संघर्ष करने को तैयार हैं।

पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें बहुत गहरी जा चुकी

हैं। 2 सितम्बर को विश्व सिख सम्मेलन में जो कुछ भी हुआ फिर 28 और 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर को दरबार साहिब के बाहर और अंदर सिख स्टूडेंट फेडरेशन के सिख युवकों ने जैसा प्रदर्शन किया उससे लगता है कि पंजाब को अस्थिरता और अशांति की अंधी गुफाओं में अभी काफी समय तक भटकना है। (दिनमान 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 1984)

दूसरी प्रतिक्रिया, जो सैनिक कार्यवाही का समर्थन करते हैं उसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। मध्यप्रदेश से प्रकाशित "नई दुनिया" समाचार पत्र के एक सम्पादकीय में कहा गया कि - " पंजाब में गंभीर रूप ग्रहण करती हिंसा, आतंकवाद और घृणा को रोकने के लिये और स्थिति को सामान्य बनाने के इरादे से केन्द्र सरकार और पंजाब प्रशासन ने पिछले दो-तीन दिनों में सख्त कदम उठाये हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल को पंजाब के राज्यपाल का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है और इस प्रकार भारतीय सेना ने पंजाब का भार अपने हाथों में ले लिया है। अब राज्य की पुलिस और सी.आर.पी. व बी.एस.एफ. जैसे अर्द्धसैनिक बल सेना के निर्देशन में काम करेंगे। 3 जून से पंजाब में 36 घंटों के लिये कर्फ्यू लगा दिया गया है। समाचारों के संकलन और प्रेषण आदि पर दो महिने के लिये बंदिश लगा दी गई है। आतंकवादियों और हथियारों के राज्य से बाहर जाने और आने पर अंकुश लगाने के लिये राज्य की सीमाएं बंद कर दी गई हैं। जाहिर है कि यह सब कदम न सामान्य है और न जनतंत्र से मेल खाते हैं। किसी राज्य के प्रशासन एवं न्याय तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी फौज को सौंपे जाना शांतिकालीन कदम नहीं है लेकिन यह अप्रिय कदम उठाना सरकार के लिये आवश्यक हो गया था। जैसा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 जून की रात को प्रसारित अपनी अपील में कहा कि- "पंजाब का अकाली आंदोलन धीरे-धीरे ऐसी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच गया है जिन्हें न देश की एकता का सम्मान है और न एकजुटता का इसमें कोई शक नहीं कि अकाली आंदोलन की छत्रछाया में जो हिंसा पनप रही है वह बेगुनाहों का खून बहा रही है। धर्म के नाम पर लूटपाट, आगजनी और

तोड़फोड़ की जो घटनायें घट रही हैं उन्होंने सामान्य नागरिक को शांति और सुरक्षा से वंचित कर दिया है। हिंसा और आतंकवाद के इस वातावरण में समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुलकर खेलने का अवसर मिला। शनिवार की रात अपनी मार्मिक अपील में प्रधानमंत्री ने अकाली नेताओं से कहा कि वे 3 जून से शुरू होने वाले मोर्चे को त्यागने और टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत तथा समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता पकड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खून बहाना छोड़कर घृणा त्यागें। पर अकाली नेताओं ने प्रधानमंत्री की अपील ठुकरा दी ऐसी हालत में सरकार के लिये कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। बेगुनाह नागरिकों की रक्षा के लिये और राज्य की आम जनता को आतंकवादियों की हिंसा से बचाने के लिये उसे पंजाब को सेना के हाथों में सौंपने जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। दरअसल अगर सरकार अकालियों द्वारा पैदा की गई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना स्थिति से निपटने के लिये बहुत पहले सख्त कदम उठा लेती तो राज्य अनेक त्रासदियों से बच जाता। जो भी हो सरकार का कदम भले ही देर से उठा हो पर वह वैसा मजबूत कदम है जिसकी आम जनमत को प्रतीक्षा और अपेक्षा थी। इसका प्रमाण यह है कि इस कदम का आमतौर पर स्वागत हुआ है और वामपंथी दलों से लेकर दक्षिण पंथी दलों तक ने सरकार के फौजी कदम का समर्थन किया है।'' (नई दुनिया 5 जून 1984)

पंजाब में सैनिक कार्यवाही को सेना ने एक गुप्तनाम दिया जो ''ऑपरेशन ब्लू स्टार'' के नाम से जाना गया।

सैनिक कार्यवाही के संदर्भ में भारत सरकार ने सांसदों और देशवासियों को पंजाब समस्या समझने और सैनिक कार्यवाही के औचित्य पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इस पर 25 जुलाई 84 को संसद में बहस हुई। बहस का उत्तर श्रीमती गांधी ने विस्तार से दिया। उन्होंने कहा, ''मेरे और सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने संकट

को बढ़ने दिया जिससे कि चुनाव के अवसर पर फायदा उठाया जा सके। यह आरोप आपत्तिजनक है जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं।

कांग्रेस ने सदा हर तरह की साम्प्रदायिकता का मुकाबला किया है। मैंने इस सदन में कहा है, यदि आप 1966 से लेकर आज तक के कागजात को देखेंगे तो आप पायेंगे कि साम्प्रदायवादियों के विरूद्व कितना बोला है। अब भी मैं हर प्रकार के सम्प्रदायवाद और हर प्रकार के अतिवाद के कितना विरूद्व हूं।

आज सम्प्रदायवाद ने दूसरा रूप ले लिया है और वह रूढ़िवाद कहलाता है। मैं स्पष्ट कर हूं कि रूढ़िवाद किसी एक ही सम्प्रदाय में नहीं है। मैं सिख रूढ़िवाद की बात नहीं कर रही बल्कि हिन्दू रूढ़िवाद, मुस्लिम रूढ़िवाद और ईसाई रूढ़िवाद भी है। हर धर्म समझता है कि उसे कट्टर रूख अपनाना चाहिये। सिखों को असली सिख नहीं समझा जाता क्योंकि वे अकाली दल से संबंध नहीं रखते। मुसलमान क्या कहते हैं? कि जो कांग्रेस में हैं या कम्यूनिस्ट हैं वे असली मुसलमान नहीं क्योंकि वे मुस्लिम लीग या ऐसे ही संगठन से संबंध नहीं है। यही कारण है कि हमारी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा आदर्श धर्मनिरपेक्षता है- क्योंकि हमारे व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य हैं और किसी संकीर्ण विचार तक सीमित नहीं हैं। हमें विचारों की संकीर्णता, धार्मिक क्षेत्र की संकीर्णता अन्य क्षेत्रों की तंगदिली से संघर्ष करना है। यह आधारभूत भारतीय परम्परा है। .... हम इधर-उधर नहीं भटकते जैसे कुछ लोग और कुछ देश। हमने एक रास्ता चुना है, सबसे मुश्किल रास्ता। पुराने में से श्रेष्ठता को ढूंढ निकालना जिसे हम आधुनिक में भी श्रेष्ठ मानते हैं। .... हम दुविधा में नहीं पड़ते। भारत ने आवाज उठाई है और आवाज उठाता रहा है, न केवल अपनी जनता के लिये बल्कि अनगिनत करोड़ों लोगों के लिये विश्व की आबादी की बहुसंख्या के लिये और हम दूसरों की सहायता के लिये बराबर में आने के सदा इच्छुक रहे हैं।..."

## एकता एक राष्ट्रीय मुद्दा

"राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हर राजनीतिक पार्टी और सभी भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस तरह मेरे लिये और मेरी पार्टी के लिये राष्ट्रीय एकता और एकजुटता हमारा परम उद्देश्य है और इसके आड़े कुछ नहीं आ सकता न तो चुनाव ही और न कुछ और ही सही।

आज जो कुछ पंजाब में हो रहा है बेकसूर लोगों के प्रति सिर्फ क्रूरता और निर्दयता की कहानी ही नहीं है अपितु अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन का यह एक जोरदार प्रश्न था, आंतरिक और बाहरी तत्वों द्वारा और यदि संभव होता तो देश को विभाजित करने के लिये हमारे लिये यह एक चुनौती थी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हालांकि अन्य स्थानों पर जब हिंसा हुई, वहां सेना नहीं भेजी गई फिर पंजाब में सेना की कार्यवाही क्यों? पंजाब की स्थिति बिलकुल भिन्न है, हालांकि उसका संबंध अन्य सीमांत राज्यों से भी है।"

## बाहरी और भीतरी दबाव

"अभी विदेशी हाथ होने की बात कही गई पहले कई सदस्यों ने और भी कहा। हमसे सबूत मांगे गये। हमसे देशों और लोगों के नाम बताने के लिये कहा गया। हम इस समय किसी अदालत में नहीं बैठे हैं, इस समय ऐतिहासिक शक्तियों और आंदोलनों से हमारा वास्ता है। हम अपनी आजादी की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं।"

## अकाली मांगे

"मुझे वताया गया कि जुलाई 1981 में शिरोमणि गुरू द्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री टोहरा और अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी श्री गुरूदयाल

सिंह अजनोहा ब्रिटेन और अमेरिका गये। हमारे लिये विश्वास करने के कारण हैं कि उन्होंने अलगाववाद के प्रस्तावकों से भेंट की। मैं नाम नहीं लेना चाहती जो इन आंदोलनों के मुखिया हैं, अन्य उनका नाम जानते हैं। तलवंडी गुट के महासचिव और बादल सरकार के भूतपूर्व मंत्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक आवेदन पत्र भेजा कि सिखों का एक राष्ट्र के रूप में सह सदस्य की तरह शामिल किया जाये। जैसा कि हमें पता है यह आवेदन करीब-करीब उसी समय दिया गया था जब उन देशों में यह दौरा हुआ था।

सेना की कार्यवाही के तुरंत बाद मैंने किसी को स्वर्ण मंदिर भेजा। वहां महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक ने बताया कि वह अकालतख्त के इंचार्ज हैं और उसे वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वह परिसर में था उसे वहां जाने का हक नहीं था।''

## लोगों के दुःख दर्द

''जब मैं अमृतसर गई थी हमने सिखों की वेदना को सुना है तो मैंने कुछ अधिकारियों से गोपनीय वार्तालाप किया और जानकारी ली।

जिसने भी आतंकवादियों की तलाश में मदद करने की कोशिश की या सूचना दी उसके परिवार को धमकी दी गई, उसके परिवार के सदस्यों को मार डाला गया। ..... ऐसा वातावरण भयानक है इसी से हमें एक जुट होकर लड़ना है। इससे अकेले सरकार को सफलता नहीं मिल सकती। पंजाब में कुछ लोग कह रहे हैं अब आज यह करें पर जब सेना हट जायेगी तब क्या होगा। कुछ लोग सेना की वापिसी चाहते हैं।..... मैं वहां सदा सेना रखने के हक में नहीं हूं। वास्तव में वह वहां रहेगी भी नहीं। जितनी जल्दी संभव हो वह हट जाना चाहिये। पर इस बीच हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिये जिससे पंजाब के लोग सुरक्षित महसूस करें। न केवल

हिन्दू बल्कि बहुत बड़ी संख्या के सिख भी। सबके सामने तो वे कुछ भी कह सकते हैं पर अकेले में स्वीकार करते हैं क्योंकि वे आतंकवादियों के विरूद्ध थे इसलिये उन्हें धमकियां दी गई। ऐसा कोई दिन नहीं जब मुझे धमकियों की फोटोकापियों के साथ पत्र न मिलते हों जो पंजाब के लोगों के पास भेजे जा रहे हैं इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।''

## कार सेवा

''हमारी सूचना थी कि वे अकाल तख्त की मरम्मत नहीं चाहते। ये इसे भविष्य के लिये एक यादगार बनाये रखना चाहते हैं ताकि लोग उसे देखें यदि ऐसा ही रहने दिया गया तो क्या दिन प्रतिदिन यह कड़वाहट नहीं बढ़ायेगी। यही समस्या है। इसलिये हम समझते हैं कि कोई ग्रुप इसे ठीक ढंग से करना चाहता है, तो जो इस काम को करना चाहता है उसे करना चाहिये। मैं स्पष्ट कहती हूं कि यदि इसे कोई और भी नहीं करता तो इसे सरकार को करना चाहिये। पर यह की जाना चाहिये। अगर इसके बाद भी अकाली इसे तोड़ना चाहें तो यह उनका काम है। लेकिन यह हमारी कार्यवाही में टूटा है तो हमें देखना है कि इसकी मरम्मत की जावे। वह उसी हालत में छोड़ दिया जाये। उस हालत में नहीं जिसमें हमने इसे देखा क्योंकि जब हम घुसे तो यह आतंकवादियों से भरा था और हथियारों से भरा था। मेरा मतलब उससे नहीं, यह एक ऐसी मरम्मत होना चाहिये ऐसी ही खूबसूरत और ऐसी ही मजबूत और पूर्ण जैसी यह आतंकवादी दिनों से पूर्व थी। कार सेवा को प्रोत्साहित करने के पीछे हमारा यही मकसद था। मैं समझती हूं जितनी जल्दी यह काम पूरा हो जायेगा उतनी ही जल्दी सेना के लिये वहां से हटना संभव होगा।

कार सेवा की जो हिम्मत करता है तो वह संरक्षक का हकदार है। इस समय सेना मुख्य क्षेत्र में नहीं है। वह हरमंदिर साहिब में नहीं है, वह परिक्रमा में नहीं है। वह बाहर है।''

## सेना का साहस

"सेना के लिये मुश्किल काम था और उन्होंने इसे बहादुरी से किया। हमने सेना की कई अवसरों पर तारीफ की है। न सिर्फ लड़ाई के समय उनके काम की बल्कि बड़े कारगर निःस्वार्थ काम के लिये भी जो उन्होंने शांति के समय किया।..... हम हर काम के लिये सेना का उपयोग नहीं करना चाहते या उनसे असैनिक काम नहीं कराना चाहते लेकिन कुछ खास मौके होते हैं जब सेना का इस्तेमाल अवश्यम्भावी होता है।

..... पहली बात यह है कि हमें विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेदों को दूर करना है। हममें से सब और यही सभी राजनैतिक दलों की जिम्मेदारी है और सभी को इन घावों को भरना होगा। न केवल हमारे सिख साथियों को दुःख हुआ है बल्कि हम सबको दुःख हुआ है।

कार्यवाही करते समय मुझे खुद को गहरा दुःख हुआ है आप मेरे साथियों से पूछ सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती। **शायद मेरे जीवन का यह पहला और एकमात्र अवसर था जब मैं सो नहीं सकी।** लेकिन मैं समझती हूं कि इसे राष्ट्रीय हित में करना पड़ा और आज हमें देखना है कि जो गहरी खाई पैदा कर दी गई है और दोनों समुदायों के बीच जो दूरियां बना दी गई हैं उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। यह सबसे पहला कर्तव्य है। हमें किसी भी तरह की साम्प्रदायिकता से जूझना है क्योंकि यह हमारी एकता के लिये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिये हमें एक राष्ट्र एक प्राण होकर इस चुनौती का मुकाबला करना है। हमें दलगत राजनीति बीच में नहीं लाना चाहिये।

कोशिश देश में संतुलन बनाये रखने की है कि हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। और न केवल अपनी एकता को मजबूत बनायें, उसे सुसंगठित भी करें ताकि समाजवादी विकास के अपनाये हुये अपने रास्ते पर

हम दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। हमें अपने राष्ट्रीय संघर्ष की अपनी परम्पराओं को फिर जगाना है। हमें तमाम लोगों को आगे बढ़ाना है। हमें जन आंदोलन, एकता का आंदोलन चलाना होगा, जैसा कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और मेरे पिताजी ने स्वाधीनता संग्राम के बाद भी जारी रखा। आजादी खतरे में है- उसकी पूरी शक्ति के साथ रक्षा करनी है।

आज हमें इस बात की जरूरत है कि अपने राष्ट्रीय संघर्ष की परम्पराओं को पुर्नजागृत करें और नये समाज की दृष्टि से लोगों को आगे बढ़ायें। **जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है**। ... हमें मलाल पैदा करने के कारणों को समाप्त करना है लेकिन एक संगठित भारत के निर्माण के लिये एक बहुत बड़ा काम है। हमें अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और क्षणिक लाभों से ऊपर उठना है। भविष्य की ओर देखिये जो उनके बलिदानों का फल है जिन्होंने हमारे देश की आजादी और उसकी रक्षा के लिये अपने जीवन होम किये हैं।...''

# 5

# इंदिरा जी की हत्या राजीव गांधी नये प्रधानमंत्री

इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जावेगा- वे एक महान और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थीं। वे तिलक की तरह नेता नहीं या महात्मा गांधी की तरह नायक नहीं और न ही वे अपने पिता पं. जवाहर लाल नेहरू की तरह स्वप्नदर्शी थीं अपितु श्रीमती इंदिरा गांधी में इन तीनों नेताओं के गुण मौजूद थे। उन्होंने अपने जीवन में पं. जवाहर लाल नेहरू के स्वप्नों को साकार किया और उन्हें जिया है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अदम्य उत्साह, साहस और धीरज के साथ राजनीतिक कौशल प्रदर्शित कर जिस तरह से देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया है वह अद्वितीय है। वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं।

श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था। इसे विधि की विडम्वना कहें .....। यह भी सच है कि ऐसी विडम्बनाएं कालान्तर से

मनुष्य जीता आया है - इन विडम्बनाओं के पूर्वाभास भी होते हैं किन्तु आज तक ऐसी घटनाओं के पूर्वाभास होने पर भी मानव कभी उसे टाल नहीं सका, उसकी सत्यता को आंक नहीं सका। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार तो प्रसिद्ध लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास से एक साक्षात्कार में कहा था कि "मैं .... मेरी इच्छा है कि मेरी मौत गांधी जी की तरह हो अचानक, किसी लंबी बीमारी के बाद नहीं - क्योंकि मैं जानती हूं कि जिन्दगी और मौत के संघर्ष में मेरे पिता ने कितनी असहनीय वेदना झेली थी।" (विल्ट्ज 10 नवम्बर" 84)

उनकी मृत्यु के बारे में यह कामना और फिर 30 अक्टूर 1984 को उड़ीसा प्रदेश के दौरे के वक्त भुवनेश्वर की एक महती सभा में अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहना, कि **"मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि मैं रहूं या न रहूं - लेकिन जब तक मेरी अंतिम सांस है तब तक मैं देश की सेवा करती रहूंगी और जब भी मेरी जान जायेगी, मेरे खून का एक-एक कतरा भारत को मजबूती देगा और अखण्ड भारत को जीवित रखेगा।"**

यह बात उन्होंने 30 अक्टूबर को कही और 31 अक्टूर 1984 को 1, सफदरजंग उनके निवास के अहाते में उनके ही अंगरक्षक सब इंस्पेक्टर बेअंतसिंह और सिपाही सतवंतसिंह ने बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी। सबसे पहिले बेअंतसिंह ने अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाईं फिर सतवंतसिंह ने अपनी स्टेनगन से उन्हें गोलियों से भून डाला। इतिहास साक्षी है कि किसी भी देश में उसके प्रधान की इतनी वीभत्स हत्या नहीं की गई और वो भी उसके अंगरक्षकों द्वारा उन्हीं के आवास में? इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद बेअंतसिंह ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुये विजयी मुद्रा में कहा था कि "मैंने तो अपना काम कर डाला- स्वर्ण मंदिर में फौजों को भेजकर उस पवित्र भूमि को अपवित्र कर डाला, अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाया मैंने तो बदला ले लिया अब जिसे जो करना हो.... करे।"

जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई उस समय श्रीमती गांधी एक विशेष वीडियो रिकार्डिंग के लिये आर.के. धवन के साथ जा रही थीं। वीडियो रिकार्डिंग करने वाले थे पीटर उसटीनोव। लेकिन परमात्मा ने तो कुछ और रचा था - इंदिरा गांधी सहज सरल और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक बहादुर नारी थी। जब वे साक्षात्कार देने जा रहीं थीं तब उन्होंने सहजता से बेअंत सिंह की ओर देखकर मुस्कराया- उनका मुस्कराना था कि उसने दनादन अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाना शुरू कर दिया - और उसका साथ दिया सतवंत सिंह ने। गोलियों की आवाज सुनते ही भारत-तिब्बतीय सिपाहियों की जो एक टुकड़ी वहां तैनात थी- उसके एक सिपाही ने बेअंतसिंह को गोली मार दी।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा जैसी होना चाहिये थी वैसी नहीं थी जब सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी को प्रतिदिन हजारों धमकी भरे पत्र मिल रहे थे तब इतनी ढीली सुरक्षा क्यों रही। आज तक देशवासियों को इस बात का सही उत्तर नहीं मिला। सारा देश जानता है कि "ऑपरेशन ब्लू स्टार" के बाद तो उनकी सुरक्षा और मजबूत होनी चाहिये थी जो नहीं थी। पुलिस के उच्च अधिकारी एवं खुफिया एजेंसी जानती थीं कि इन दोनों हत्यारों के पंजाब के आतंकवादियों से घनिष्ट संबंध रहे हैं- और ये दोनों ड्यूटी समाप्त करने के बाद दिल्ली में ही आतंकवादियों से मिलते रहते थे, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री के सुरक्षा कोटे में रखा गया - जिसका परिणाम हुआ कि देश की सबसे लोकप्रिय नेता की जघन्य हत्या हो गई।

**गोलियों की कर्कश आवाज सुनकर श्रीमती सोनिया गांधी एकदम बदहवास सी बाहर दौड़ीं और उन्होंने खून से सनी श्रीमती गांधी को तुरंत ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भरती कराया।**

इसे विधि की विडम्बना कहें कि भारत जैसे महान देश की प्रधानमंत्री

पर गोलियों की बौछार की गई हो और अस्पताल ले जाने के लिये एम्बुलेंस न हो अपितु एक एम्बेसेडर कार में ले जाना पड़े। देश की सुरक्षा एजेंसीज को तो ज्ञात था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की जान को खतरा है इसके बावजूद विषम स्थितियां बने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिये एम्बुलेंस उपलब्ध न हो।

जब इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाया गया तभी उनके प्राण पखेरू उड़ गये थे - लेकिन घटनाक्रम यह दर्शाता है कि श्रीमती गांधी की हत्या की साजिश काफी उच्च स्तरीय थी। साजिश करने वाले लोगों को श्रीमती गांधी के सुरक्षा प्रबंध की पूरी-पूरी जानकारी थी। हत्या की इसी साजिश की योजना बनाकर हत्यारे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करने में सफल हो गये।

**नियति की क्रूरता इससे अधिक और क्या हो सकती है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस समय राजीव गांधी दिल्ली से बहुत दूर कलकत्ता में हुगली के कांग्रेस जनों के बीच थे। वे कांग्रेस के सघन प्रचार हेतु कलकत्ता गये थे। वहां उन्हें सूचित किया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हालत बहुत गंभीर है चिंताजनक है और उनका दिल्ली पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। वे हुगली से कलकत्ता हेलीकॉप्टर से आये फिर वहां से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली आये। दिल्ली हवाई अड्डे से सीधे वे आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे जहां श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी अंतिम सांस ले चुकी थीं। श्रीमती सोनिया गांधी वहीं पर थीं। अस्पताल के सामने भारी भीड़ जमा थी - जैसे-जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की खबर फैलती जाती वैसे-वैसे जन सैलाब- उमड़ता जा रहा था उन सारे रास्तों पर जो आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर जाते थे।**

जंगल में लगी आग की तरह श्रीमती गांधी की हत्या की खबर सारे

देश में फैल चुकी थी - एक क्षण के लिये देश थम-सा गया गया, घड़ियों की सुई जहां थी वहीं रूक गई- हतप्रभ हताश ठगा-ठगा सा रह गया था- पूरा का पूरा भारत। फिर चेतना लौटी ऐसी कि धांय धांय करते दंगों में झुलस गये लोग। ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट के इलाके से ही दंगा शुरू हो गया- स्कूटर पर सवार लोगों की हत्यायें, आगजनी का विकराल तांडव।

**सबसे प्रमुख काम तो भड़कते दंगों को रोकना था- इसलिये श्रीमती इंदिरा गांधी की जगह नये प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना अत्यंत आवश्यक हो गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि इस समय केवल राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री का दायित्व सम्हाल सकते हैं, क्योंकि ''नेहरू इंदिरा'' का जो करिश्माई व्यक्तित्व रहा है- वह धरोहर केवल राजीव गांधी की ही विरासत है। अतः उसी शाम ''दरबार हाल'' में राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री हो गये।**

नियति की और क्रूरता कि देश में दंगे हो रहे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर अभी अग्नि को समर्पित नहीं हुआ था- और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का दायित्व सम्हालना था। मात्र 39 वर्ष के राजीव गांधी जिनके सामने एक ओर उनकी मां का शव पड़ा था, दाह संस्कार होना था वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन भी करना था। कैसी भयावह मानसिकता में राजीव गांधी ने अपना काम अपनी सारी संवेदनाओं, संताप और शोक को छोड़कर धीरज, साहस के साथ सम्हाला। यह राजीव गांधी का ही आत्मबल था।

राजीव गांधी विचार कर रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदैव देश की एकता, अखण्डता, सत्य-अहिंसा और धर्म निरपेक्षता के महान आदर्शों को जिया है और उन्हीं आदर्शों के खातिर उनका अमर बलिदान भी हुआ

है - तब देशवासी क्यों उन आदर्शों की धज्जियां उड़ा रहे हैं क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये हैं। दिल्ली के जमना पार इलाके और त्रिलोकपुरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी दंगा भड़क उठा था- विशेषकर यह दंगा सिख विरोधी था। वहशी भीड़ बढ़ती जा रही थी जो जहां दिख जाता मार दिया जाता- लूट-पाट, आगजनी ऐसी फैली मानों दरिदंगी और दहशत ही का साम्राज्य हो।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत ही साहस और धीरज के साथ दंगों से निपटने के लिये पुलिस प्रशासन को आदेश दिये- उन्होंने स्वयं दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारणों द्वारा विक्षिप्त जनता को शांति का संदेश दिया- अमन चैन कायम करने की अपील की- मंत्रिमण्डल की बैठक की, शोक प्रस्ताव पारित किया, प्रतिपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकातें की, दृढ़ता से प्रशासन में कसाव लाये, साथ ही साथ संसार भर से आये हुये राष्ट्रध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं से शोक संवेदना मिश्रित भेंट मुलाकातें की। अचानक आये हुये भारी संकट की घड़ी में राजीव गांधी ने अविश्वसनीय धैर्य का परिचय देते हुये राष्ट्र की बागडोर सम्हाली।

श्रीमती गांधी का निधन सत्तासीन एक ऐसे राजनैतिक युग का अंत है जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वयं हिस्सा लिया था- वह एक खास किस्म की पीढ़ी थी, जिसके साथ स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तिगत रिश्ते भी थे, राजनैतिक उथल-पुथल के साथ देने या छोड़ने वालों की एक राजनैतिक परिपक्वता भी थी और गांधीवाद का सीधा प्रभाव उस पीढ़ी पर था।

राजीव गांधी के साथ एक नई पीढ़ी का आविर्भाव हो रहा था जिसे इस देश के ही लोग नहीं दुनिया भर के लोग उत्सुकता, आशंका और आशा के साथ देख रहे थे।

राजीव गांधी ने ऐसे विकट संकट के समय त्वरित कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने दंगों को शांत करने की सक्रिय पहल की। दृढ़ता के साथ प्रशासन को कसा। समुचित मुआवजा की घोषणा की- जिनके मकान-दुकान जला दिये गये थे, जो लुटे-पिटे लोग थे उनको तुरंत सारी कानूनी बारीकियों को नजर अंदाज कर, राहत दिलायी। बीमा कंपनियों को आदेश दिये कि वे शीघ्र ही नष्ट हुई सम्पत्ति के मुआवजे का भुगतान करें- उजड़े हुये लोगों को बसाने के लिये आर्थिक सहायता की घोषणा और उस पर शीघ्र कार्यवाही करने की शुरूआत ने देश की आम जनता के दिल में यह विश्वास पैदा कर दिया कि राजीव गांधी इस महान देश की बागडोर सम्हालने में सक्षम हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मृत्यु उपरांत अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की जो इच्छा थी उसे पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि "जैसी निडरता और जो साहस इंदिरा गांधी ने जीवन में दिखाया उनकी मृत्यु भी वैसी ही रही उनका नाम और काम अमर रहेंगे। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु अमरता का द्वार है। बस, यह शरीर ही नहीं रहता। उसे तो पंच-तत्वों में समा ही जाना है। इसके अनेक तरीके हैं, और लोग अक्सर यह संकेत दे जाते हैं कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या किया जाये, यह बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता की इच्छा पूरी करें, इंदिरा गांधी को हिमालय से प्यार था, मन में हिमालय के प्रति श्रद्धा थीं। वह अपने आपको पहाड़ों की बेटी मानती थीं। उनसे जब भी पूछा जाता कि आप कहां रहना चाहती हैं तो उनका जवाब होता "बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों पर" औरों के लिए शायद यह ऊंची डगर जोखिम की राह होती, लेकिन उन्हें यह पहाड़ प्रफुल्लित करते थे।"

एक बार उन्होंने कहा था हम भारतीयों के लिए हिमालय विशाल

पर्वत शृंखला ही नहीं है, वह भारत के जनमानस और हमारे शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है। पर्वतों की आलौकिक छटा और पर्वत चोटियों का अभेद्य रहस्य हमें स्वयं को, सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। हिमालय बताता है कि पूरे ब्रह्मांड की तुलना में हम कितने नगण्य हैं। रचना और विनाश की समूची क्षमता के बावजूद मानव सृष्टि की व्यापकता में कितना असहाय हो जाता है। लेकिन हर मनुष्य में अमर आत्मा है जो असंभव को संभव बनाती है।

इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद अस्थियां हिमालय पर बिखेर दी जायें। सप्ताह के अंत में मैं अपनी मां की अस्थियां बर्फ के देवता के हवाले कर दूंगा। इनका एक भाग गंगोत्री में बहा दिया जायेगा जिसे मेरी मां धरती की जल की आवश्यकता का प्रतीक मानती थी। यह पवित्र स्थान भारत की महान नदी गंगा का स्त्रोत है। हिमालय में उनकी अस्थियां बिखेरने के साथ ही इंदिरा गांधी की लौकिक यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन देश की यात्रा जारी रहेगी। आइए कदम से कदम मिलाकर चलें, मजबूत दिल, मजबूत इरादे के साथ, **राजीव गांधी (दिनमान 11-17 नवम्बर-1984 से)**

राजीव गांधी के निर्देशन में देश की विकास यात्रा शुरू हो गई तथा पदभार सम्हालने के एक सप्ताह में ही जिस धैर्य, संयम और दृढ़ता के साथ परिस्थितियों पर नियंत्रण किया है वह स्वयं ही उनके देश को सम्हालने की क्षमता प्रदर्शित करती है।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिन्दुस्तान की राजनीति और उसके इतिहास दोनों जगहों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। देश की छाती पर उनकी एक अमिट छाप थी- है और रहेगी।

अंत्येष्टि में जहां एक ओर सम्मिलित होने शोकाकुल जनमेदनी उमड़

पड़ी थी वहीं दूसरी ओर विदेशों से आये राष्ट्रध्यक्षों प्रधानमंत्रियों में रूस के प्रधानमंत्री श्री तिखोनोव, अमेरिकी विदेश मंत्री जार्ज बुश, चीन के उप प्रधानमंत्री यी लिन, जापान के प्रधानमंत्री श्री नकासोने, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल-हक, बंगलादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने, नेपाल के राजा वीरेन्द्र, भूटान के राजा सिंग्मेय वांगचुक, जंबिया के राष्ट्रपति श्री काउंडा, युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे, वीएतनाम के राष्ट्रपति श्री चिन, लाओस के राष्ट्रपति सुअन्नभु, कंपूचिया के राष्ट्रपति हेंग सामरिन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लांगे, युगोस्लोवाकिया के उप राष्ट्रपति श्री जुरानोविक, नीदरलैण्ड के राजकुमार श्री क्लाज, ईरान के विदेश मंत्री अकबर विलायती, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष यासिर अराफात और सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान के पुत्र वली खान के अलावा अन्य अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्रीमती गांधी की हत्या से जहां पूरा देश शोक मग्न था वहीं मध्यप्रदेश में भी हर व्यक्ति व्यथित था। यह एक ऐसा हृदय विदारक समाचार था जिस पर एकाएक विश्वास नहीं होता था। यह श्रीमती गांधी की हत्या नहीं थी अपितु उन महान आदर्शों की हत्या की सुनियोजित साजिश थी, जिन के लिए वे जीवन पर्यन्त लड़ती रहीं। वे देश की एकता-अखण्डता को सुरक्षित रखने और अंधी साम्प्रदायिक शक्तियों को कभी न पनपने देने के लिये दृढ़ संकल्पित थीं।

शोकाकुल मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा था- ''उनके क्रांतिकारी साहसी एवं दूरदर्शी नेतृत्व में देश न केवल उन्नतशील राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है वरन् उनकी प्रेरणा से विश्व शांति और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वे देश की कोटि-कोटि गरीब बेसहारा लोगों के लिये मसीहा थीं। उनके सतत् प्रयत्नों से इन वर्गों को अपनी उन्नति के

लिये एक ऐसा संबल मिला था जिसे वे सहज भी भूल न सकेंगे। किन्तु उनका बलिदान हमें उनके बताये मार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा।...

इस शोक में इंदिरा जी की याद ही हमारा सब से बड़ा संबल है भाववेश में ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उन्हीं आदर्शों पर चोट पहुंचे जिनके लिये वे आखिरी दम तक लड़ती रहीं। सबसे बड़ी जरूरत आपसी सद्भाव और विश्वास की है क्योंकि इतने बड़े दुःख और वज्रपात को सहने के लिये हमें एकजुट रहना ही होगा, एक दूसरे को सहारा देना ही होगा।"

जहां दिल्ली में दंगे हो रहे थे वहीं समूचे देश के हर राज्यों में भी दंगों ने विकराल रूप धारण कर लिया था।

मध्यप्रदेश में भी जगह-जगह हत्या, आगजनी और लूटपाट हो रही थी। मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह ने बहुत ही सख्ती से दंगों को नियंत्रण किया। पुलिस प्रशासन ने दंगाईयों से निपटने के लिये कठोर कदम उठाये तथा प्रशासन ने दंगा पीड़ितों को राहत दिलाई, हर तरह के उचित मुआवजे की घोषणा की। स्वयं मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का दौरा कर शीघ्र ही शांति बहाली कर ली।

सबसे पहले अर्जुन सिंह ने जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया और उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ व्यापक संघर्ष के नेतृत्व का आव्हान किया। उनका पत्र इस प्रकार है- "मैं बड़े भारी मन से आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं। सहसा विश्वास नहीं होता कि हमारी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं है। देश की नेता को कुछ नृशंस हत्यारों ने हमसे छीन लिया है। लेकिन क्या वे सचमुच हमारे बीच से उठ गयी हैं? नहीं, क्योंकि हम में से हरेक में हर भारतीय में उनका अंश आज भी मौजूद है।

हम सब अपने देश से प्यार करते हैं। हम सब चाहते हैं कि यह सदा सर्वदा के लिये अखण्ड बना रहे, शक्तिशाली हो और दुनिया में उसका नाम रोशन हो।

अपनी आखरी सांस तक इंदिरा जी इसी कोशिश में लगी रहीं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिये न्यौंछावर किया और उसे वह गरिमा दी। जिस पर हम देशवासियों को नाज है। उनकी विराट आत्मा अब देश के 70 करोड़ लोगों में समा गयी हैं। वह अमर हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिटा नहीं सकती।

यह संतोष की बात है कि हम पर जो गाज गिरी वह हमें मिटा नहीं पायी। कुछ समय के लिये हम अचेत अवश्य हुए लेकिन हमारी चेतना लौट आयी हैं हमें यह समझना है कि हत्यारों के निर्दयी हाथ केवल इंदिराजी पर नहीं उठे, वे सारे देश की एकता, अखण्डता, सर्वधर्म-समभाव और भाई-चारे पर उठे हैं।

उनका वार अब भी खाली जायेगा यदि हम उन मूल्यों को बनाये रखें जिनके लिए इंदिरा जी ने अपना जीवन होम दिया, जिनकी रक्षा में वे आखिरी सांस तक लगी रहीं।

हमारा देश बहुत बड़ा है। शहीदों के बलिदान की मजबूत नींव पर खड़े हमारे देश ने सारी दुनिया के परतंत्र देशों को आजादी के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और उन्हें रास्ता दिखाया है ऐसी अनेक शक्तियां अपनी आजादी सार्थक बनाने के लिये इंदिरा जी की अगुवाई में गुटबाजी से दूर, आपसी सहयोग कर, शांति से पुननिर्माण में जुटी हुई हैं।

दुःख की बात यह है कि हमारी यह अगुवाई कुछ लोगों को फूटी आंखें नहीं सुहाती। वे चाहते हैं कि हम बिखर जाये, कुछ कमजोर हों और

लाचार होकर उनके खेमें में चले जाये। वे लगातार एक के बाद एक फरेब करते हैं। और अपनी दाल न गलते देख आखिर में इंदिरा जी पर वार किया है।

हमें उनके नापाक मंसूबों को विफल करना है और हम यह तभी कर सकते हैं जब हम इंदिरा जी के बताये रास्ते पर चलें। हम हमेशा एक रहे हैं और एक रहेंगे। धर्म, जाति, प्रांत या फिरके हमें बांट नहीं सकते। वे तो हमारी रंगारंग बनावट के अंग हैं जो भारतीयता की पहचान हैं। हमारा देश रंग बिरंगे फूलों का बाग है और यही उसकी सुंदरता है।

भारत की धरती पर जन्मा हर आदमी भारतीय है फिर चाहे वह कही रहता हो, उसका चाहे जो धर्म हो, वह चाहे जो भाषा या बोली बोलता हो, उसका लिबास, खान-पान चाहे जैसा हो, वह उसी मां का बेटा है जिसकी औलाद हम सब हैं, फिर भाई-भाई या भाई-बहन में भेद कैसा? क्या हम अपने ही दूध को लजायेंगे?

इंदिरा गांधी ने कहा था, ''जरूरी नहीं कि विदेशी खतरा हमेशा सैनिक हमले के रूप में ही हो। कई दूसरे तरीके भी हैं, जिससे देशों में अस्थिरता पैदा की जाती है और राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर बनाया जाता है। विदेशी तत्व हमारे देश में फूट डालने वाले आंदोलनों को भड़काने और उन तत्वों को प्रोत्साहन देने में दिलचस्पी लेते दिखायी देते हैं, जो हिंसक कार्यवाईयां करते हैं।

हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना है और साम्प्रदायिक शक्तियों से भी जो किसी भी धर्म भाषा या क्षेत्र के नाम पर वैमनस्य फैलाती हैं।

ऐसे दबे पांव आक्रमण का हमें हर शहर, हर गांव-घर में सामना करना होगा और पूरी ताकत से उसका संगठित प्रतिरोध करना होगा। हम

यह तभी कर सकते हैं जब हम अपने शोक और आवेश पर काबू पायें और जितनी जल्दी हो सके अपने अपने काम में मन लगायें चाहें हम खेतों में काम करते हों, या कारखानों या दफ्तरों में चाहे हम गाड़ी चलाते हों, माल ढोते हों या स्कूल कालेजों में पढ़ते हों, हमें अपने काम पर लौटना है और पहले से ज्यादा मुस्तैदी से उसमें जुटना है।

जिन्होंने इंदिरा जी पर गोलियां दागी उनका उद्देश्य महज एक व्यक्ति की हत्या का नहीं था । उनका उददे्श्य था कि देश बंट जाये, यहां के खेतों में फसलें न लहरायें, कल कारखाने बंद हो जायें, सामाजिक न्याय और शोषण विहीन समाज रचने का हमारा अभियान धीमा हो जाये । हम पहले से अधिक उत्पादन कर श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा चलाये कार्यक्रम पर पहले से अधिक तेजी से अमल कर, इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को अब भी पूरी तरह से मात दे सकते हैं ।

यह हमारा सौभाग्य है कि देश की अगुवाई करने का भार हमारे युवा नेता राजीव गांधी के सशक्त कंधों पर आया है जिन मूल्यों की रक्षा करते हुए इन्दिरा जी ने अपने प्राण होम दिये, वे राजीव गांधी को विरासत में मिले हैं ।

प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने अपनी नीतियों की घोषणा करते हुए राष्ट्र् को अपने पहले संदेश में कहा है-'भारत की एकता और अखण्डता से बढ़कर कुछ नहीं, फिरकापरस्ती का जवाब फिरकापरस्ती नहीं है भारत एक है, हम सबका है ।'

'हमारा आज का निर्माण हमारा कल बनेगा ।... (हम) प्रगति के रास्ते की रूकावटों का मिलकर मुकाबला करेंगे । एक मजबूत प्रतिभा सम्पन्न और महान भारत मिलकर बनायेंगे ।

आईये हम सब मिलकर प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करें । जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम सब पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का मनोबल बनायें रखें और साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष का नेतृत्व करें। (अर्जुनसिंह - 14 नवम्बर 1984)

# 6

# राजीव गांधी द्वारा अर्जुनसिंह का ही चयन क्यों

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय शोक के बोझिल वातावरण में देश के प्रधान मंत्री पद की बागडोर युवा नेता राजीव गांधी ने सम्भाली। देश में अनेक भीषण समस्यायें अपना मुंह बायें खड़ी हुई थी। सबसे ज्वलंत समस्या थी पंजाब की, जहां अकाली दल द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन पर आतंकवादियों ने कब्जा कर, पूरे पंजाब को घृणा और वैमनस्य की आग में झोंक दिया था। लूट-पाट, मारपीट, हत्यायें , आगजनी रोजमर्रा की घटनाये हो गई थीं।

ऑपरेशन ब्लू स्टार फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी की जघन्य हत्या फिर दंगों की व्यापकता और विकरालता को प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने बहुत ही धैर्य, साहस और कुशलता के साथ, कठोर कदम उठाते हुये विषम होती परिस्थितियों को नियंत्रित किया। पंजाब में उग्रवाद तो थमा किन्तु स्थितियां

असमान्य बनी रहीं। प्रधान मंत्री राजीव गांधी के सामने अब सबसे प्रमुख प्रश्न था कि धधकते हुये पंजाब को किस प्रकार शांत किया जावे और ऐसे कौन से राजनेता को पंजाब भेजा जावे जो पंजाब की समस्या का निदान जनतांत्रिक प्रक्रिया से हल कर सके। प्रधान मंत्री राजीव गांधी समझते थे कि अकाली आन्दोलन की प्रमुख मांगों में चण्डीगढ़, सीमा-विवाद, पानी और आनन्दपुर साहब प्रस्ताव फिलहाल गौण हो गये हैं। मुख्य समस्या है कि सिखों में कैसे विश्वास जगाया जावे ताकि वे अपने को देश में सुरक्षित महसूस करें। वे यह बात भी जानते थे कि यदि यह समस्या बनी रही तो उग्रवादी पुनः सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन सिखों में विश्वास पैदा हो तो कैसे। यही यक्ष प्रश्न प्रधान मंत्री के मस्तिष्क में कौंध रहा था। वे सोच रहे थे कि इस विकराल समस्या और उसके मूल में सिखों के मन में आत्म विश्वास और सुरक्षा की भावना कैसे प्रतिष्ठापित की जावे। इसी उधेड़ बुन में प्रधान मंत्री ने पूरे देश में ऐसे सक्षम, प्रशासनिक दक्षता और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत नेता की तलाश शुरू कर दी थी जो पंजाब की समस्या सुलझा सकें और अंततः उनकी दृष्टि अर्जुन सिंह की ओर घूमी और एक-एक करके मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री अर्जुनसिंह की वे सारी उपलब्धियां उनके सामने आने लगी थीं। प्रधान मंत्री राजीव गांधी स्वयं इस बात के साक्षी थे कि मुख्य मंत्री अर्जुनसिंह ने अपने पांच वर्षो के सफल कार्यकाल में कुशल, कुशाग्र और संवेदनशील नेतृत्व द्वारा अपने सार्वजनिक जीवन में सदाशयता, उदारता, तत्परता और कर्मठता के नये मानदण्ड स्थापित करते हुये समाज के प्रत्येक वर्ग के उन्नयन और समूचे मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिये दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ सफलता का अद्वितीय रिकार्ड बनाया था।

अर्जुनसिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अनेक ऐसे लोकहितकारी कार्य किये है जिनसे उन्होंने सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल की। सारा हिन्दुस्तान जानता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद जब प्रधान

मंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां मुख्य मंत्री अर्जुनसिंह के मार्गदर्शन में 40 लोकसभा की सीटों में से 40 की 40 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। अर्जुनसिंह की यह सफलता अद्वितीय अद्‌भुत और अभूतपूर्व थी। प्रधान मंत्री राजीव गांधी जानते थे कि मध्यप्रदेश में लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को जो शानदार विजय मिली उसका श्रेय निश्चित रूप से अर्जुनसिंह के विगत पांच वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के फलस्वरूप ही है। यहां अर्जुनसिंह का एक पत्र उद्‌भूत कर रहा हूँ जो उन्होंने चुनाव प्रारम्भ होने के पहिले मतदाताओं को प्रेषित किया था जो उनकी कार्यशैली को प्रदर्शित करता है -

"दिनांक 24 और 27 दिसम्बर 84 को आप यह करने जा रहे हैं कि सारे जहां से अच्छे हमारे हिन्दुस्तान को कायम रहना है या नहीं। किसी देश के जीवन में आम नागरिकों की ऐसी निर्णायक भूमिका कभी-कभी ही उभरकर आती है।

अब यह स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि 31 अक्टूबर 84 को कातिलों का उद्‌देश्य महज एक इन्सान को समाप्त करने का नहीं था। आखिरकार एक क्षीण देह को समाप्त करने के लिय 16 गोलियों की जरूरत नहीं थी। वे गोलियां इस देश के 16 जवानों पर चलाई गई थीं। 16 भाषायी राज्यों पर चलाई गई थीं। हर उस प्रगतिशील कदम पर चलाई गई थीं जो स्वर्गीय इन्दिरा जी इस देश के आम नागरिकों के हकों को सुरक्षित करने और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिये उठा रही थीं। ये गोलियां अधिक अन्न उपजाने वाले हमारे किसान पर दागी गई थीं, कल कारखानों के मेहनतकश मजदूरों पर दागी गई थीं। रिक्शा चलाने वालों पर दागी गई थीं। बन्धक मजदूर पर दागी गई थीं। इन गोलियों का उद्‌देश्य था कि हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ें वे अपने पुरखों से बेहतर जीवन की ओर मुखातिब न हो।

इन गोलियों का उद्देश्य था कि हमारे झुग्गी झोपड़ी के निवासी बेहतर जीवन की ओर आगे न बढ़ें, उन्हें अपनी झोपड़ियों का पट्टा न मिले, रिक्शा चालकों को रिक्शा का मालिकाना हक न मिले, भूमिहीन मजदूरों को खेती की जमीन न मिले। हरिजन आदिवासी और पिछड़ी जातियां समाज में बराबरी का दर्जा न ले पायें। हमारे गावों में बिजली नहीं पहुंचे, पीने का पानी पहुंचने का हमारा व्यापक कार्यक्रम रूक जाये। हमारी औघोगिक प्रगति रूक जाये, यही उद्देश्य इतनी सारी गोलियों का हो सकता है। महज एक पार्थिव शरीर को नष्ट करने के लिये एक-दो गोलियाँ काफी थीं। पर कातिलों के पीछे कितनी भी बड़ी ताकत और कितनी भी खौफनाक रही हो, उन्हें आभास होने लगा है कि इन्दिरा गांधी एक पार्थिव शरीर भर नहीं थीं, वे पूरा हिन्दुस्तान थीं और पूरे हिन्दुस्तान को नष्ट करने वालों के मनसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हर जोर जुल्म की टक्कर में श्रीमती इन्दिरा गांधी का हाथ अभी भी उठा हुआ है, पूरे हिन्दुस्तान का हाथ उठा हुआ है।

कांग्रेस पार्टी का हाथ वही प्रतीक है। उस पर मोहर लगाकर आप महज एक उम्मीदवार को विजय नहीं बना रहे हैं, एक व्यापक प्रतिरोध को संगठित कर रहे हैं। एक ऐसे हौसले को शक्ति दे रहे हैं जो अराजकता और देश को नष्ट करने वाली हत्यारी ताकतों के खिलाफ संगठित होकर उन्हें परास्त कर सकता है।

आपके हाथ में वोट, देश की इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रतीक है। उस इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक,जिसे कितने ही हत्यारों की गोलियां नष्ट नहीं कर सकतीं। **(अर्जुनसिंह मुख्य मंत्रीः 2दिसम्बर 1984)**

अर्जुनसिंह का यह पत्र इतना भावात्मक और कारगर हुआ जिसने मध्यप्रदेश में लोकसभा के चुनावों ने नये इतिहास का सृजन किया। इस पत्र

में अर्जुनसिंह की वैचारिक सोच भी प्रदर्शित होती है कि वे किसी भी तरह के आतंकवाद और उग्रवाद को जड़ मूल से नष्ट करना चाहते हैं। मेरी समझ में प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने भी उनके इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में ही अर्जुनसिह की आतंकवादी विरोधी सोच को परखा होगा।

प्रधान मंत्री राजीव गांधी की राजनीतिक यात्रा का यह प्रथम दौर ही था जब उन्हें पंजाब की समस्या के निदान के लिये गंभीर मंथन करना पड़ रहा था। अर्जुन सिंह उनके मन-मस्तिष्क में पंजाब के राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने की मानसिकता बन गये थे।

प्रधान मंत्री राजीव गांधी जानते थे कि अर्जुन सिंह को मध्यप्रदेश की जनता गरीबों का मसीहा कहती है। उनका प्रशासन संवेदनशील रहा है। अर्जुनसिंह के संबंध में गरीबों के प्रति उनकी संवेदनाओं का ज्वलंत उदाहरण उस समय सामने आया जब वे 1977 में मध्यप्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता बने थे। उस समय मध्यप्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी। मध्यप्रदेश के एक ग्राम कनाड़िया में हरिजनों पर प्रशासन ने भारी जुल्म ढाया और उन पर कहर बरसाने वालों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। हरिजन महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया गया। परिवार के सामने ही उनका शील हरण होता रहा। तब अर्जुन सिंह ने विपक्ष के नेता की हैसियत से सरकार को कठोर कार्यवाही के लिये विवश कर दिया।

अर्जुनसिंह स्वयं दीपावली के दिन कनाड़िया ग्राम पहुंचे हरिजन भाई-बहनों को ढ़ाढस बंधाया और दीपावली की रात, उन गरीब-दीन-हीन निर्वल व्यक्तियों के साथ व्यतीत की और त्यौहार नहीं मनाया।

विपक्ष के नेता के रूप में अर्जुन सिंह ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली,

लगनशीलता और जनता के दुख दर्द को समझने वाले सच्चे हितैषी की छवि बनाई और अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करते हुए कांग्रेस के प्रति पुनः चेतना जगाई। इन्हीं सब कारणों से अर्जुन सिंह श्रीमती इन्दिरा गांधी के विश्वस्त सिपाही बन गये थे।

9 मार्च 1980 को अर्जुन सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री का गुरुतर भार ग्रहण किया। जनता के नाम अपने प्रथम संदेश में अर्जुन सिंह ने अपनी कार्यशैली, नीति और प्रदेश के विकास के लिये सक्रिय पहल पर विस्तार से प्रकाश डाला है उन्होंने कहा कि ''हमारी यह कोशिश होगी कि हम राज्य में निष्पक्ष और संवेदनशील प्रशासन की स्थापना करें, जो व्यापक जनहित को सबसे निर्णायक समझे। पिछले दिनों ऊपर से नीचे तक सबको अपनों और गैरों में बांटकर सिर्फ अपनों के लिये शासन करने की जो दुर्भाग्यपूर्ण परिपाटी बनी, उसे हम तुरन्त समाप्त करना चाहते हैं। छोटे से छोटे और साधनहीन सामान्य नागरिक को सामाजिक विकास में शामिल करने और उसकी आम हालत को स्थायी रूप से सुधारने के लिये प्रशासन को अधिक सक्षम और सजग बनाना भी हमारा उद्देश्य है। जो जनादेश हमें दिया गया है,उसे ऐसी सरकार बनाकर ही पूरा किया जा सकता है, जो आम आदमी के दुख दर्द से जुड़ी हुई, सभी वर्गों और धर्मों को आगे बढ़ाने और समाज में आर्थिक समता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये बिना रूके लगातार काम करने वाली हो। आज हमें ऐसे प्रशासन की आवश्यकता है जो शक्तिशाली और सम्पन्न के आगे झुके नहीं और जिसके दरवाजे और दिल-दिमाग गरीब और शोषित के लिये हमेशा खुले हों। जात-पात, वर्ग भेद और बदले की भावना से उपर उठकर हम एक ऐसा वातावरण बनाने में सहयोग चाहते हैं जिसमें प्रजा और तंत्र के बीच कोई टकराव न हो। हम ऐसी नीति लागू करेंगे जिसमें प्रजातंत्र और उसकी संस्थायें समाज के सबसे शोषित वर्गों और पिछड़े तत्वों के लिये सच्ची और सार्थक बन सकें।''

अर्जुन सिंह ने अपने संदेश में एक और महत्वपूर्ण बात कही कि "सरकार का शिखर और मापदंड दोनों ही आम आदमी के लिये सर्वहारा होगा। मैं आश्वस्त हूँ कि इसके लिये उसके हित में हम जितनी जल्दी और जितना काम कर पायेंगे, वही हमारी सपफलता और सार्थकता की कसौटी होगी। जो अपने अधिकार के लिये लड़ नहीं सकता, उसके अधिकार सुरक्षित रहें इसकी जिम्मेदारी हम पर है।"

सारे लोग यह बात भलीभांति जानते है कि अर्जुनसिंह जो सोचते है, उसे पक्कीतौर पर करते भी हैं। इसलिये अर्जुनसिंह ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कार्य गरीबों के लिये किये। सरकारी जमीन पर बनी झोपड़-पट्टी और उस पर रह रहे गरीब जो दूर-दराज के गांवों से रोजी करने अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु नगरों और महानगरों में आ बसे थे, ऐसे दीन-हीन निर्बल व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। जमीन तो थी सरकारी और उस पर किराया वसूल करते थे उस क्षेत्र के असामाजिक तत्व, नजूल की जमीन पर सौ-सौ झुग्गियॉ और इनमें रहने वाले मजबूर इन्सानों से अमानुषिक व्यवहार से किराया वसूल किया जाता था।

इस बात से बहुत दुखी थे, संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी, गरीबों के हमदम-दोस्त अर्जुनसिंह। उस रात वे बहुत बैचेन थे, जागते-सोचते और टहलते काट दी थी सारी रात, और जब सुबह हुई 'तो सारे प्रदेश में तहलका था। एक ऐसा ऐतिहासिक अध्यादेश-अदभुत-अभूतपूर्व निर्णय जिसने एकाएक प्रदेश के उन लाखों गरीबों को उस जमीन का मालिकाना हक दिलवा दिया था जिस जमीन पर वे काबिज थे। उसका स्थाई पटटा उन्हें मिलना था। नियम भी सरल और पुख्ता थे। नजूल अधिकारी स्वयं उस झोपड़-पटटी में रहने वाले इंसान के पास जायेगा और नाप-जौख करके पटटा उसे देगा। यानि सरकार को गरीबों के द्वार-द्वार जाना था। इसके

साथ-साथ अर्जुन सिंह ने इन दुःखियारों के दर्द को समझकर आदेश भी दिये कि इन पटटों को अदालत में चुनौती नहीं दी जायेगी और न ही कोई बिचौलिया होगा न कोई अपील न कोई वकील और न कोई दलील। अर्जुन सिंह को गरीबों के झुग्गी-झोपड़ी के पटटे प्रदाय करने वाले मसीहा के रूप में सदैव याद किया जावेगा।

इस दिशा में अर्जुन सिंह ने एक कदम और बढ़ाया था, वह था झुग्गी-झोपड़ियों में मुफ्त एक बत्ती कनेक्शन। जिसकी देशवासियों ने भूरि-भूरि सराहना की थी।

अर्जुन सिह ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिये पत्रों की एक नई विधि प्रारम्भ की। जिसमें उन्होंने अपने को प्रदेश का प्रथम सेवक घोषित किया-उनके एक पत्र के कुछ अंश। उन्होंने लिखा है कि -'इस प्रदेश के नागरिक हमें सच्चे सेवक के रूप में स्वीकार करें और राष्ट्रीय उत्थान की जो महान योजनायें देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी ने चलाई हैं-उन्हें मूर्तरूप देने में हम सर्वहारा वर्ग के सहायक और सहयोगी की भूमिका ईमानदारी से निभा सकें।

संत तुलसीदास ने कहा था-'सबसे सेवक धर्म कठोरा' मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भारत के नवनिर्माण के महान प्रयासों से हम सबको भी अपनी सीमित शक्ति व बुद्धि के सहारे योगदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हममें से जो जहां है, वहीं जिसकी भी सेवा कर सकता है, करने का संकल्प लेना है और करना है, यही एकमात्र उद्देश्य हो सकता है। जब इस भावना से हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो जनहित के पोषण में कोई भी कार्य हमें छोटा नहीं दिखेगा और इस प्रयास में कोई और त्याग बड़ा है यह आभास भी नहीं होगा और सेवक का कठोर धर्म हमारे जीवन का अंग बनकर हमें इस प्रदेश के नागरिकों की सेवा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिये सक्षम बनायेगा।'

इस पत्र को पढ़कर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह एक 'विचारक' और दर्शन के उच्चकोटि के अध्येयता हैं।

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार और कदाचरण को रोकने के लिये अर्जुनसिंह ने राज्यपाल महोदय से एक अध्यादेश जारी करवाया। जिसका नाम 'मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश 1982' रखा गया।

चूंकि जनतंत्र में जनादेश पर आधारित शासन की प्रमुख कड़ी राजनीतिक सत्ताधारी होते हैं इसलिये अर्जुनसिंह ने लोकायुक्त की स्थापना करके उनके विरूद्व जांच व कार्यवाही करने के लिये अधिनियम बनाया है और इस कानून की परिधि में स्वयं उन्होंने अपने को भी शामिल किया है।

अर्जुनसिंह ने कहा कि 'मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने को आपका सेवक ही मानता हूँ और इसलिये यह और भी अनिवार्य है कि मेरा आचरण संदेह से परे हो और मेरे खिलाफ कदाचरण की जांच करवाने के लिये प्रदेश के किसी भी नाागरिक को अधिकार व अवसर हो।'(अर्जुन सिंह 9 सितम्बर 1982 आकाशवाणी प्रसारण में)

इसके साथ ही अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अर्जुन सिंह ने समाज के विभिन्न वर्गो एवं प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण पत्र लिखे हैं जिन पत्रों का आज भी महत्व है क्योंकि ऐसे पत्र इतिहास की धरोहर हो जाते हैं और उनको पढ़कर व्यक्ति और तात्कालीन व्यवस्था तथा प्रशासन का आकलन करने में बहुत सरलता और सहयोग प्राप्त होता है।

अर्जुन सिंह ने कुछ ऐसी चिठ्ठियां लिखी हैं जिनको पढ़कर उनके कार्य करने की पद्धति, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं, प्रशासन की पारदर्शिता और सूचना का अधिकार, उनकी संवेदनाओं तथा समाज के पीड़ित शोषित दलित वर्गो के कल्याण की भावनाओं के साथ अल्पसंख्यकों के और समाज

के सभी वर्गों के उन्नयन की दिशा निर्धारित होती है- उन पत्रों में से कुछ महत्वपूर्ण पत्रों का उल्लेख यहां कर रहा हूं। मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को एक आत्मीय पत्र लिखा था जिसमें प्रमुख रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में मंत्रिपरिषद की बुनियादी जिम्मेदारियों की चर्चा की गई थी और जहां कही उदासीनता नजर आये वहां सख्ती से निपटने की इच्छा व्यक्त की थी। नयी वार्षिक योजना (1984-85) की जानकारी देते हुये उन्होंने कहा की योजना आयोग ने इस साल के लिये 1074 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। इससे पहले कभी भी इतनी राशि की बढ़ोत्तरी नहीं हुई। यह भी सुखद है कि अब ओवर ड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य मंत्री ने लिखा था कि " हर काम पैसे से नहीं होता" हमारे कार्यक्रमों के अमल में सभी स्तर पर शासकीय सेवायें सार्थक भूमिका अदा करती हैं, इसलिये यह बहुत जरूरी है कि उनकी कठिनाईयों और समस्याओं को सिलसिलेवार, तत्परतापूर्वक और निष्पक्ष भाव से ध्यान दिया जावे।"

भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने में अर्जुनसिंह ने सक्षम कदम उठाये थे उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये पत्र लिखा था उन्होंने इच्छा व्यक्त करते हुए इस दिशा में अपने साथियों से सहायता और प्रयास की अपेक्षा की थी और एकता की भावना पर भी जोर दिया था।

मुख्य सचिव शासन के प्रमुख अधिकारी हैं जो हर स्तर पर प्रशासन की क्रियाशीलता को जांचते-परखते रहते है। अर्जुनसिंह ने उन्हें पत्र लिखते हुए, इस बात को रेखांकित किया था कि "प्रत्येक सेवक को चाहे उसका ओहदा और नाम कुछ भी हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का कार्यपालक कार्यकर्ता मानता हूं ।" अपनी इस मान्यता के प्रकाश में उनका आग्रह है कि सरकारी सेवकों में जो विभिन्न स्तरों पर असंतोष बना रहता है और

उनकी जो छोटी-छोटी कठिनाईयां हैं उन्हें समय पर हल किया जाना चाहिये। ऐसा करने से नागरिक सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी, जाहिर है इससे सरकार का वैभव भी बढ़ेगा।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम को गतिशील बनाये रखने के लिए और सक्रिय क्रियान्वयन हेतु अर्जुनसिंह ने महत्वपूर्ण पत्र लिखें हैं - उन्होंने लिखा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को जो गरीब तबके के लोगों की दशा सुधारने और प्रदेश के लाखों लोगों की आशाओं को सजीव और साकार करने की हमारी सभी गतिविधियों के मूल में हैं, के क्रियान्वयन और मानीटरिंग स्तर पर आपको निरन्तर ध्यान देना है। अर्जुन सिंह ने प्रदेश में शांति और सुव्यवस्था के लिये जिला कलेक्टरों को भी पत्र लिखे थे। जिनमें उन्होंने लिखा था कि सभी जिलों और गांवों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । इसके अलावा हर परिवार के लिये रोजगार योजना और निराश्रितों के लिये पेंशन योजना भी शामिल है। छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीनों ओर खेतिहार मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिये अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। जिसका लाभ इन वर्गो को मिलना चाहिये और जरा सी ढिलाई, कार्यक्रमों के प्रति उपेक्षा बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।

महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने और काबू पाने के लिये अर्जुन सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदढ़ करने के निर्देश दिये। महिलाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने के लिये कड़े निर्देश भी जिला कलेक्टरों को दिये। प्रदेश के (5.91) लाख शासकीय कर्मचारियों को भी अर्जुनसिंह ने पत्र लिखा-उसमें उन्होंने शासकीय कर्मचारियों और स्वयं को भी जनसेवक निरूपित किया है। उन्होंने लिखा है कि क्या एक सेवक के नाते हमारा और आपका यह दायित्व नहीं

है कि ऐसी स्थिति को हम निर्माण ही न होने दें और धैर्य व आस्था की उन सीमाओं को टूटने से बचायें जो अभी तक अनेक विषमताओं से घिरे इस प्रदेश के नागरिकों को प्रगति की ओर ले जाने में सहायक रही हैं। अर्जुन सिंह ने किसानो के कल्याण के लिये अनेक कार्य किये हैं। जिनमें सबसे प्रमुख और वरीयता को ध्यान में रखते हुये 56 लाख कृषि खातेदारों को तकाबी और अल्पावधि सहकारी कर्जो से 66 करोड़ रूपये से अधिक की राहत पहुंचाने संबंधी निर्णय के द्वारा किसानों को ऋण मुक्ति दिलाई। अर्जुन सिंह ने यह कार्यक्रम और हितकारी निर्णय राष्ट्रनायक पं. जवाहरलाल नेहरू के किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हें अपनी भूमि का मालिक बनाने और अपनी मेहनत का फायदा दिलाने के अधिकार की भावना तथा आदरणीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आधुनिक कृषि के लिये साधन उपलब्ध कराने की नीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। (3 जुलाई 1984- अर्जून सिंह का पत्र )

कल्याणकारी राज्य की एक बुनियादी आवश्यकता होती है कि सरकार और जनता के बीच प्रभावी संवाद हो। लोकप्रिय सरकार को न केवल जनता की आकांक्षाओं का सदा ध्यान रखना पड़ता है और उसकी पूर्ति के लिये लगातार काम करना होता है वरन यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि जनता की भलाई के लिये उसे पूरी तरह समझ सकें।"

...."मध्यप्रदेश में समाचार पत्रों की **सुरक्षा और खुशहाली** के लिये शासन ने भरसक प्रयास किये हैं। विज्ञापनों द्वारा उनकी सहायता करने के अलावा उनके द्वारा उपयोग में लाये गये अखबारी **कागज को विक्रय कर मुक्त** किया गया है। पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिये कल्याण कोष स्थापित करने का निश्चय भी किया गया है और सरकार ने इसके लिये अपनी ओर से पांच लाख रुपयों का आरम्भिक योगदान किया है। प्रेस

काम्पलेक्स की स्थापना कर सारे प्रमुख छोटे-बड़े समाचार-पत्र-पत्रिकाओं को एक जगह जमीन मुहैया कराकर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। जिसके लिये उन्हें सदैव स्मरण किया जावेगा। मध्यप्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जहां अर्जुनसिंह के नेतृत्व में शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को आवासीय भू-खण्ड के पट्टे वितरित कर मलिकाना हक दिया गया। शहरी गरीब तबके के लोगों की आर्थिक उन्नति के लिये प्रशिक्षण और रोजगार का एक विशेष कार्यक्रम आरंभ करने में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। साइकिल रिक्शों के बेनामी मलिकाना हकों को समाप्त करने वाले कानून ने वास्तविक साइकिल रिक्शा चालकों को शोषण से मुक्ति दिलाकर प्रदेश में समाज सुधार के क्षेत्र में कानून बनाने की दृष्टि से एक नये आयाम की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह ने शिक्षा जगत में भी कीर्तिमान स्थापित किये हैं, जहां उन्होंने शिक्षकों की आयु सीमा में दो वर्षों की सीधी वृद्धि कर सराहनीय कार्य किया है- वहीं अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से भुगतान कराने का आदेश पारित किया। शासकीय कर्मचारी के निधन होने पर उसके परिवार को 10,000/- रुपया तत्काल देने की त्वरित कार्यवाही के स्थायी आदेश प्रसारित किये। कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये गये। अखिल भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र **"भारत भवन"** ने अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया है। हमारी इस गौरवमयी उपलब्धि के संबंध में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि भोपाल आजकल कलाओं की राजधानी बन रहा है, जो चीज यहां है, वह दिल्ली में भी नहीं है।

अर्जुनसिंह के निर्देश पर **विज्ञान और टेक्नालॉजी** परिषद का गठन किया गया। साहित्यक अकादमी-सिंधी अकादमी की स्थापना कर इन भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया।

प्रदेश के यशस्वी व्यक्तियों के नाम से जिनमें रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, सर हरीसिंह गौर, गुरू घासीदास, मौलाना बरकतउल्ला आदि के नाम से विश्वविद्यालयों के नाम पर या बड़ी योजनाओं के नाम-भवनों के नाम इन महापुरूषों के नाम पर रखे गये। शिखर सम्मान की स्थापना की गई।

अर्जुनसिंह प्रदेश के विकास के लिये कृत संकल्पित थे और कमजोर वर्गों की संख्या भी प्रदेश में काफी बड़ी है। शासन का इन वर्गों की दशा सुधारने का मुख्य लक्ष्य है। हरिजनों के विकास कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने के लिये एक अलग हरिजन कल्याण संचालनालय की स्थापना की गई।

पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये भी पहल की गई और "पिछड़ा वर्ग आयोग" का गठन किया गया और उसके बाद इन वर्गों के लिये भी एक अलग संचालनालय की स्थापना की गई। 14 नवम्बर 1980 को विधायक रामजी महाजन की अध्यक्षता में 'महाजन आयोग' का गठन कर 147 जाति समूह को अधिकृत सूची तैयार कर अन्य सुविधायें मुहैया कराईं। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने पर गंभीरता से विचार कर एक अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया। ताकि कल्याण की योजनाओं का अमल हो सके।

ग्रामीण अंचल में मकान बनाने के लिये शासन ने एक "ग्रामीण गृह निर्माण मण्डल" की स्थापना की और ग्रामीण अंचलों में आवास के लिये 5 लाख से अधिक भूखण्डों का वितरण भी किया गया।

गंदी बस्तियों के सुधार के लिये गंदी बस्ती उन्मूलन बोर्ड को गतिशील बनाया।

**जंगल** में पैदा होने वाली चीजों के संग्रह और व्यापार में लगे लोगों का बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता है- इन्हें इन बिचौलियों से बचाने के लिये कठोर कदम उठाये गये।

आदिवासी, हरिजन और कमजोर वर्ग के भूमिहीनों के लिये खेती करने को जमीन दी गई। पट्टा मिले और कब्जा भी मिले इसके लिये भी कठोर कार्यवाही की गई।

**महिलाओं** के कल्याण के अनेक कार्य हुये सरकारी सेवा में नियुक्ति के ज्यादा अवसर, व्यवसाय के लिये सहायता, **पंचायतों और स्थानीय** निकायों में निश्चित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया गया। प्रदेश में एक स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता को पूरा कर, एक समयबद्ध प्रक्रिया में इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये प्रयास जारी रखने का निर्णय लिया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 60 वर्ष उम्र के निराश्रितों तथा विकलांगों को 60 रुपये माहवार पेंशन स्वीकृत की और जो आज भी दी जा रही है।

किसानों के लाभ के लिये अर्जुनसिंह ने अनेक कार्य किये जिनमें उनकी फसलों के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा कर उसकी खरीदी का इंतजाम किया गया। **सोयाबीन खेती** को प्रोत्साहन दे प्रदेश को शीर्ष सोयाबीन उत्पादक बना दिया गया है। किसानों की सहायता के लिये 5 करोड़ रुपया के **किसान राहत** कोष की स्थापना की गई। उनके छोटे-छोटे मामलों के त्वरित निपटारे के लिये **चलित राजस्व न्यायालयों** की व्यवस्था की गई जिसके द्वारा 3 लाख मामले निपटाये गये।

**कोटवारों** के लिये नियमित पारिश्रमिक देने की घोषणा की गई और

उन्हें रुपये 120/- प्रतिमाह भूमिहीन कोटवारों को निर्धारित की गई।

**खेतिहर मजदूरों की मजदूरी दर निर्धारित की गई सामूहिक बीमा योजना लागू की गई।**

एकीकृत ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को दृढ़ता से लागू कर अनेक नागरिकों को लाभ मिला।

शांति व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। **साम्प्रदायिक** सद्भाव का वातावरण बना रहा। **''दशहरा और मुर्हरम जैसे त्यौहार एक साथ पड़े** जो शांति से सम्पन्न हो गये। साम्प्रदायिक सद्भाव की उच्चकोटि की भावना से प्रदेश का गौरव बढ़ा।

छात्र कल्याण के लिये ''छात्र कल्याण कोष'' की स्थापना की गयी।

देश में पहले पर्यावरण संस्थान की स्थापना भोपाल में हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया।

## गैस त्रासदी

2-3 दिसम्बर 1984 की दरम्यान शताब्दी की सबसे भयावह और भीषण गैस त्रासदी हुई। जब अमेरिका की एक व्यावसायिक कंपनी ''यूनियन कार्बाईड के कारखाने से गैस रिसी थी। हजारों लोग काल कलवित हो गये थे। इस गैस त्रासदी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया था उस समय भोपाल शहर एक शमशान में बदल गया था। इस भयावह त्रासदी से मृत और पीड़ित व्यक्तियों के लिये अर्जुनसिंह की सरकार ने तुरंत राहत के अनेक कार्य किये। सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य तो उन्होंने स्वयं यूनियन कार्बाईड कारखाना पहुंचकर अपने सामने ही गैस के टेंक में

जो जहरीली गैस शेष रह गई थी उसे अपने प्राण की परवाह किये बिना अपने सामने खाली कराया। इसके साथ ही भोपालवासियों के पुनर्वास और राहत के लिये अनेक कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी ढंग से शुरू किये गये। मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह ने तुरंत एक विभाग "गैस राहत एवं पुनर्वास" खोला जिसका दायित्व एक मंत्री को सौंपा गया जो गैस पीड़ितों को तुरंत राहत दिलाने के लिये कृत संकल्पित थे। गैस पीड़ित लोगों के इलाज के लिये विशेष अस्पतालों का गठन किया गया। इसके साथ ही गैस पीड़ितों के लिये मुआवजा की राशि, पूर्ण खाद्यान्न सामग्री, निःशुल्क वितरित की गई। गैस पीड़ित लोगों के लिये शिविर लगाये गये जहां उनकी शासन की ओर से सम्पूर्ण देख-रेख की गई। मृत परिवार के सदस्यों के लिये रुपये 10,000/- की राशि तुरंत वितरित की गई और पीड़ितों को रुपये 200/- प्रतिमाह मुआवजा राशि दी गई। दावा अदालतों का गठन कर दावेदारों के आवेदन प्राप्त कर अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक राशि दिलाने हेतु सक्रिय पहल की गई। इस प्रकार अर्जुन सिंह की सरकार ने गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को राहत एवं पुनर्वास हेतु स्मरणीय कार्य किये। **प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी भोपाल पधारे और उन्होंने अर्जुन सिंह सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया।**

इस प्रकार ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं रहा जहाँ अर्जुनसिंह ने कार्य न किया हो।

इन सबके साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ जब अर्जुन सिंह ने प्रदेश से डाकू समस्या का जड़ मूल से उन्मूलन कर दिया और प्रमुख दस्युओं ने आत्मसमर्पण कर अपने हथियार डाल दिये थे।

**राष्ट्रनायक पं. जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा से सन् 1960 में अर्जुन सिंह कांग्रेस में आये थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों, सिद्धान्तों**

**और नीतियों के कट्टर समर्थक रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मुख्य मंत्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश का समुचित और चहुंमुखी विकास करके नये आयाम स्थापित किये हैं। विकास के हर सोपान पर उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला और अर्जुन सिंह श्रीमती इंदिरा गांधी के विश्वस्त अनुयायी हो गये।**

अर्जुनसिंह 1980 से लगातार 1985 तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी इस शानदार सफलता का लोहा सभी मानते हैं- इसमें अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है कि अर्जुन सिंह ने अपने शासन काल में महत्वपूर्ण कार्य करके उसके सफलतम परिणाम उपलब्ध कराये हैं।

ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव करवाकर और उनमें भारी जीत हासिल करके अर्जुनसिंह ने अपनी कार्यशैली का लोहा मनवा लिया था। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर उन्होंने महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर दिखाया था। म.प्र. की अठ्ठारह हजार से अधिक पंचायतों, 459 जनपद पंचायतों और 42 जिला पंचायतों के चुनाव करवा कर पंचायतों के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी थी। मुख्य बात यह भी हुई कि आदिवासी बाहुल्य इलाके में 105 जनपदों के अध्यक्ष आदिवासियों को और 65 जनपदों के पद हरिजनों के लिये आरक्षित थे।

अर्जुनसिंह ने राज्य की इस उपलब्धि के लिये प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम और उनके नेतृत्व के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हुये उन्हें ही इस सफलता का श्रेय दिया है। साथ ही साथ अर्जुनसिंह इस उपलब्धि में राजीवगांधी की प्रेरणा और उनकी पंचायती राज के क्रियान्वयन में विशेष रूचि लेना भी मानते हैं।

अर्जुनसिंह ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ओर सदैव ध्यान दिया था। छत्तीसगढ़, और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन कर क्षेत्र को

विकसित करने की सक्रिय पहल की। मुख्य मंत्री अर्जुनसिंह ने अपने प्रशासन को पारदर्शी बनाया और सूचना के अधिकार का भी उपयोग किया। उन्होंने 4 जुलाई 1984 को समाचार पत्रों को एक पत्र प्रेषित किया जिसमें उन्होंने अपने और अपने शासन की पारदर्शिता प्रदर्शित करते हुए अपने मकान के लिये खरीदी गई जमीन की सूचना दी।

उन्होंने लिखा "एक निजी मामले में यह खत आपको लिख रहा हूं। भोपाल जिले के ग्राम डोरा (हुजूर तहसील) में मेरे परिवार ने 10.67 एकड़ खेतिहर जमीन खरीदी है। यह जमीन पंजीकृत दस्तावेजों द्वारा मेरे, मेरी पत्नि व मेरे छोटे पुत्र के नाम पर दर्ज की गई है। इस संबंध में सारे भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट के जरिये किये गये हैं और सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इस जमीन पर हम एक मकान बनवा रहे हैं और फलों का एक बगीचा लगा रहे हैं।

क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूं इसलिये मैं मानता हूं कि मेरा निजी कारोबार भी इस तरह से होना चाहिए कि अपने पद के दुरूपयोग के संबंध में मुझ पर किसी तरह की शंका न की जा सके। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह का आवंछित लाभ न मिले और केवल वे ही सुविधाएं हमें उपलब्ध हों, जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को हासिल हैं। इस संबंध में समस्त दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड के लिये मैंने सम्माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष दर्ज कर दी है।"

**राजीव गांधी अर्जुन सिंह की उन बहुआयामी कार्यशैली और उससे प्राप्त उपलब्धियों के कारण उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे जिसकी चर्चा राजीव गांधी ने भिलाई में आयोजित मध्यप्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण में व्यक्त करते हुये की थी। उन्होंने विस्तार से अर्जुनसिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की थी।**

**इन सब कारणों से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह को पंजाब के राज्यपाल बनाने का निर्णय लिया। विधानसभा में दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने के पश्चात् 11 मार्च 1985 को मुख्यमंत्री की पुनः शपथ ग्रहण कर जब अर्जुनसिंह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के परामर्श के लिये राजीव गांधी से मिले तब उन्होंने अर्जुनसिंह को एकान्त में ले जाकर कहा कि अब आपको पंजाब सम्हालना है- अब आप पंजाब के राज्यपाल हो रहे हैं। राजीव जी ने आगे कहा कि आप को कोई आपत्ति तो नहीं। अर्जुनसिंह का सहज उत्तर था कब जाना है। नियुक्ति के आदेश प्राप्त होते ही अर्जुनसिंह चंडीगढ़ के लिये प्रस्थान कर चुके थे। राज्यपाल अर्जुनसिंह की राजनीतिक यात्रा का यह एक अत्यंत अप्रत्याशित पड़ाव था।**

अपनी नई नियुक्ति के बारे में राज्यपाल अर्जुनसिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है- उससे वे कृतज्ञ हैं। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में मैं पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा। नया पद उनके लिये एक चुनौती भरा कार्य रहेगा। वे किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति उनके नेता और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। एक सिपाही होने के नाते उन्हें पार्टी के अनुशासन का पालन करना है। संभवतः प्रधानमंत्री पंजाब समस्या को सुलझाने के लिये कुछ निश्चित कदम उठाना चाहते हैं और इस लिये उन्हें राज्यपाल बनाया जा रहा है।"

अर्जुनसिंह के राज्यपाल बनने के बाद मध्यप्रदेश के नये मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश की जनता के प्रथम सेवक के रूप में आदरणीय स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों और कार्यक्रमों का जिस निष्ठा से सम्पादन किया है उससे प्रदेश में बहुमुखी प्रगति हुई है और कांग्रेस संस्था के प्रति नागरिकों

में जो आस्था बढ़ी है वह लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रचंड और ऐतिहासिक विजय से प्रभावित हुई है।

श्री अर्जुनसिंह ने कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में जिस राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय दिया है उसे अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। और पंजाब की ज्वलंत समस्या के समाधान के लिये पंजाब के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति से श्री अर्जुनसिंह ही नहीं, पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है।

मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कर्मयोगी श्री अर्जुनसिंह राष्ट्र की इस नाजुक समस्या का सही ढंग से समाधान निकालने में सफल होंगे और उन विघटनकारी तत्वों के मनसूबों को सफल नहीं होने देंगे। जो देश की एकता और अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

**इस समय पंजाब समस्या एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है तथा उसके सफलता से निराकरण होने से एक राष्ट्रीय समस्या का निराकरण हो सकेगा। राष्ट्र की आवश्यकता प्रदेश की आवश्यकता से बड़ी है- ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिये अर्जुनसिंह का चयन निश्चित ही उनकी योग्यता, अनुभव व क्षमता भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उनके प्रति विश्वास का प्रतीक है।**

# 7

# राज्यपाल अर्जुनसिंह की सार्थक पहल

मानवीय गुणों से ओत-प्रोत एवं संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी राजनायक अर्जुनसिंह की सम्पूर्ण राजनीतिक यात्रा ग्रामपथ से राजपथ तक की सहज और सरल नहीं रही है अपितु कंटकाकीण और विषमताओं से भरी रही है और अब ये ही विषमतायें उनकी राजनीतिक सफलताओं की पर्याय बन गई हैं और यही कारण है कि उन्होंने सफलताओं की अनेक राजनीतिक ऊंचाईयां प्राप्त की हैं और वे देश के **कद्दावर** नेता बने।

अर्जुनसिंह के कार्य करने की अनूठी शैली है जिससे अर्जुनसिंह की राजनीतिक सूझ-बूझ और मौलिकता को समझा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने पत्रकारों के बीच उस समय कही थी जब उन्हें मार्च 1985 में मध्यप्रदेश के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को मिली भारी सफलता के बाद भी जलते हुए पंजाब का राज्यपाल बनाकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेजा था। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि कहीं यह नियुक्ति आपको राजनीतिक रूप से समाप्त करने का षड़यंत्र तो नहीं

है तब अर्जुनसिंह ने लाजवाब उत्तर देते हुये कहा था कि मेरी राजनीतिक डिक्शनरी में कुल तीन शब्द हैं- पहला है सर्विस, दूसरा है ड्यूटी और तीसरा है लॉयलटी। बात अपने आप में बहुत स्पष्ट है। अर्जुनसिंह ने पंजाब के राज्यपाल का पद सम्हालते हुये जनता की सेवा, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व एवं पार्टी और नेता के प्रति अपनी वफादारी का सराहनीय और त्यागपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया था।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब के राज्यपाल पद पर अर्जुनसिंह की नियुक्ति श्री के.टी. सतारावाला के स्थान पर की थी। इस नियुक्ति बाबत् सर्वाधिक दिलचस्प व अह्म बात यह थी कि अर्जुनसिंह ने दो दिन पूर्व ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। पंजाब के राज्यपाल पद पर उनकी एकाएक नियुक्ति ने सभी को अचम्भे में डाल दिया था। श्री एस.बी. चव्हाण, केन्द्रीय गृहमंत्री ने इस नियुक्ति के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था, ''पंजाब समस्या का सही आकलन करने और उसे हल करने के लिये अर्जुनसिंह उपयुक्त व्यक्ति हैं।'' आगे उन्होंने यह भी कहा, ''अर्जुनसिंह एक कुशल प्रशासक भी हैं और विख्यात राजनीतिज्ञ भी। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को निभाना खूब आता है।'' जब श्री अर्जुनसिंह को अपनी इस नियुक्ति पर विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, ''मुझे खुशी है कि मैं राजीव जी का विश्वास पात्र हूं।'' आगे उन्होंने कहा कि, ''एक कांग्रेसी होने के नाते हमें दलीय अनुशासन को मानना ही पड़ता है।'' अर्जुनसिंह ने पूछे जाने पर कहा कि गत सप्ताह कान्हा वनस्थली में पंजाब की हालत या इस नियुक्ति बाबत् उनकी राजीव गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पहले से पंजाब समस्या पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

पंजाब के राज्यपाल पद के लिए अर्जुनसिंह का चयन बड़े दिलचस्प ढंग से हुआ। 12 मार्च, 1985 को अर्जुनसिंह काम से दिल्ली गए थे। वे

प्रधानमंत्री के कार्यालय, 1 अकबर रोड में खड़े हुए प्रधानमंत्री के निजी सचिवों से बातें कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री स्वयं उनके पास आये और उन्होंने उनसे कहा, "आप से कुछ बात करनी है।" इशारा गोपनीय वार्ता की ओर था। अर्जुनसिंह समझे, मध्यप्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री को कोई जानकारी चाहिए होगी। जब अकेले में दोनों की बातचीत हुई तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे उन्हें पंजाब, राज्यपाल के रूप में भेजना चाहते हैं- इस उद्देश्य से कि वे वहां की ज्वलंत समस्या को हल करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने अर्जुनसिंह से पूछा, "क्या आपको कोई आपत्ति है।" तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है।" अर्जुनसिंह ने केवल यह पूछा, "मुझे कब जाना होगा?" तो राजीव गांधी ने जवाब दिया, "जितनी जल्दी आपसे हो सके।" और इस गोपनीय वार्ता के 24 घंटों के भीतर अर्जुनसिंह पंजाब में थे। दल के सर्वोच्च नेता के प्रति इससे बढ़कर निष्ठा और क्या हो सकती है। पद ग्रहण करने पर अर्जुनसिंह ने कहा "मेरा नया कार्यभार एक चुनौतीपूर्ण काम है, मैं इसे पूरा करने की यथाशक्ति कोशिश करूंगा।" पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद अर्जुनसिंह ने सबसे पहले तो अकाली दल की प्रमुख मांगों का अध्ययन किया - आनंदपुर साहब के प्रस्ताव पर विचार किया और सोचा कि संविधान के अंतर्गत किस प्रकार इन समस्याओं का निदान किया जावे।

पंजाब की समस्याओं के बारे में अर्जुनसिंह ने सुप्रसिद्ध पत्रकार खुशवंतसिंह के उन सुझावों का भी मनन किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखे पत्र में व्यक्त किये थे। खुशवंतसिंह यह मानते थे कि पंजाब की समस्या को बिगाड़ने के लिये अकाली बहुत हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि "राजीव गांधी को सिखों से सीधी बात करना चाहिये तथा उन्हें स्वर्ण मंदिर जाना चाहिये..... राजीव गांधी एक बहादुर व्यक्ति हैं वे इस तरह की सीधी कार्यवाही कर सकते हैं।"

खुशवंत सिंह ने जो सुझाव दिये उनमें कुछ प्रमुख सूझाव इस प्रकार थे-

1. सरकार को अकाली नेताओं को रिहा कर देना चाहिये - वह उन्हें बंद रखकर नाहक हीरो बना रही है।

2. अकाली नेता, जेल से बाहर आने पर सिखों का सामना नहीं कर पायेंगे। सिख उनकी दुर्गति करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये सिखों को तीसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। पूरा देश आज सिखों को शक की निगाहों से देख रहा है। कल यदि किसी और बड़े नेता के साथ कुछ हो जाये तो, पूरे देश में सिख तबाह हो जायेंगे।

3. यह सब अकाली दल की सत्ता की लालसा के कारण हुआ। रूढ़िवादी सिख इस बात से चिंतित थे कि सिख दाढ़ी और बाल कटवाने लगे हैं। सिखों की अलग पहचान बनाये रखने के लिये उन्होंने सिखों से साम्प्रदायिकता की भावना फैलाई।

4. पंजाब समस्या के हल के लिये यह आवश्यक है कि पानी के बंटवारे के मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिये।

5. राजीव गांधी को पिछले दिनों हुये दंगों की न्यायिक जांच करवानी चाहिये।

6. पंजाब में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। पंजाब में उद्योग लगाये जाना चाहिये। इससे गांवों में युवक हिंसक कार्यों में लगने के बजाय उद्योग धंधे में लगेंगे।

खुशवंत सिंह ने आगे कहा कि "भिंडरावाले की बातों से कोई सहमत नहीं था। एक पागल आदमी ने सारे मुल्क को पागल कर दिया।"

यदि सरकार मेरे सुझावों पर अमल करेगी, तो पंजाब समस्या का हल जल्दी निकल आयेगा। मैं सिख होकर कहता हूं कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की कुछ बातें बहुत गलत हैं और सरकार को उन्हें नहीं मानना चाहिये। कुछ मांगों को मान लेने पर अकालियों को भी अपनी इज्जत बचाने का मौका मिल जायेगा।

7. भजन लाल के वृहत्तर पंजाब का सुझाव एकदम गलत है - इसे कोई नहीं मानेगा। न पंजाब के लोग और न ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोग। जब पूरे देश में राज्यों का गठन भाषायी आधार पर हुआ है तो पंजाब को अपवाद कैसे बनाया जा सकता है। चंडीगढ़ के बारे में खुशवंत सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश रहने देना चाहिये। (राजीव शुक्ल - रविवार 10 से 16 मार्च 1985)

अर्जुनसिंह ने समझ लिया था अकालियों की बहुत कुछ मांगे मानी जा सकती हैं असल में पंजाब की समस्या भावनात्मक ज्यादा हैं। जिसे सिखों में विश्वास जागृत करके स्नेह - प्यार से सुलझाया जा सकता है - ताकत से नहीं। और इस दिशा में अर्जुनसिंह ने अपने कदम बढ़ा दिये।

पंजाबी अर्जुनसिंह को नहीं आती थी किन्तु उन्होंने पंजाबी भाषा देवनागरी में लिखकर बोलना शुरू किया और सबसे पहला भाषण रेडियो पर प्रसारित किया जो देवनागरी में लिपिबद्ध पंजाबी भाषा में था अर्जुनसिंह का यह भाषण महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

**उन्होंने कहा, "आज इस प्रदेश के प्रथम सेवक के रूप में आपको पहली बार संबोधित करते हुए मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। मुझे भारत के उन लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जो न केवल बहादुर है और नेक दिल है, बल्कि जिन्होंने इस महान देश के इतिहास के कई पन्नों को अपने खून और पसीने से लिखा है। भारत की**

आजादी की जंग में शहीद आजाद भगतसिंह, राजगुरू सुखदेव और कर्नल ढिल्लन के अलावा हजारों-हजार बहनों और भाइयों ने जो कुर्बानियां दी है, आज उसी की बदौलत हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं, इस आजादी और देश की एकता व अखण्डता की रक्षा करना हम सबका सबसे पहला फर्ज है।

आजादी के बाद के भारत की तरक्की की शुरूआत पंजाब से ही हुई और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां पंजाब के मेहनती व लगनशील लोगों ने कई नयी मिसाल न कायम की हो, जहां के किसानों ने नयी तकनीक इस्तेमाल करके हर फसल की पैदावार कई गुना बढ़ा ली है और देश को अनाज के मामले में अपने पैरों में खड़े होने लायक बना दिया है। इसी तरह उद्योगों के मामले में चारों तरफ छोटे व बड़े उद्योग की स्थापना करके तरक्की की एक नयी फिजा तैयार कर दी है।

यह दुःख की बात है कि इन सब क्षेत्रों में आज हमारी रफ्तार कुछ धीमी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में शांति भंग होती रही और एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं, जिससे आम आदमी के जीवन में अड़चने पैदा होती रहीं। प्रदेश की खुशहाली को बरकरार रखने के लिए और तेजी से आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अमन चैन बना कर रखें। शांति और तरक्की एक साथ चलती है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम सबको होशियार रह कर एक दूसरे का साथ देना है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि शासन प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभायेगा।

हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, पंजाब की खुशहाली, अमन चैन और तरक्की के लिए हर संभव तरीके से आपकी

मदद करना चाहते है। अभी अपनी पंजाब यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं जिनको अमल में लाने के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू हो गयी है, पंजाब के किसानों को गेहूं की खरीदी के समय बोनस देने की बात भी उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री जी की इच्छानुसार प्रदेश शासन ने इस रबी की खरीदी के समय प्रति क्विंटल गेहूं पर 5.00 रुपये (पांच रुपये) का बोनस देने का निर्णय लिया है इस तरह करीबन 26 करोड़ रुपये पंजाब किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी प्रकार उद्योग धंधों में जो अड़चन पैदा हुई हैं, उन्हें भी एक समय के अंदर दूर करने का निर्णय लिया गया है, जिससे फिर पंजाब इस रास्ते पर तेजी से बढ़ सके।

मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि प्रदेश के नौजवानों के दिल और दिमाग पर कुछ बोझ है और कुछ नाराजगी भी है, मेरा विश्वास है कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक नौजवान उस काम में पूरी तरह न लग जाये। मैं कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता हूं लेकिन नौजवान भाइयों और बहनों से दरखास्त करता हूं कि मुझे सेवा करने का थोड़ा मौका दें और हिंसा व टकराव के रास्ते पर जाने की बात छोड़ दें। दुनिया के इतिहास से हमको यह सबक मिलता है कि कोई भी समस्या बंदूक-तलवार की नोंक पर नहीं सुलझ सकती है। किसी भी कठिनाई पर काबू पाने के लिए सिर्फ एक ही रासता है, और वह है प्रेम और सद्भाव का दिलों को जोड़ कर, कंधे-से-कंधा मिला कर हौसले से काम करके ही हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं।

आज प्रदेश के सामने कुछ सियासी मसले भी है, जिन्हें हमें सुलझाना है। प्रदेश के सभी राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन मामलों पर ठंडे दिल से और प्रदेश व देश के हितों

को ध्यान में रखकर ही विचार करें। यह सोचना गलत होगा कि एक पक्ष की हार या एक पक्ष की जीत हमारी समस्याओं का समाधान है। प्रश्न किसी की हार या जीत का नहीं है, प्रश्न देश की एकता और आजादी को बरकरार रखने का है। यदि भारत स्वतंत्र व अखंड रहेगा, तो हम सब भी जिंदा रहेंगे, उसके बाहर हममें से किसी की कोई कीमत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश के सभी नेतागण इसी आधार पर इन सब मामलों को सुलझायेंगे। इस काम में आपके सेवक की हैसियत से मैं जो भी कर सकता हूं, ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा।

इस प्रदेश के लोगों को बेशुमार और बहुत कीमती चीजें इतिहास से वसीयत के रूप में मिली है। हमारे पवित्र गुरूद्वारे, मंदिर, मस्जिद, हमारे पूज्य गुरूओं, संतों और फकीरों की वाणी और उपदेश ये सब हमसे अपने फर्ज की अदायगी का तकाजा करते है। हर मुल्क के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, जब वहां के रहने वाले इंसानों के इरादों और हौसले की परख होती है। आज हम भी ऐसे ही एक समय से गुजर रहे हैं। हम सबको यह साफ तौर से दुनिया को दिखा देना है कि हमारे लिए इस देश में रहने वाले प्रत्येक इंसान की इज्जत व खुशहाली उतनी ही अहमियत रखती है जितनी खुद अपनी और अपने देश की तरक्की की। और इसकी आजादी और अखण्डता को बरकरार रखने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।

भारत माता ने हम सबको बेहद प्यार और वरदान दिये है। इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स ने कुछ न कुछ पाया है और उसकी जिन्दगी पहले से कुछ बेहतर हुई है। आज मां को हमसे भी कुछ चाहिए। आइए, हम सब बिना किसी भेदभाव के भारत माता के आंगन की खुशहाली में चार चांद लगाने में जुट जायें और अपनी मेहनत और बलिदान से इस देश में नये इतिहास को बनाये।''

अर्जुनसिंह के इस प्रसारण का पूरे पंजाब में व्यापक प्रभाव पड़ा और अकाली नेताओं, सिख नागरिकों और सिख युवकों को आभास होने लगा कि अर्जुनसिंह निश्चित रूप से पंजाब समस्या का सार्वजनिक हल निकालने के लिये कृत संकल्पित हैं।

अर्जुनसिंह ने बड़ी चतुराई से पंजाब के प्रमुख अकाली नेताओं के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में और किस नेता के गुट में कौन-कौन हैं जानने का प्रयास शुरू किया उन्होंने पाया कि पंजाब में संयुक्त अकाली दल के उग्रवादी धड़े में बाबा जोगेन्दर सिंह प्रमुख हैं। जो जनरैल सिंह भिंडरावाले के पिता हैं। बाबा जोगेन्दरसिंह ने अकालियों की मांगों के सिलसिले में आंदोलन चलाने के लिये एक तदर्थ समिति का गठन किया, जिसमें संत हरचन्दसिंह लोंगोंवाल और गुरूचरण सिंह टोहरा को छोड़कर, प्रकाश सिंह बादल, जगदेवसिंह तलवंडी, उजागर सिंह सेखों, प्रकाशसिंह मजीठिया, मोहन्दरसिंह सैन्यावाले और रणजीत सिंह ब्रहमपुरा थे। प्रकाश सिंह बादल को केवल इसलिये शामिल किया था कि वे कभी भी संत हरचंदसिंह लोंगोवाल को छोड़कर बाबा जोगेन्दरसिंह के गुट में आ सकते हैं। बाबा का यह गुट उग्रवादी स्वभाव का था। जबकि संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल जिसमें सुरजीत सिंह बरनाला और बलवंतसिंह प्रमुख थे उदारवादी स्वभाव का था। यथार्थ में लोंगोवाल का ही प्रमुख अकाली मोर्चा था। सिखों में भी उनकी साख थी। अर्जुनसिंह ने सोची-समझी नीति की तरह इन नेताओं से निरन्तर सम्पर्क बनाना प्रारंभ कर दिया था। शनैः शनैः अर्जुनसिंह आशान्वित होते गये। पंजाब के लोगों को भी लगने लगा कि जबसे अर्जुनसिंह पंजाब के राज्यपाल बने तबसे वे निरन्तर पंजाब की समस्या सुलझाने के लिये कटिबद्ध रहे और उन्होंने सार्थक पहल भी की।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी अर्जुनसिंह ने पंजाब की वीर-भूमि में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। 23 मार्च को प्रधानमंत्री राजीव

गांधी, शहीद भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव की स्मृति में बनाये जा रहे 'राष्ट्रीय स्मारक' की आधारशिला रखने हुसैनीवाला जिला फिरोजपुर गये। राजीव गांधी ने पंजाब के शौर्य, संस्कृति और उनकी उद्यमिता पर विस्तार से भावात्मक भाषण दिया। वे पंजाब की संस्कृति पर बोले, पंजाब में खुदाई में पाये गये ऐतिहासिक महत्व की चीजों पर चर्चा की। हिन्दुस्तान की हरित क्रांति में पंजाब के किसानों के योगदान और भांगड़ा बांध का जिक्र किया। उन्होंने तीन घोषणाएं भी की थी। 1. बांध बनवाने का आश्वासन, 2. गेहूं की पैदावार पर बोनस का वायदा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान अपनी भूमिका मेहनत से अदा कर रहा है- अब पंजाब की खुशहाली के लिये नये बांधों का निर्णय होगा जिससे पंजाब को ज्यादा पानी मिलेगा। 3. इंटीग्रल कोच फैक्टरी की स्थापना की महती घोषणा की तथा पंजाब की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिये पंजाब में आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र बनाने की घोषणा की।'' जिससे पंजाब में समस्या के निदान में स्वच्छ वातावरण निर्मित हुआ। (रविार 31 मार्च 85)

अर्जुनसिंह समझते थे कि कई वर्षों के लगातार राष्ट्रपति शासन के कारण प्रशासन जनता की भावनाओं से कट सा गया था। एक लोकप्रिय सरकार को अन्यान्य श्रोतों से जनता के दुखः-दर्दों के बारे में मालूम पड़ता था वह सिलसिला भी ठहर गया था। ऐसी स्थिति में पंजाब की सीमाओं से बाहर, चण्डीगढ़ में बैठकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पंजाब में राज-काज देख रहे थे। अधिकारी जितने भी सक्षम और संवेदनशील क्यों न हों उनके लिए जनता के साथ समन्वय स्थापित करना और उनकी नब्ज को पहचानना मुश्किल ही होता है, इसलिए न केवल कानून-व्यवस्था के मामलों में, परंतु प्रशासन के हर स्तर पर और हर क्षेत्र में जन भावनायें और प्रशासन अलग दिशा में चल रहे थे। ऐसे समय में अर्जुनसिंह के सामने सबसे पहले प्रशासन की साख को वापस लौटाना था और उसे जनता के दुःख दर्दों के साथ समन्वित करना था। इसके लिए उन्होंने सभी विभागीय

कामों में चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, विद्युत वितरण का हो, सिंचाई का हो, पीने के पानी का हो सीधे दिलचस्पी ली और विभाग के संबंधित अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए। प्रशासन व जनता की खाई को पाटने के लिए उन्होंने स्वयं पंजाब के व्यापक दौरे किये, जिससे अधिकारियों में जो डर की भावना थी, वह भी दूर हो सकी।

इसके साथ ही उन्होंने जिला स्तरीय प्रशासन की सीधी पहुंच राजभवन तक करवाई जिससे निर्भीक होकर मैदानी अधिकारी उन तक पहुंच सके। इन उपायों से कई वर्षों में पहली बार पंजाब के नागरिकों में ऐसी भावना पैदा हुई कि उनके दुःख दर्द में कोई पुरसाने हाल है।

दूसरा सवाल राजनीतिक गतिविधियों के प्रारंभ करने का था। वहां आतंकवाद के कारण सामान्य राजनीतिक गतिविधियां ठहर सी गई थीं। वर्षों से पंजाब में कोई आम सभा तक नहीं हुई थी। सारी राजनीतिक गतिविधियां मानो भूमिगत हो गई थीं। उसको वापस सतह पर लाने के लिए सूझ-बूझ और साहस के साथ उन्होंने पंजाब के राजनीतिज्ञों से संपर्क किया और आम सभाएं भी आयोजित की। सबसे महत्वपूर्ण 13 अप्रैल को जलियां वाला बाग में आम सभा की जिसमें देशभर के राजनैतिज्ञों ने हिस्सा लिया। जो अपनी बात कहना चाहते थे उनको मंच मिलना शुरू हुआ। इससे बाहर और पूरे पंजाब में यह विश्वास बढ़ना शुरू हुआ कि पंजाब के बारे में आतंकवादियों के अलावा औरों को भी सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से और नेताओं से विचार-विमर्श का सिलसिला भी प्रारंभ किया जो लगातार चलता रहा।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जन संचार माध्यमों और खासकर जो अखबार थे उनका प्रशासन में विश्वास नहीं था और न ही जनता प्रशासन के पक्ष की बात अखबारों में देखकर विश्वसनीय मानती थी। इसका एक बड़ा कारण जन संचार माध्यमों पर अधिकारियों द्वारा चलाये जा

रहे प्रशासन का प्रभाव था। अधिकारी स्वतः उनसे बात-चीत करने में कतराते थे और पत्रकार भी अधिकारियों को विश्वसनीय नहीं मानते थे। अर्जुन सिंह ने स्वयं मिलने का व्यापक सिलसिला तो शुरू किया ही साथ ही प्रशासकीय स्तरों पर भी लोगों को प्रसार माध्यमों के संबंध में संवेदनशील बनाया। धीरे-धीरे पंजाब में ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि प्रशासन की बात अपेक्षित धैर्य से और संवेदनशीलता से सुनी जाने लगी। अर्जुनसिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान उन्हें एक भी समाचार का प्रतिवाद जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी।

उन्होंने अनेक सभाओं, संस्थाओं को भी पंजाब के सार्वजनिक जीवन में और अधिक सक्रिय किया और उनके कार्यक्रमों में शिरकत की। कुल मिलाकर अधिकारियों पर निर्भर प्रशासन के बावजूद लोकप्रिय प्रशासन देने की पूरी कोशिश की जिससे प्रशासन की साख और विश्वसनीयता बन सके। इस साख और विश्वसनीयता के आधार पर ही वे राजनीतिक पहल करते थे जो आम जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करती थी और जिसमें उनकी स्वीकृति हो।

इसी तारतम्य में अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा की स्थापना की और उसके उद्घाटन के बाद एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुये उन्होंने कहा था कि पंजाब समस्या में वे तमाम मुद्दे हैं- जिनका समाधान संभव है, बशर्ते लोगों का रवैया समझौता वादी हो। अर्जुनसिंह ने हरचंदसिंह लोंगोंवाल से धीरे-धीरे बहुत सम्पर्क बढ़ा लिया था- प्रेक्षकों का मानना था कि अर्जुनसिंह सरकारी प्रचार माध्यमों से लोंगोंवाल का प्रचार करके, और उन्हें प्रमुख पक्षकार बनाकर समझौता करना चाहते हैं। अर्जुनसिंह की इस पहल से सारे समाचार पत्र अर्जुनसिंह के समझौते या पहल का खुला समर्थन करने लगे। इस तरह एक ओर अर्जुनसिंह ने लोंगोवाल से सम्पर्क किया तो दूसरी ओर दूसरे प्रमुख अकाली

नेताओं से भी पहल की उनसे भी चर्चाएं की। सिख युवा छात्र संगठन के नेताओं से भी चर्चा की।

अर्जुनसिंह की पहल पर पंजाब की समस्या अब एक ठहराव पर आ गई थी - अकाली कहने लगे कि चंडीगढ़ और पानी का बंटवारा अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है प्रमुख मांग है कि सिखों की गरिमा की पुर्नस्थापित किया जावे। कब कैसे!

अकालियों के रूख को नरम करने में अर्जुनसिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी - उन्हें धीरे-धीरे सफलता भी मिलने लगी क्योंकि इस काम में अर्जुनसिंह ने बहुत ही चतुराई और समझदारी से पंजाब के माहौल को बेहतर बनाने के लिये काम किया है - जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था।

संत हरचन्दसिंह लोंगोवाल से वे बराबर सम्पर्क में हैं। उन्होंने सिखों की भावनाओं को समझकर उनके प्रति पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की है। उन्होंने सभी अकाली सूत्रों से व्यक्तिगत रिश्ते बढ़ाये, फिर पंजाब की जेलों से लोगों को बाहर करने का आदेश, जिनके विरूद्ध कोई ठोस आरोप नहीं, एक अगस्त 1982 के बाद अकाली आंदोलन में, जितने लोग मारे गये थे, उनके परिवारों को सहायता तथा नवम्बर 1984 में सिख विरोधी दंगों की जांच, दंगों में पीड़ितों की सहायता एवं पुनर्वास के लिये विशेष समिति का गठन। उपयुक्त सभी निर्णय स्वागत योग्य है। जिससे पंजाब और सिखों की उलझी हुई समस्या को सुलझाने में भारी सफलता मिलना दृष्टिगोचर होने लगा। (रविवार 21 जुलाई 85)

इस तरह अर्जुनसिंह के राज्यपाल बनने के बाद पिछले दो महिनों में जिस तरह से पंजाब समस्या सुलझाने के लिये गंभीरता से प्रयास शुरू किया है, उससे पंजाब के लोगों को लगने लगा है कि शायद पंजाब पहले की तरह

फिर सामान्य हो जाये। इससे पंजाब के तनावपूर्ण माहौल में एक शिथिलता जरूर आयी है। हिन्दुओं और सिखों के बीच तनाव में काफी कमी आई है। पंजाब के शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी हिन्दू-सिख साथ-साथ बैठे हुए नजर आते हैं और पंजाब मसले पर बातें करते हैं।'' (जगमीत उप्पल रविार 28 अप्रैल 4 मई 85)

राज्यपाल अर्जुनसिंह के सुझाव पर वैसाखी के दो दिन पहले जब गृहमंत्री ने संसद में यह घोषणा की कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुये दंगों की न्यायिक जांच करवायी जायेगी और साथ ही अखिल भारतीय सिख छात्रसंघ पर से पाबंदी हटा ली गई है, तो उससे निश्चय ही पंजाब के आम आदमी ने राहत की सांस ली है। साथ ही केन्द्र सरकार ने उन अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को छोड़ने की बात भी की है, जिन पर गंभीर अपराधिक मामले नहीं है। ऐसे कुछ लोग बैसाखी के दूसरे दिन छोड़ भी दिये गये।''

अर्जुनसिंह ने जो कहा, वह हमेशा करके दिखाया। उन्होंने राज्यपाल की हैसियत से अपने उत्तरदायित्वों को भली-भांति निभाया। राज्यपाल के रूप में उन्होंने अनेक रचनात्मक कार्य किये। किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में पंजाब की समस्या का निदान बाकी था। इस हेतु उन्होंने संत हरचन्द सिंह लोंगोंवाल को ही उपयुक्त अकाली नेता माना और पंजाब समस्या के हल तक पहुंचने के लिए राजनीतिक वार्तालापों, बैठकों और मेल-मुलाकातों का एक लंबा दौर चला। इन सब में अर्जुनसिंह ने केन्द्रीय भूमिका अदा की। उन्होंने पंजाब के भूतपूर्व वित्तमंत्री बलवंतसिंह, जो संत लोगोंवाल के दाहिना हाथ थे, से अनेकानेक मुलाकातें की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी अर्जुनसिंह का सघन संपर्क था और प्रगति की जानकारी उन्हें बराबर दी जा रही थी।

इस प्रक्रिया की शुरूआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अर्जुनसिंह को पंजाब के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया। अर्जुनसिंह हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने राज्यपाल पद की शपथ लेने के तत्काल बाद ही पंजाब में सामान्य हालात की बहाली हेतु अथक प्रयास शुरू कर दिए। उनका हर सरकारी कदम इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता था।

राज्यपाल अर्जुनसिंह से चर्चा के उपरांत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संत लोगोंवाल को अपना पहला पत्र 2 जुलाई को तब भेजा था जब पंजाब के राज्यपाल अर्जुनसिंह और बलवंतसिंह की गोपनीय वार्ता में प्रगति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे।

यह स्वाभाविक ही है कि यह पत्र नितांत गोपनीय था। यह पत्र अर्जुनसिंह के एक निजी सचिव द्वारा लोगोंवाल को हाथों हाथ दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि अब समय आ गया है कि सरकार और अकाली नेता पुनः बातचीत शुरू करें। परंतु इसमें वार्ता के लिए कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था।

2 जुलाई से 24 जुलाई के बीच क्या वार्ताएं होती रहीं, यह आधुनिक राजनीतिक इतिहास की सर्वाधिक गोपनीय बातों में से एक है। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सचमुच एक चमत्कार ही लगता है कि उन वार्ताओं की गोपनीयता भंग क्यों नहीं हुई? इसका प्रमुख कारण संभवतः यह था कि वार्ता गिने-चुने व्यक्तियों के बीच हुई और वार्ताकार जानते थे कि वार्ता की गोपनीयता बनाये रखना कितना आवश्यक है। गोपनीयता भंग होने से एक महान देश का वर्तमान एवं भविष्य खतरे में पड़ सकता था।

अर्जुनसिंह ने अनुकूल राजनीतिक वातावरण सृजित करने के लिए अथक प्रयास किये जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री "आपरेशन ब्लू स्टार" के

महिनों पहले से टूटे हुये बातचीत के सिलसिले को पुनः प्रारंभ करने का सुझाव दे सके। संत लोंगोवाल ने अपने केवल दो प्रमुख सहयोगियों भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरजीतसिंह बरनाला तथा पंजाब के भूतपूर्व मंत्री बलवंतसिंह को इस पत्र के बारे में बतलाया था। लोंगोवाल ने इन दोनों से पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की शपथ ले ली थी जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया भी।

राज्यपाल अर्जुनसिंह के तीन सप्ताह अत्यधिक बैचेनी व तनाव के बीते। उनके और अकाली दल के नेताओं के बीच अनेक गोपनीय बैठकें हुई कभी राजभवन में तो कभी अन्यत्र। कभी ये वार्ताएं प्रत्यक्षतः अर्थात् विना किसी मध्यस्थ के होती थी, तो कभी मध्यस्थों, जैसे कि पंजाब के सर्वाधिक सम्मानित बुद्धिजीवियों में से एक, **डॉ अतरसिंह के** माध्यम से। अंतिम एवं संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक स्वयं संत लोगोंवाल और अर्जुनसिंह के बीच हुई। यह भेंट-वार्ता बलवंतसिंह के निवास स्थान पर रात्रि में हुई।

परंतु इस बीच भाग्य चक्र ने उल्टी दिशा पकड़ ली और टोहरा ने एकदम से कड़ा रूख अपना लिया। उन्होंने अपने एक भाषण में मांग की कि पंजाब समस्या का हल भारतीय संविधान के बाहर ही संभव है। दुर्भाग्यवश वे बादल को भी अपनी ओर फोड़ने में सफल हो गए। कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि संभवतः प्रधानमंत्री के निमंत्रण को संत लोगोंवाल ठुकरा देते। परंतु वह तो अर्जुनसिंह की रणनीति थी कि उन्होंने लोगोंवाल को वार्ता का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी कर ही दिया।

अर्जुनसिंह और संत लोंगोवाल में जो रात्रिकालीन वार्ताएं राजभवन में हुई, वे पूर्णतः गोपनीय रखी जाती थीं। फिर भी रणधीर सिंह चीमा को राजभवन वाली गुप्त बैठकों की कुछ भनक कहीं से पड़ गई लेकिन जब राजभवन कार्यालय से इस बाबत् पूछा गया तो उसने साफ नकार दिया कि ऐसी कोई बैठकें नहीं हो रही है। किन्तु चीमा के तथाकथित आरोप के फलस्वरूप राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था में अमूल परिवर्तन कर दिया गया।

अंततः अर्जुनसिंह द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप संत लोंगोवाल ने प्रधानमंत्री द्वारा वार्ता हेतु भेजे गये निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। राजीव गांधी के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा - 'मैं चाहता हूं कि केन्द्र ने सिखों के लिए कुछ और भी दिया होता, परन्तु फिर भी ..... मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं।

प्रधानमंत्री ने तत्काल पत्रोत्तर भेजते हुए इस बार बातचीत के लिए तिथि व समय भी प्रस्तांवित किया। दिनांक 23, जुलाई प्रातः 10.00 बजे। लोंगोवाल को यह भी कह दिया गया था कि यदि वे चाहें तो वार्ता में शामिल होने के लिए अपने किसी साथी को भी ला सकते हैं यह संदेश करते हुए कि टोहरा या बादल पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिये संत लोंगोवाल और बलवंतसिंह के नाम भेजे थे।

यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई टोहरा और बादल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लग गये कि संत वार्ता हेतु नहीं जाये। फलतः जुलाई 21 को जब अंतिम बार संत और अर्जुनसिंह के बीच वार्ता हुई, तब तक यह पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि क्या अगले दिन संत दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज पकड़ेंगे। परंतु इसे ईश्वर की अनुकम्पा ही कहा जायेगा कि अंततोगत्वा वे उस ऐतिहासिक समझौता पर प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करने के लिए गये।

इसके पूर्व अर्जुनसिंह लोगोंवाल से बार-बार मिलते रहे ताकि प्रस्तावित समझौता के प्रारूप को उनकी इच्छाओं के अनुकूल बनाया जा सके। सरकारी स्तर पर प्रारूप के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके विश्वास पात्र सिपहसालार अर्जुनसिंह को ही जानकारी थी।

जब मंगलवार दिनांक 23, जुलाई को प्रधानमंत्री और लोगोंवाल के बीच वार्ता आरंभ हुई, तब चण्डीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे के बारे

में हिचक व संशय था। अकाली स्त्रोतों के अनुसार अर्जुनसिंह और बलवंतसिंह ने समझौते का जो प्रारूप तैयार कर प्रधानमंत्री व लोंगोवाल को प्रस्तुत किया था, उसमें पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों के एक साथ हस्तांतरण की बात नहीं कही गई थी और न ही राजस्थान के नदियों के पानी की हिस्सेदारी की।

जबकि, क्षेत्रीय विवाद बुधवार की सुबह तक सुलझ गया था क्योंकि अकाली एक साथ हस्तांतरण पर सहमत हो गये थे, वहीं पानी विवाद उस दिन बारह बजे तक भी अनसुलझा रहा था। इस विषय पर लगातार नौ घंटे तब बातचीत चलती रही। परिणामतः प्रधानमंत्री की विरोधी नेताओं के अपरान्ह 3.30 पर प्रस्तावित बैठक, जिसमें वे उन्हें समझौता के बारे में बतलाते निरस्त कर दी गई। इसके रद्द किये जाने से राजनीतिक हलकों में चिन्ता व्याप्त हो गई। अकाली प्रतिनिधि सोचने लगे कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और मामला जहां से शुरू हुआ था वहीं अटक कर रह गया है। किन्तु अंततः अकालियों द्वारा यह मान लेने पर कि फिलहाल नदियों के पानी के बंटवारे के प्रश्न को नहीं उठाया जाये, समझौता सम्पन्न हो गया।

इसमें कोई शक नहीं कि करार मूलतः समझौते याने कुछ हम झुके-कुछ आप की भावना के फलस्वरूप ही सम्पन्न किया जा सका। उदाहरणार्थ सेना को छोड़ने वालों को पुनः सेना में तो नहीं लिया जायेगा पर पुनर्वास जरूर दिया जायेगा अर्थात् उन्हें अन्य नौकरी में रख लिया जायेगा। इसी प्रकार करार में यह तय किया गया कि विशेष न्यायालय समाप्त नहीं किये जायेंगे लेकिन वे केवल उन लोगों के मुकद्में ही सुनेंगे जिन पर युद्ध छेड़ने अथवा विमान अपहरण करने का आरोप हो और यह भी तय किया गया कि सम्पूर्ण आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव नहीं बल्कि उसके केवल केन्द्र राज्य संबंध वाले भाग को सरकारिया आयोग भेजे जायेंगे।

अंततः 24, जुलाई 1985 को सायंकाल 5.45 पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल अध्यक्ष संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने उस ऐतिहासिक 'समझौता' पर हस्ताक्षर किये जो ''लोंगोवाल समझौता'' नाम से विख्यात है और जिसके बनने में अर्जुनसिंह ने सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

# 8

# अर्जुनसिंह की सफलता राजीव-लोंगोवाल समझौता

अपने राज्यपाल की कार्यावधि के दौरान अर्जुनसिंह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि **राजीव लोंगोवाल समझौता** है। इसके हस्ताक्षरित होने में अर्जुनसिंह ने केन्द्रीय भूमिका निभाई। यह इकरार बहुत दौड़-धूप, राजनीतिक बैठकों व वार्तालापों एवं मेल-मुलाकातों का सुपरिणाम था इस ऐतिहासिक करार पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल अध्यक्ष संत हरचन्दसिंह लोगोंवाल ने 24, जुलाई 1985 को दस्तखत किए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाम संसद के दोनों सदनों में करार पर हस्ताक्षर किये जाने की घोषणा भारी हर्षध्वनि के बीच की। उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश की कठिनाई का एक दौर समाप्त हुआ है और अब सभी मिलकर एकता और अखण्डता के लिए काम कर सकेंगे।

## समझौते का विस्तृत विवरण

राजीव-लोगोंवाल के बीच पंजाब के मसले पर हुये समझौते की मूल प्रति अंग्रेजी में है। इस साढ़े चार पृष्ठ वाले दस्तावेज में "ग्यारह" पैराग्राफ हैं। समझौते पर हस्ताक्षर के समय केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की राजनीतिक मामलों की समिति के सभी सदस्य और अकाली दल के दो प्रमुख नेता सुरजीत सिंह बरनाला और बलवंतसिंह उपस्थित थे। राजीव गांधी ने जब लोकसभा में समझौते की घोषणा की तब अर्जुनसिंह अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित थे।

## राजीव - लोंगोवाल करार के ग्यारह सूत्र

### 1. मारे गये निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा

पंजाब में एक अगस्त 1982 के बाद की घटनाओं में मारे गये निर्दोष व्यक्तियों को अनुग्रह राशि और सम्पत्ति की क्षति का मुआवजा दिया जायेगा।

### 2. सेना में भरती

2.1 देश के सभी नागरिकों को सेना में भरती का अधिकार होगा और योग्यता के आधार पर चयन किया जायेगा।

### 3. नवम्बर में हुये दंगों की जांच

3.1 दिल्ली में नवम्बर 84 में हुये दंगों की जांच करने वाला रंगनाथ मिश्र आयोग कानपुर और बोकारो के दंगों की भी जांच करेगा।

### 4. सेना से निकाले गये लोगों का पुनर्वास

4.1 सेना से निकाले गये लोगों के पुनर्वास के प्रयास किये जायेगें।

## अखिल भारतीय गुरूद्वारा अधिनियम

5.

5.1 अखिल भारतीय गुरूद्वारा अधिनियम बनाया जायेगा। इसके लिए भारतीय सरकार अकाली दल और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेगी और सभी संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

## सशस्त्र सेना विशेषाधिकार

6.

6.1 सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को पंजाब में लागू करने वाली अधिसूचना वापिस की जायेगी। वर्तमान विशेष न्यायालय केवल युद्ध छेड़ना, विमान अपहरण करना आदि के मामले सुनेंगे।

6.2 अन्य सभी मामले सामान्य न्यायालयों को सौंप दिये जायेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में संसद के इसी सत्र में विधेयक रखा जायेगा।

## प्रादेशिक क्षेत्रों संबंधी दावे

7.

7.1 केन्द्रशासित चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जायेगा। कुछ निकटस्थ प्रादेशिक क्षेत्र जो पूर्व में हिन्दी या पंजाबी क्षेत्रों के भाग थे केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल कर लिये गये थे। अब राजधानी क्षेत्र पंजाब को दिये जाने की वजह से केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये क्षेत्र, जो जहां के हों, वहां पंजाब या हरियाणा को लौटा दिये जायेंगे। समूची सुखना झील चण्डीगढ़ का हिस्सा बनी रहेगी और इसलिये वह पंजाब में रहेगी।

7.2 हरियाणा और पंजाब के सीमा संबंधी विवादों को हल करने के लिये एक आयोग बनाया जायेगा। यह आयोग तय करेगा

कि चण्डीगढ़ के एवज में पंजाब के कौन से हिन्दी क्षेत्र हरियाणा को दिये जायेंगे। आयोग अपना निर्णय 31 दिसम्बर 1985 तक दे देगा जिसे मानना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होगा।

7.3 पंजाब को चण्डीगढ़ का और उसके बदले कुछ क्षेत्रों का हरियाणा को वास्तविक हस्तांतरण 26 जनवरी 1986 को एक साथ होगा।

7.4 पंजाब हरियाणा की वर्तमान सीमाओं के बावत् दावों और प्रति दावों के निपटारे हेतु एक अन्य आयोग स्थापित किया जायेगा। इसके फैसले दोनों पक्षों पर अनिवार्य रूप से बाध्य होंगे। सीमाओं का पुनर्निर्धारण गांव को इकाई मानकर भाषायी साम्य और समयबद्धता के आधार पर किया जायेगा।

## 8. केन्द्र राज्य संबंध

8.1 शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि आनन्द साहिब प्रस्ताव पूर्णतः भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्ता प्रदान करना है। ताकि देश की एकता व अखण्डता मजबूत हो क्योंकि विभिन्नता में एकता ही हमारी समूची राष्ट्र व्यवस्था का मूल आधार है।

8.2 अकाली नेताओं ने करार में घोषणा की कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव के केन्द्र राज्य संबंध वाले भाग को विचारार्थ सरकारिया आयोग को भेजा जायेगा।

## 9. नदियों के पानी का बंटवारा

9.1 रावी और व्यास नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा और

राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिये 1 जुलाई 1985 की मात्रा के आधार पर मिलता रहेगा।

9.2 अन्य नदियों के पानी के हिस्सों बाबत पंजाब और हरियाणा के दांवों को एक न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा, जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। इसे अपने फैसले छः माह के भीतर देना होंगे, जो दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से मानना होंगे।

9.3 सतलज यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य जारी रहेगा और 15 अगस्त, 1986 तक पूरा कर दिया जायेगा।

## 10. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

10.1 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण बाबत वर्तमान निर्देशों को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पुनः भेजा जायेगा। (प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे।)

## 11. पंजाबी भाषा को प्रोत्साहन

11.1 केन्द्र सरकार पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठा सकती है।

करार के अंत में कहा गया है कि इससे टकराव का अध्याय समाप्त होकर सद्भाव और सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा। जिससे देश की एकता तथा अखण्डता और मजबूत होगी। इस करार के हस्ताक्षरित होने पर चारों ओर यह आशा व्यक्त की गई कि पंजाब का इतिहास अब खून से नहीं स्वर्ण से लिखा जायेगा।

## राजीव लोंगोवाल समझौते पर प्रतिक्रियायें

अकाली दल अध्यक्ष हरचन्दसिंह लोंगोवाल ने संवाददाताओं से करार के बारे में खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट है।

**समझौते का स्वागत** - विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्यपालों और विशिष्ट नागरिकों ने पंजाब समस्या के समाधान के लिये प्रधानमंत्री गांधी व अकाली दल अध्यक्ष लोंगोवाल के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। जनता पार्टी के नेता मधु दण्डवते ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हिन्दू-सिख एकता और मजबूत होगी। तेलुगुदेशम के पी. उपेन्द्र ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब की जटिल समस्या का समाधान कर प्रधानमंत्री गांधी ने राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। न केवल भारत के सिख, वरन इंग्लैंड में बसे हुए सिखों ने इस समझौते को सही दिशा में उठाया गया एक कदम बताया और इसके लिये प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बधाई दी। भूतपूर्व मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने लंबे समय से चली आ रही पंजाब समस्या सुलझाने के लिये लोंगोवाल की उदारता एवं ईमानदारी की सराहना की। पंजाब के राज्यपाल अर्जुनसिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और लोंगोवाल के साहस के फलस्वरूप पंजाब समस्या का समाधान हो पाया है।

## अकालियों के विश्वास पात्र- ''सरदार'' अर्जुनसिंह

राजीव लोंगोवाल समझौता के हस्ताक्षरित होने से अर्जुनसिंह अकाली विशेषतः सौम्य अकाली नेताओं के विश्वासपात्र बन गए। 24 जुलाई को हस्ताक्षर करने के पश्चात अपनी खुशी जाहिर करते हुए लोंगोवाल ने कहा ''हमारे लिए अर्जुनसिंह अब 'सरदार' अर्जुनसिंह हैं।''

इस करार के सम्पन्न होने से राजनीति हलकों में आशा की किरण जागी कि अब लंबे अर्से से अशांत राज्य में शांति की स्थापना हो जायेगी। यद्यपि उग्र अकाली गुटों ने जो एक पृथक राज्य की स्थापना से कम में सहमत नहीं हो रहे थे, इस करार का विरोध किया परंतु अन्य सभी सिखों देश के और विदेश के भी ने इसका स्वागत किया और इसके सम्पन्न होने पर खुशी जाहिर की। सभी ने राहत की सांस ली।

कुछ लोगों द्वारा द्वारा चलाये जा रहे उग्र हिंसक आंदोलन ने इस महान, विशाल देश की स्थिरता व अखण्डता को ही खतरे में डाल दिया था। सिखों के गुरूद्वारा स्वर्ण मंदिर के भीतर प्रवेश कर भारतीय सेनाओं द्वारा कार्यवाही के परिणामस्वरूप सिखों का उग्रवाद और भी हिंसक हो गया था। जिसकी अंतिम परिणिति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या थी। इसके फलस्वरूप देश के कई स्थानों में सिखों पर खूनी आक्रमण किये गये जिसने सैकड़ों सिखों की जान ली। इन सब घटनाओं ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर इतना जबरदस्त कुठाराघात किया कि आशंका होने लगी थी कि देश की स्थिरता तथा अखण्डता कायम रहेगी अथवा नहीं?

राजीव लोंगोवाल समझौते ने इस आशंका को निर्मूल साबित कर दिया और देश की स्थिरता एवं अखण्डता को बचा लिया। इसका मुख्य श्रेय अर्जुनसिंह को जाता है। इसके सम्पन्न कराने में सर्वाधिक हाथ अर्जुनसिंह का ही रहा। उन्होंने असम्भव को संभव कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया, और वह भी मात्र पांच माह की अल्पावधि में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक परिस्थितियां 'कुछ' अनुकूल होती गई। परंतु उनका फायदा उठाने के लिए राजनीतिक कौशल और सूझबूझ चाहिए। वार्तालाप के दौरान गोपनीयता बनाये रखने की क्षमता चाहिए और अर्जुनसिंह ने यह साबित कर दिया कि इन गुणों की उनमें कोई कमी नहीं है। अर्जुनसिंह के प्रयासों

से सम्पन्न समझौता उग्र अकालियों की पराजय और सौम्य अकालियों की विजय थी।

## समझौते पर अमल

पंजाब समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समझौते को अमल में लाने के लिए अविलम्ब कदम उठाना शुरू कर दिए। समझौते के अनुसार केन्द्र ने दो आयोग और एक न्यायिक प्राधिकरण गठित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। गृह मंत्री शंकरराव चव्हाण ने समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिये। आयोग क्षेत्र संबंधी दावों तथा सीमा विषयों पर गौर करेगा। जबकि न्यायिक प्राधिकरण संबंधित राज्यों को रावी तथा व्यास नदियों से उनके हिस्से के अतिरिक्त जल दिये जाने पर विचार करेगा। यह निर्णय लिया गया कि ये दोनों आयोग तथा न्यायिक प्राधिकरण अगले कुछ दिनों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श कर गठित किये जायेंगे।

दिल्ली के नवम्बर के दंगों की जांच करने वाले रंगनाथ मिश्र आयोग के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। अब यह आयोग बोकारो व कानपुर की गड़बड़ियों की भी जांच करेगा इसी तरह आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का केन्द्र राज्य संबंधी अनुच्छेद भी औपचारिक उल्लेख के लिये सरकारिया आयोग के पास भेजा जायेगा। जिससे समझौते को कार्य रूप दिया जा सके।

# 9

# लोकतंत्र की बहाली : चुनाव

राजीव लोंगोवाल समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद यह विचार किया गया कि पंजाब में 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचित सरकार का गठन कर दिया जाये। केन्द्र सरकार ने 24 जुलाई को हुए करार पर अगले दिन ही कार्रवाई शुरू कर दी।

यद्यपि केन्द्र सरकार के पास दूसरा विकल्प यह था कि संविधान में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन को छः माह की अवधि के लिए 5 अक्टूबर के बाद भी लागू रखा जाए, परंतु उसने इस विकल्प को ठुकरा दिया और यह निर्णय लिया कि राज्य में निश्चित रूप से 5 अक्टूबर से पूर्व चुनाव सम्पन्न करा लिए जायेंगे ताकि वहां लोकतंत्र की बहाली की जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त रामकृष्ण त्रिवेदी ने कहा कि 24 जुलाई को हुए समझौते के बाद पंजाब में जो शांति पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्नतादायक वातावरण बना है, उसे देखते हुये अब पंजाब में चुनाव कराना संभव है।

त्रिवेदी ने समझौता सम्पन्न होने के दूसरे दिन ही अर्थात् तारीख 25 को पंजाब में चुनाव कराये जाने के बारे में राज्य सरकार के विचार जानने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से बातचीत की, निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार तथा केन्द्रीय गृह मंत्राालय को राज्य विधानसभा का कार्यालय समाप्त होने के दिन (26 जून को) एक विज्ञप्ति भी भेजी थी। आयोग को बताया गया कि उसका उत्तर अब भेज दिया जायेगा। आयोग ने राज्य सरकार तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने से पहले चुनाव कराने बावत अपने विचार बताने को लिखा।

समझौते के हस्ताक्षरित होने के कुछ दिनों बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में अर्जुनसिंह ने कहा, पंजाब में चुनाव कराने संबंधी फैसला राज्य की स्थिति के पूर्ण परिप्रेक्ष्य में लिया जायेगा। आगे उन्होंने कहा, "पंजाब के मामले पर केन्द्र और अकालियों में हुये समझौते के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है अतएव चुनाव निःसंदेह क्षितिज पर दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक के.एस.ढिल्लो ने भी कहा कि 'अब राज्य में स्थिति चुनाव कराने के लिये उपयुक्त है।'

**चुनाव कराने का निर्णय :-**

अगस्त माह में राज्यपाल अर्जुनसिंह ने केन्द्र को अपनी रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने राज्य में चुनाव किए जाने की अनुशंसा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब में दिसम्बर 1984 में शेष देश के साथ लोकसभा का चुनाव नहीं किया जा सका था क्योंकि उस समय वहां का माहौल चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं था। परंतु राजीव लोंगोवाल समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद अब परिस्थितियां चुनाव कराने के अनुकूल हो गई हैं।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग और केन्द्र ने निर्णय लिया कि पंजाब में लोकसभा तथा विधान सभा दोनों के चुनाव, 5 अक्टूबर से

पहले, 25 सितम्बर को कराये जायें। चुनाव संबंधी अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की जावेगी। इस अचानक लिए गए फैसले से अब यह संभावना समाप्त हो गई कि पांच अक्टूबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद उसकी अवधि बढ़ाने के लिये संविधान में संशोधन किया जायेगा।

यद्यपि कुछ राजनीतिक दलों, जैसे कि भाकपा, माकपा ने चुनावों का विरोध किया लेकिन अन्य सभी बड़े दलों जैसे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल (लोंगोवाल) आदि ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। एक ओर तो राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी दूसरी ओर उग्र अकालियों ने चुनाव को न होने देने का अपना संकल्प दोहराया। चुनाव की अधिघोषणा होने के तुरंत बाद पंजाब की जनता चुनावों में व्यस्त हो गई। शेष सारा देश सांस रोके हुए यह देख रहा था कि एक ओर तो चुनाव में विश्वास रखने वाले लोगों और दूसरी ओर चुनाव न होने देने के लिए कटिबद्ध लोगों के कड़े मुकाबले में जीत किसकी होती है? सच्चाई तो यह है कि कट्टरपंथियों के तीव्र विरोध के कारण जब तक कि चुनाव शांतिमय ढंग से सम्पन्न न हो जायें और परिणाम घोषित न कर दिये जायें तब तक यह कहना मुश्किल था कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण तथा कामयाब होगी अथवा नहीं? परंतु जैसे-जैसे दिन खिसकते गये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और ऐसा लगने लगा कि आतंकवादियों की चुनौती नाकाम हो गयी है।

पंजाब की जनता के अधिकांश भाग ने आतंकवादियों को अस्वीकार कर दिया, उनकी बात को अनसुनी कर दिया और उनकी धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो जोर-शोर से प्रचार अभियान चलाना संभव नहीं होता। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना राज्य व केन्द्रीय सरकार तथा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पंजाब की जनता के विश्वास का द्योतक था।

अकाली दल (लोंगोवाल) के अध्यक्ष संत लोंगोवाल ने पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिये जिले के जत्थेदारों और प्रमुख अकाली नेताओं की बैठक बुलाई। दल ने सर्वसम्मति से तय किया कि चुनाव में दल के प्रत्याशियों के चयन का अधिकार संत लोगोंवाल को दिया जाता है।

**लोंगोवाल की निर्मम हत्या :**

20 अगस्त 1985 को उग्रवादी हिंसा का एक और वीभत्स रूप सामने आया अकाली दल के अध्यक्ष संत लोंगोवाल की चार अज्ञात उग्रवादी आक्रमणकारियों द्वारा संगरूर जिले के कस्बे शेरपुर में उस समय निर्मम हत्या कर दी गई जब वे एक गुरूद्वारे में भाषण दे रहे थे। इस घटना के फलस्वरूप चुनाव के स्थगन के आसार नजर आने लगे परंतु अंततः चुनाव निर्धारित तिथि को ही सम्पन्न हुये। केन्द्रीय गृह मंत्री शंकरराव चव्हाण ने कहा कि मुट्ठी भर आतंकवादी देश को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में भी चुनाव निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाये जाने का समर्थन किया गया। अकाली दल (लोंगोवाल) ने भी यह तय किया कि वह चुनावों में भाग लेने संबंधी अपने पहले के निर्णय पर अडिग रहेगा।

**बरनाला अकाली दल के अध्यक्ष :**

25 अगस्त को अकाली दल (लोगोंवाल) ने भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष चुना।

**चुनाव प्रक्रिया शुरू :** 27 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल किये जाने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित कीं -

नामांकन पत्रों की जांच - 3 सितम्बर को,

नामांकन वापस लेने की तारीख - 5 सितम्बर तक।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामकृष्ण त्रिवेदी ने चुनाव बाबत् एक बैठक आयोजित की। इस उच्च स्तरीय बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव आर.डी. प्रधान भी उपस्थित थे। इसमें चुनाव आयुक्त ने सरकार को आश्वासन दिया कि चुनाव की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

## नामजदगी के पर्चों का दाखिला

पंजाब में लोकसभा की 13 और विधान सभा की 117 सीटों के लिये चुनाव होना था। कांग्रेस ने राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों के लिये अपने प्रत्याशी खड़े किये, जबकि अकाली दल (लोंगोवाल) ने 11 सीटों पर, भाजपा और माकपा प्रत्येक ने तीन-तीन सीटों पर और जनता पार्टी ने दो पर। इन दलीय प्रत्याशियों के अलावा 39 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे।

विधान सभा के लिये कांग्रेस ने सभी 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे, जबकि अकाली दल ने 100 सीटों पर, भाकपा ने 37 सीटों, माकपा ने 28 और भाजपा ने 24, जनता पार्टी ने 4 और कांग्रेस (स) ने मात्र एक सीट पर। इनके अलावा 523 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे।

## आतंकवादियों द्वारा उत्पात

आतंकवादियों ने चुनाव में बाधा डालने का भरसक प्रयास किया। 3 सितम्बर को उन्होंने अमृतसर तथा होशियारपुर जिलों में 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इसके दूसरे ही दिन याने तारीख 4 को, कुछ अज्ञात आक्रमणकारियों ने दिल्ली महानगर परिषद के कांग्रेस सदस्य अर्जुनदास तथा उनके अंगरक्षक विजेन्दर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे

खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए आए और हत्या करके फरार हो गये।

इन घटनाओं के फलस्वरूप जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 52 संशोधित कर दी गई। सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा ये व्यवस्था की कि केवल मान्यता प्राप्त राजनीति दल के किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर ही किसी क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया जा सकेगा। कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस संशोधन की कड़ी आलोचना की परंतु प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका समर्थन करते हुये कहा कि आतंकवाद का कारगर तरीके से मुकाबला लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा निर्वाचित सरकार के जरिये ही किया जा सकता है।

## राजीव जी का श्वेत पत्र

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब चुनावों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि -

1. हमारी पार्टी उग्रवाद को समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है।
2. राज्य में शांति, एकता व भाईचारे के लिये कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यथासंभव काम किये जायेंगे।
3. विघटनकारी ताकतें देश को कमजोर करने के अवसर ढूंढती रहती है। हमें नापाक कोशिशों को नाकामयाब करना है।
4. राज्य में पिछले कुछ वर्षों से अवरूद्ध प्रगति को सही स्थिति में लाने के लिये कई कारगर कदम उठाये जायेंगे।
5. पार्टी पंजाब के शहरों और गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिये वचनबद्ध है।

6. पार्टी राजीव-लोगोंवाल समझौता लागू करने के लिये वचनबद्ध है उसे ईमानदारी से क्रियान्वित किया जायेगा।

7. पार्टी राज्य की महान सांस्कृतिक विरासत को ऊंचा रखने के लिये कटिबद्ध है।

8. पार्टी राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील रहेगी।

9. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

10. राज्य में अचानक आई बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में ऋणों की वसूली स्थगित कर दी जायेगी।

11. सतलज-व्यास सम्पर्क नहर को 15 अगस्त 1986 तक पूर्ण करने के लिये निर्माण कार्य में तेजी लायी जायेगी।

उपर्युक्त श्वेत-पत्र कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष कमलापति त्रिपाठी की सहमति से जारी किया गया।

## मतदाताओं की संख्या

पंजाब में मतदाताओं की कुल संख्या 1,7,22527 (एक करोड़ सात लाख बाईस हजार पांच सौ सत्ताईस) थी। इनमें से 48 लाख 60 हजार महिलायें थीं।

## प्रशासनिक व्यवस्था

पंजाब सरकार तथा निर्वाचन आयोग ने चुनावों के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये लगातार भरपूर कोशिशें की। राज्य के गृह सचिव एन.एन. बोहरा ने एक प्रेस कांफ्रेस में जानकारी देते

हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की पूरी तैयारी कर ली गई हैं। राज्यपाल के सलाहकार सुरेन्द्र नाथ ने बतलाया कि राज्य में 12,704 मतदान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिनका प्रबंध 63,520 कर्मचारी संभालेंगे। इनके अलावा छः हजार कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जायेगा। लोकसभा तथा विधान सभा के लिये अलग-अलग 1/2 करोड़ मतपत्र छपवाये गये।

यह उल्लेखनीय है कि पंजाब के राज्यपाल अर्जुनसिंह ने प्रेस वालों से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में आगामी चुनावों के दौरान शांति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिये सेना के बुलाये जाने की कोई संभावना नहीं है परंतु राज्य के बहु-कोणीय मुकाबलों के दौरान अमन चैन बनाये रखने के लिये लगभग साढ़े छः हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात किये गये हैं।

## एक नूतन प्रयोग

चुनाव आयोग की सिफारिश पर देश में पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को आकाशवाणी से जिला स्तर पर दस मिनट के लिए चुनाव प्रसारण की सुविधा प्रदान की जायेगी। 15 सितम्बर को राज्यपाल अर्जुन सिंह ने उपायुक्तों व जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे उन व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें जो चुनाव प्रक्रिया में विघ्न डाल सकते हैं उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का आव्हान किया।

## राजीव गांधी का चुनाव अभियान

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 1985 को पंजाब में अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने राज्य के तीन जिलों का दौरा किया। राजीव जी ने सबसे पहले अमृतसर के जाडियाला में एक

चुनाव सभा संबोधित की। उसके बाद उन्होंने रोपड़ तथा संगरूर में जन सभाओं में भाषण दिये। सभी जगहों पर उनकी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये।

इन सभाओं में राजीव गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी के पंजाब चुनाव बाबत दो मुख्य मुद्दे हैं- राज्य में शांति स्थापित करना जो विकास की पूर्व शर्त है और उग्रवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। उन्होंने जनता का आव्हान करते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही पंजाब को आतंकवादी गतिविधियों से मुक्ति दिला कर विकास की राह पर ला सकती है उन्होंने जनता का आव्हान करते हुए कहा कि वे श्रीमती इंदिरा गांधी तथा संत लोगोंवाल के दिखाये रास्ते पर चलें। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि पंजाब चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होगा। उन्होंने श्रोताओं का आव्हान किया कि वे पंजाब समझौते को निष्प्रभ करने वालों को बेनकाब करें। उन्होंने भाजपा की पंजाब समझौते पर अंतर्विरोधी दृष्टिकोण अपनाने पर कड़ी आलोचना की।

## विस्फोट की घटनायें

23 सितम्बर को पंजाब में चुनाव प्रचार समाप्ति के दौरान अनेक विस्फोट हुए। इनमें तीन बालिकाओं की मृत्यु हो गई। इन आतंकवादी गतिविधियों का एकमात्र मकसद मतदाताओं को डराना-धमकाना था, ताकि वे वोट डालने न जायें।

## चुनाव आयुक्त की अपील -

मुख्य चुनाव आयुक्त आर.के. त्रिवेदी ने चुनाव होने की पूर्व संध्या पर लोगों से अपील की कि वे निर्भीकता से अपने मताधिकार का उपयोग करें। साथ ही, उन्होंने मतदाताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

## शांतिपूर्ण मतदान -

यह अत्यधिक खुशी की बात थी कि पंजाब में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। पूरे पंजाब में मात्र दो जगह बम विस्फोट हुए। परंतु आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ। पंजाब के चुनाव, पूर्ण अस्थिर, अशांत वातावरण में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा निर्बाध रूप से सम्पन्न होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह हमारे देश में प्रजातंत्र की जड़ें मजबूती से जमे रहने का सबूत था और इस बात का भी कि हमारे वतन में चुनाव आयोग निष्पक्षता, ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है।

## चुनाव परिणाम-अकाली दल को स्पष्ट बहुमत -

जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे यह स्पष्ट दिख पड़ा कि राज्य की जनता ने अकाली दल का जोरदार समर्थन किया है और वह इस पार्टी को सत्ता की बागडोर सौंपना चाहती है।

चुनाव में अकाली दल को स्पष्ट बहुमत मिला। अकाली दल की भारी विजय और कांग्रेस की जबरदस्त पराजय हुई। पंजाब में अस्थिरता की स्थिति समाप्त होकर अकाली दल की सरकार स्थापित हुई। अकाली दल के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरजीत सिंह बरनाला को सर्वसम्मति से पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया।

## बरनाला मंत्रिमण्डल द्वारा शपथ ग्रहण -

रविवार दिनांक 30 सितम्बर 1985 को सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में अकाली दल के मंत्रिमण्डल ने शपथ ली। इस प्रकार अकाली दल का सपना पूरा हुआ। वह सत्तारूढ़ हुआ। शुरू में एक छोटे से मंत्रिमंडल

का ही गठन किया गया। राज्यपाल अर्जुनसिंह ने सर्वप्रथम बरनाला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तत्पश्चात् पांच और केबिनेट स्तर के मंत्रियों ने शपथ ली - बलवंत सिंह, अमरिंदर सिंह, सुखजिन्दर सिंह, बसंत सिंह और मेजर सिंह उबोके। बादल का भी केबिनेट मंत्री के रूप में चयन किया गया था परंतु वे बाहर रहे।

**पंजाब चुनाव एक विश्लेषण -**

इस प्रकार पंजाब में चुनाव की आंधी शांत हुई। जनता ने प्रचण्ड बहुमत से शिरोमणि अकाली दल को पदारूढ़ किया। अकाली दल के बाद दूसरा स्थान कांग्रेस को मिला। अन्य पार्टियों को नाम मात्र का ही प्रतिनिधित्व मिला।

कांग्रेस को कम सीटें मिलने का मुख्य कारण अकाली लहर थी जिसके पीछे संत लोंगोवाल की शहादत काम कर रही थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत ने कांग्रेस को प्रचण्ड विजय दिलाई थी।

अकाली दल सरकार से यह उम्मीद लगाई गयी कि वह जनता के प्रबल समर्थन के सहारे उन कार्यक्रमों और लक्ष्यों को पूरा करेगी जिनके खातिर संत लोगोंवाल शहीद हुये।

पंजाब में हुये चुनाव सामान्य चुनावों से हटकर थे। यहां देश की अखण्डता, स्थिरता, सद्भाव तथा साम्प्रदायिक एकता सभी दांव पर लगे थे। राज्य में गत चार पांच वर्षों से अत्यधिक विषम स्थिति बनी हुई थी। कट्टर आतंकवादी भिण्डरावाले की उग्रवादी, हिंसात्मक घटनाओं ने पूरे राज्य में दहशत फैला रखी थी, आपरेशन ब्लू स्टार, अकाली नेताओं की रिहाई, श्रीमती गांधी हत्याकांड, उग्रवाद की नई लहर, राजीव लोगोंवाल

समझौता और संत लोगोंवाल की हत्या- ये घटनायें एक के बाद एक घटती गई। इनके फलस्वरूप न केवल राज्य की जनता हतप्रभ हो गई थी, उलझकर रह गई थी, बल्कि पंजाब देश की मुख्य राजनीतिक धारा से कट गया था। इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य पंजाब को पुनः राष्ट्रीय धारा से जोड़ना था। केन्द्र, राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग ने पंजाब में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराकर एक अत्यधिक सराहनीय कार्य किय था। अब केन्द्र की कांग्रेस सरकार का कर्तव्य था कि वह पंजाब की अकाली दल सरकार को यथा संभव सहायता पहुंचाये ताकि राज्य की आर्थिक हालत में सुधार किया जा सके और वहां खुशहाली स्थापित की जा सके।

जिस प्रकार राजीव-लोगोंवाल समझौता सम्पन्न कराने में अर्जुनसिंह ने केन्द्रीय भूमिका अदा की थी, उसी प्रकार पंजाब सरीखे अस्थिर व अशांत राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने में भी अर्जुन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। अगस्त में उनके द्वारा केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट के आधर पर ही पंजाब में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। **पंजाब में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा लेना अर्जुनसिंह के राज्यपाल के कार्यकाल की दूसरी महान उपलब्धि थी।**

# 10

# राजीव-लोंगोवाल समझौता राष्ट्रीय समाचार पत्रों की दृष्टि में

राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद सम्हालते ही सबसे पहले पंजाब की समस्या को सुलझाने की सक्रिय पहल की। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। राजीव गांधी का अर्जुनसिंह की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं पर अटूट विश्वास था। उन्होंने मध्यप्रदेश के बहुमुखी विकास में अर्जुनसिंह की महती भूमिका को सराहा था। इसलिए लोकसभा के चुनाव में चालीसों सीट और विधान सभा में दो तिहाई बहुमत के बाद भी अर्जुनसिंह को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही पंजाब का राज्यपाल नियुक्त करना अपने आप यह प्रमाणित करता है कि राजीव गांधी अर्जुन सिंह के प्रति आश्वस्त थे।

उस समय जब अर्जुनसिंह की पंजाब में राज्यपाल नियुक्त होने की घोषणा हुई तब कतिपय समाचार पत्रों का आकलन दूसरा था- कुछ का

मानना था कि मध्यप्रदेश में अर्जुनसिंह अपने मानवीय गुणों के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गये थे, उन्हें जनता गरीबों का मसीहा और उनके शासन को संवेदनशील प्रशासन कहकर उनकी जय जयकार कर रही थी। और कुछ का मानना था कि वे मध्यप्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली नेता बनकर उभर आये थे, इसलिये उनके राजनीतिक परों को कतरने के लिये ही राजीव गांधी ने उन्हें धधकते हुए पंजाब में झोंक दिया है।

लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ समाचार पत्रों ने राजीव जी की सूझ-बूझ की सराहना की कि उन्होंने देश के सबसे साहसी और अपने मौलिक चिंतन तथा कार्य करने की अपनी अनूठी शैली के कारण अर्जुनसिंह को राज्यपाल बनाकर दिन पर दिन सुरसा सा मुंह बाये पंजाब की ज्वलंत समस्या के निदान के लिये, सही समय पर सही कदम उठाया है।। और अंततः राज्यपाल अर्जुनसिंह ने वह कर दिखाया जिसकी आशा राजीव गांधी को थी।

राजीव लोंगोवाल समझौता एक ऐसा दस्तावेज हो गया जिसका इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जावेगा। राष्ट्र के प्रमुख समाचार पत्रों ने "राजीव लोंगोवाल समझौता" पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की एवं अग्रलेख लिखे जिनमें उन्होंने राजीव गांधी के अदम्य साहस, संत लोंगोवाल की राष्ट्रीय उदारवादी सोच, पंजाब समस्या के निदान के लिये सच्ची नियत और अर्जुनसिंह ने अपनी जान की परवाह किये बिना "समझौता" को हस्ताक्षर तक पहुंचाने की सार्थक पहल की मुक्त कंठ से सराहना की है।

यहां राष्ट्र के प्रमुख समाचार पत्रों के अग्रलेख यथावत प्रस्तुत कर रहा हूं।

**Indian Express (New Delhi)**
**26th July 1985**

# A VICTORY FOR ALL

The Punjab accord represents is near a national consensus as might be expected on a matter that aroused such passions and all but tore the country apart. It is a triumph for the democratic process and the ultimate maturity of the indian people. The Prime Minister and his colleagues will be hailed by a grateful nation for moving towards an agreement with determination and dispatch and concluding it in what was essentially a single continuous session around the clock over two days to tie up a neat and fair package. Mr Harchand Singh Longowal and his advisers have shown great statesmanship fortitude and courage in rising above the bitterness of the past. Theirs was the more difficult task in a way after the emotional trauma of the past 14 months and the continued sniping from hard liners in their own camp and the

pressure of extremists and terrorists. High praise is due to the Punjab Governor Mr Arjun Singh whose patience, tact and sympathy enabled him to build a bridge of understanding. The Opposition by and large has readily acclaimed the accord thereby ensuring that it is seen as a national solution, above petty partisan controversy. As the signatories. Mr Rajiv Gandhi and Mr Longowal themselves acknowledge, the settlement brings to an end a period of confrontation which will promote and strengthen the unity and integrity of India. "This is a victory for all."

The Memorandum is comprehensive. Most of the heads of agreement are in terms that were available two of more years ago. This is no time for recrimination, but there is a larger lesson in this for everybody in the heavy price in blood paid for past default. The one notable departure is the decision that Fazilka and Abohar remain with Punjab on the entirely reasonable basis of contiguity, with the village as the unit. This precludes territorial claims based on the dangerous and pernicious corridor principle which should never have been entertained. With this red herrings out of the way, the territorial question has been simply resolved by awarding the Chandigarh capital project area to Punjab (where it legitimatley belongs) and setting up a commission to award some Hindi speaking areas of Punjab to Haryana by January 26 by way of compensation. Additionally Haryana will by the earlier understanding be assisted by the Centre to build a

new capital which will in the course of time be seen as a tremendous boon the true value of which has strangely not been recognised by Haryanvis thus far. The sharing of Ravi-Beas waters will be refered to a tribunal under a supreme Court Judge, whose award shall be binding. The Anandpur Sahib Resolution, which had needlessly been made into a huge bogey, is be refered to the Sarkaria Commission insofar as it relates to Centre State relations. Mr Longowal had long back stated that the document was not seccesslonist and the Memorandum says that it is intended to "bring out the true federal characteristics of our unitary Constitution."

The Settlement covers a number of collateral issues. Compensation is to be paid to all innocent victims of violence and for loss of property after August 1, 1982 Sikhs have been assured that like, all citizens, they have a right to enrol in the Army and that recruitment will be on merit as before the scope of the November riots inquiry has been widened to include Bokaro and Kanpur which were the scene of the worst incidents after Delhi those discharged from the Army after Operation Bluestar are to be rehabilitated in gainful employment; the notification applying the Armed Forces Special Powers Act to Punjab has been withdrawn and special courts will be abolished except for cases pertaining to offences of waging war and hijacking. By this the Akali Dal has again distanced itself from past acts of terrorism.

Finally an all India Gurdwara Act is to be legislated. A few minor issues have not been covered and are presumably not being pressed. Many of them were no more than bargaining counters.

Mr Longowal has called a meeting of his district presidents and legislators in Anandpur to take stock of the situation. Mr Badal has been sulking of late and has yet to declare his hand. He is basically with Mr Longowal and will be putting paid to his political career if he sits on the fence much longer. The Joginder singh group and others with more extreme views stand on the fringe and face increasing isolation. The terrorists both at home and abroad will fret and fume. Even though they may attempt to strike and could retain a nuisance value for some time whatever "cause" they espoused has disappeared. Mr Bhajan Lal's support is reassuring and while there may be some efforts to organise protest by Mr Devi Lal and other Opposition leaders in Haryana this is unlikely to gather any momentum Haryana's intrest have been safeguarded and it can be compensated in other ways too. A section of the Chandigarh population may be disappointed. But an amicable settlement that restores and strengthens Hindu-Sikh amity should be no cause for anxiety.

The process of implementation of the Settlement is time bound but must be closely monitored. Emotions are still raw and matters must be handled

with delicacy and grace. Presidents's rule will lapse in October which leaves ample time for a general election. The political process can now resume in Punjab and new alignments may be expected to emerge. A political understanding that facilitates power sharing with the Akalis could provide a useful balm. The Memorandum of Settlement is a splendid achievement. Let all sides join to consolidate the gains.

**The Telegraph (Calcutta)**
**25th July 1985**

# THANK YOU PRIME MINISTER; THANK YOU, SANT

At forty minutes past five o'clock yesterday, history was made. Prime Minister Rajiv Gandhi and Sant Harchand Singh Longowal, president of the Shiromani Akali Dal and "dictator" of the Akali morcha signed a memorandum of which the nation has been waiting so long. Not only has the wait been long, it has also been dangerous. No confrontation or problem since 1947 has driven our young democratic nation so close to disintegration, or the people so close to despair. There have been moments in the last five years perhaps too many of them when it seemed that the nightmare had taken such a grip on the nation's destiny that the country would never wake up, that

dawn would never come. An impudent voice of hate which arose from Punjab, gradually spread across the land, touching and hurting corners of our psyche. Suspicion bred distorted response; bad decisions chased immature provocation; the dagger and the gun followed the invective from pulpit or platform. To be rescued from this despair is a gift which the nation must be truly thankful for.

The details of the crisis in Punjab are too well known to need repetition, but the primary lesson of the unravelling is the extent of difference that the quality of government can make. There is nothing in the memorandum signed yesterday which could not have been agreed upon five years ago. But between 1980 and 1985 all we saw was a vicious cycle of deterioration, as inept governance fed extremist rhetoric and the rhetoric bred first confusion and then violence. Mrs Indira Gandhi inherited a comparatively minor problem in Punjab; by the end of her term an Operation Bluestar had become essential to rid the Golden Temple of an armed set of mischief makers who were determined to challenge a modern and confident nation state. Mrs Indira Gandhi paid the saddest price possible for this and her assassination let slip hounds which once again gnawed at the ideological foundation of our country. The elections turned into a referendum on the nation's unity and the people were near unanimous in their faith in the young man who promised to guard it. But when Rajiv

Gandhi became Prime Minister by a massive mandate instead of just a parliamentary majority, he also inherited a legacy on Pumjab which could hardly have been worse. Not only was he heir to all the problems of his mother's government but there was also the burden of the after math of the post assassination riots. Sikhs believed and Opposition parties openly alleged that the Prime Minister himself was guilty of a hand in the riots. In a little more than six months, Rajiv Gandhi has travelled a distance on Punjab which even his friends might have found hard to believe had this been predicted in January. Gradually the tension was eased, the Akali leaders released, the peasantry of Punjab wooed tempers given time to cool, the spirit of confrontation wound down, the hand of trust and friendship offered and 'thankfully' grasped. Much of the credit for this must go to a man who has made such a difference to the Punjab, and therefor to our nation's history, Arjun Singh. Clearly it was an inspired decision which sent him as governor to the most difficult state in the country. What he and the Prime Minister have done is reinforce the nation's faith in the virtue of negotiation and democracy. And they have also shown that when governments have the will then there is no reason for delay. What had seemed impossible for so long through so many interminable bipartite and tripartite and secret and not so secret talks was resolved in just two days of talks was only at ten am on Tuesday that Rajiv Gandhi met Sant

Longowal for the first time as Prime Minister. By 5.40 of Wednesday evening the agreement had been signed. "Sant Longowal has steered his boat through very difficult circumstances. The Prime Minister has also shown great sagacity and statesmanship." This statement was made on Tuesday by a man who has also played a significant if quiet role in this success, Inder Gujral. That is an apt assessment. We hope that other political leaders will show similar, qualities, and that the nation will be soon able to put the Punjab problem behind it. Implicit in the end of every chapter is the beginning of a new one. We pray that from today the history of Punjab will once again be written in gold- not in blood.

Tribune
24th July 1985

# A HOPEFUL SIGNAL

By Prem Bhatia

News from and about Punjab has been so consistently bad for four years that any hopeful signal must bring much-needed relief. Thus Sant Harchand Singh Longowal's meeting with the Prime Minister becomes the silver lining in the cheerless sky everyone except the defeatists and the demolition squad of political extremists and unapologetic saboteurs was looking for. The very fact that the two met in Delhi was a matter for satifaction in the midst of a disheartening stalemate. The Akali Dal President's journey was a response which holds the promise of more.

Although the announcement about the meeting

made on Monday evening was dramatic, indirect communication between the two through trusted intermediaries had preceded the event. But it was at the Prime Minister's initiative that the ice was broken and Sant Harchand Singh overcame his reluctance to sit face to face with a person whom he had continued to criticise almost until the last minute before he set out for Delhi. As Mr Rajiv Gandhi told members of the Congress (I) in Parliament on Monday, there have been "positive signs" of a change of mood among leaders of the Akali Dal (L).

This was indeed true, hesitations and retractions not withstanding. The Sant had, first, to guard his flanks against salvoes from determined opponents whose political bread and butter lies in brave talk-howsoever unrealistic-and second, to take cognizance of the suspicions of some of his own followers. But he had the advantage of some counsel from associates like Mr. Surjit Singh Barnala and Mr Balwant Singh. Even reputed hardliners such as Mr Gurcharan Singh Tohra do not have many options other than submission to the dream world of the "united" faction led by the father of the late Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Mr Parkash Singh Badal's participation is still half hearted, but his seeming resistance is governed largely by his displeasure with the party chief and will be ended if the Prime Minister's initiative proves fruitful and members of the Badal group in Baba Joginder

Singh's camp are enabled to return to the fold with honour.

So far so good. An important step forward has been taken, but it is only the first step in a field strewn with obstacles. The drama of the meeting itself will not be repeated through an immediate conclusive second step. The Sant will not give to his talks with the Prime Minister on Monday the label of "negotiations". But that is a technical satisfaction to which he is entitled. The substantive part of the event is the occurrence of it. Gradually but surely, the Akalis, "demands" are being met, the end of the special courts being the latest of these. The rest can be negotiated instead of being used as roadblocks. The Sant must remember that Mr Rajiv Gandhi has to take care of public opinion as much as the Akali Chief has to.

A general election strictly according to schedule would be most welcome but adherence to the prescribed date at any cost is not an imperative necessity. A more important need is to rebuild mutual confidence. For his part the Prime Minister has no political vested interests in prolonging the stalemate. Nor can the Akalis hope to gain for themselves or for the community they represent any further advantages through continued resistance to negotiations for a settlement. The real issue is the future of Punjab, of the two principal communities that live here and of the country as a whole. The stakes are as simple as that.

News Time
23 July 1985

# WHY NOT ELECTIONS IN PUNJAB?

There seems to be considerable doubt as to whether the elections due in Punjab in the next two months will be held on time. Last September, the Constitution was amended to extend President's Rule by a year. This extension ends on October 5. Unless the Constitution is amended again, a popular ministry will have to be installed in Punjab by October 6. Some time ago the Union Minister of State for Law, Mr H.R. Bharadwaj had indicated that the Centre was thinking in terms of holding the Punjab elections on time. This was promptly denied, but there still lingered some hopes that the elections would be held. However, the Punjab Governor, Mr Arjun Singh, has indicated that the elections may be postponed beyond the Constitutional deadline of October 5.

In recent months, the Central Government has taken a number of positive steps, including lifting the ban on the All India Sikh Student's Federation, release of detenus, etc. The Longowal faction of the Akali Dal by all accounts the dominant faction in the party has also made encouraging noise about some of the Government's measures. Sant Harchand Singh Longowal himself has taken positive steps to bridge the gap between the Hindus andthe Sikhs. Though the Punjab tangle is nowhere near a solution, these signs are more than mere straws in the wind. They constitute the base on which it is possible to construct a superstructure of lasting conciliation. In the event free and fair elections in Punjab would seem to be desirable.

The benefit of the elections would be twofold. First a popular government in Punjab would be able to relieve the Centre of at least some of its worries. Second, if the Akalis win, as they are expected to, they too would have an interest in solving the Punjab problem rather than prolonging it. Further, the pretensions of extremists based at home and abroad would be exposed if the Akalis were to win the elections in Punjab. The detailed figures of the 1981 census show that the number of Sikhs has gone up in Punjab both in absolute numbers and percentage terms, compared to 1971. Since 1981, many more Sikhs have migrated to Punjab as they felt unsafe elsewhere in the country. There should be no

apprehension among the Sikhs that they would be done out of their fair share of power. Considering all these, it appears that free and fair elections in Punjab are a sine qua non for a return to sanity. It is to behoped that this imperative will not be sacrificed at the altar of political expediency.

**Times of India**
**26 July 1985**

# THE CLOUD LIFTS

The whole Country has heaved a sigh of relief over the Rajiv Longowal accord on Akali demands. And all articulate sections of society as represented in various political parties have welcomed it-enthusiastically and unequivocally. The cloud of uncertainty and anxiety that had hovered over Punjab and adjoining states where the Sikhs form a significant section of the population has lifted for the time-being. Indeed so dramatic has been the change in the atmosphere in the past three days beginning Wednesday (July 24) when Sant Longowal first conferred with Prime Minister Rajiv Gandhi that it is becoming difficult to believe that the nation had faced a genuine threat to its unity and integrity. This is of course not a sudden development. The situation in

Punjab and therefore in adjoining areas had begun to ease last March when Sant Longowal and other Akali leaders were released and Mr Arjun Singh, till then chief minister of Madhya Pradesh was appointed governor in Chandigarh. In May it looked as if Akali extremists had managed to regroup themselves under the nominal leadership of Baba Joginder Singh and that they would be able to seize the leadership of the Sikh community from Sant Longowal and his supporters and thereby to prepare the ground for another confrontation with the Centre. But this threat did not materialise. Sant Longowal asserted himself skilfully and successfully, allowing the government to continue its efforts to defuse the situation and to pave the way for an eventual agreement with him.

The agreement has materialised much faster than most observers expected. That it was on the cards had become clear some weeks ago when reports began to appear in the press suggesting that it might be possible to hold elections in Punjab before October 6 when President's rule is due to end under the existing arrangement. Even so optimism appeared premature to a lot of observers. But apparently Mr Arjun Singh had covered more ground in his secret parleys with Sant Longowal and closest aides than most of us thought, the governor's frequent visits to New Delhi and meetings with the Prime Minister not with standing. He must be congratulated for having fulfilled his assignment in such a short time - less than five months. He had, of course, a number of advantages.

The Akalis headed by Sant Longowal were looking for a way out of the corner into which they had put themselves, they were under pressure from Sikhs, especially outside Punjab to reach a settlement with the government; and above all Mr Rajiv Gandhi was prepared to go to any lengths to accommodate the Longowal Akalis so long as they were willing to function within the frame work of the Constitution which, from their point of view they had never challenged. But it requires skill to take advantage of favourable factors. Mr Arjun Singh has demonstrated that he possesses that skill.

As for Mr Gandhi, he has been as good as his word. He had put Punjab as the first item on his list of priorities and he had said more than once that every Akali demand could be considered sympathetically provided they did not challenge the Constitution and the country's unity and integrity. He was prepared to meet sant Longowal more than three quarters of the way and he has done so. From the immediate popular response it would appear that the Indians people have been similarly disposed. They seem to have been anxious to put behind them the tragic developments of the past three four years in Punjab and to accept almost any Akali terms, incuding a possible enactment of an All India Gurdwara Act, as the basis of for peace in the State. Mr. Longowal has had his own compulsions to go in for an agreement with the government and push it through as fast as possible.....

नई दुनिया

25 जुलाई 1985

# देश के लिये कठिनाई का दौर अब समाप्त

देश के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, जबकि देश की अखंडता एवं एकता के लिए खतरा पैदा करने वाली पंजाब समस्या का हल कर लिया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद के दोनों सदनों में अकाली नेताओं के साथ किये गये समझौते और उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की घोषणा की, जिसका सभी पक्षों ने हर्ष ध्वनि से स्वागत किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि "देश के लिये कठिनाई का दौर अब समाप्त हो गया है।"

पंजाब के राज्यपाल का पद ग्रहण करने के पश्चात् अर्जुन सिंह के लिये यह अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने 14 मार्च 1985 को राज्यपाल की शपथ ग्रहण की थी। आज उन्होंने इस पद पर 133 दिन पूरे किये।

संसद में "पंजाब समझौते" की घोषणा के बाद अर्जुनसिंह ने कहा "भारत ने राजीव गांधी के रूप में एक सच्चा नेता पा लिया है। इसका श्रेय श्री राजीव गांधी को है। उनके अथक प्रयत्नों से ही यह संभव हुआ है। अर्जुनसिंह ने कहा कि वे 48 घंटों से लगातार काम करते रहे हैं। इसमें से 12 घंटे उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री के साथ बिताये हैं। पिछले 4 घंटों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बहुत करीब से देखा और पाया कि वे समाधान के लिये कितने कृत संकल्पित है।"

अपनी चार माह की उपलब्धि पर पूछे जाने पर अर्जुनसिंह ने कहा **"मैं इतिहास के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी यह छोटी सी कोशिश है।"** यह पूछने पर कि क्या पंजाब के लोग इस समझौते को स्वीकारेंगे? उन्होंने कहा "पंजाब के सभी समुदाय इसे स्वीकारेंगे।" उग्रपंथियों की प्रतिक्रिया के संबंध में सिंह का कहना था कि शांति भंग नहीं होने दी जायेगी।"

पंजाब पहुंचने पर पहले कार्य के संबंध में अर्जुन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि "समस्या का हल संविधान के तहत निकालेंगे।" अर्जुनसिंह का मानना है कि पंजाब के संबंध में गठित मंत्री मंडलीय समिति ने समस्या के हल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि अब वे यह समझौता लागू करने के लिये कदम उठायेंगे। इस संबंध में लोंगोवाल को अगली बातचीत के लिये चंडीगढ़ बुलायेंगे। श्री सिंह हमेशा की तरह संतुलित, लेकिन काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। राजधानी के राजनीतिक क्षेत्रों में इस समझौते को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इसका श्रेय अर्जुनसिंह को दिया जा रहा है।

लोंगोवाल ने कहा कि "समझौता हो गया है, मैं बहुत खुश हूं।" पंजाब में टकराव की स्थिति समाप्त हो गई है।

नई दुनिया "26 जुलाई 1985"

"राजीव गांधी ने सचमुच कमाल कर दिया। दो दिन पूर्व तक यही लगता था कि पंजाब समस्या, आजादी के बाद की देश के सम्मुख आई सर्वाधिक बदसूरत समस्या है। लोग यही मानते थे कि हमें आने वाले कई वर्षों तक इस समस्या के साथ ही जीना है। परंतु राजीव गांधी ने संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल से समझौता करके जिस विवेक, दृढ़ता और सूझबूझ का परिचय दिया है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। राजीव लोंगोवाल समझौता दोनों पक्षों की ऐतिहासिक विजय का दस्तावेज है। यह भारत की एकता अखण्डता का बहुमूल्य साक्ष्य है। और यह इस देश में शांति और प्रगति चाहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का सजीव प्रतिरूप है। राजीव गांधी और संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल दोनों ही बधाई और अभिनन्दन के पात्र हैं।....."

"सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निःसंदेह पंजाब के राज्यपाल अर्जुनसिंह ने निभाई है। पंजाब समस्या के समाधान में उन्होंने बहुत ही शिष्टता, शालीनता और समझदारी का परिचय दिया है। अब उनकी स्थापना देश के सर्वाधिक सफल और चतुर राजनीतिज्ञों में हो गई है।"

"पंजाब समझौते में संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल की भूमिका भी सराहनीय रही है। उन्होंने संकट की घड़ी में बहुत धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया है। उन्होंने सिखों के स्वाभिमान के साथ-साथ देश की अखंडता को भी महत्व दिया और दोनों की रक्षा की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला में राजीव लोंगोवाल समझौता देश की जनता को सबसे शानदार तोहफा है।"

नव भारत
27 जुलाई 1985

# क्रूर काली रात के बाद पंजाब में फिर सबेरा

सारा देश हर्षित है कि पंजाब समस्या हल करने में केन्द्र और अकालीदल में समझौता हो गया तथा इस 11 सूत्री समझौते पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एवं अकालीदल अध्यक्ष श्री हरचंद सिंह लोंगोवाल ने हस्ताक्षर कर दिये। इस समझौते से देश का एक दुखद अध्याय खत्म हो गया तथा एक आंतरिक संकट समाप्त हो गया इस समझौते पर गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने भी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस समझौते को सम्पन्न करवाने में जिन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लोगों ने काम किया है वे बधाई के पात्र हैं लेकिन इसका अधिक श्रेय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद सम्हालते ही घोषणा की थी कि वे पंजाब समस्या का हल खोजेंगे और इस हल के लिये उन्होंने भारी रूकावटों के बावजूद सतत् प्रयास किया तथा सफल हुये। बधाई के पात्र श्री हरचन्द सिंह

लोंगोवाल भी है जिन्होंने कई विपरीत स्थितियों एवं दवाव के वावजूद समझौते के प्रयास किये और अपने साथियों को समझौते के लिये राजी किया। श्री सुरजीत सिंह बरनाला और प्रकाश सिंह वादल ने भी उन्हें उल्लेखनीय समर्थन दिया।

समझौते के तारों को जोड़ने का श्रेय जाता है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल श्री अर्जुनसिंह को। शायद, उनके राजनीतिक जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा कि उन्होंने देश की अखण्डता को चुनौती देने वाली ताकतों से जूझकर अकाली दल को समझौता वार्ता के लिये सहमत किया। उन्होंने देश के राजनीतिक चित्र में अपना स्थान भी ऊंचा बना लिया है। समझौते के लिये पृष्ठभूमि में किये उनके प्रयास नजरअंदाज नहीं किये जा सकते है।''

समझौते की मुख्य बात है कि अकाली दल के आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को सरकारिया आयोग को विचारार्थ सौंपना। जहां तक चण्डीगढ़ को पंजाब को देने की बात है, उसकी घोषणा तो स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही कर चुकी थीं। लेकिन अब फर्क इतना आया है कि पहले हरियाणा ने चंडीगढ़ छोड़ने के लिये पंजाब से 100 करोड़ रुपयों की मांग की थी, यह रुपया अब संभवतः हरियाणा को केन्द्र से मिलेगा। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब की सीमाओं के हेरफेर के लिये भी केन्द्र सहमत था। नहरी पानी बॅटवारे के लिये केन्द्र ने कभी भी समझौते से इंकार नहीं किया। अकाली दल की एक और मांग सरकार ने विशेष रूप से जो स्वीकार की है वह अखिल भारती 'गुरूद्वारा' कानून बनाने की। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें कुछ बातों की पूर्ति के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है।

लोगों की ना समझी से पंजाब में रक्तपात हिंसा और नफरत का जो

दौर गत चार वर्षों से चल रहा था और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, उग्रवादियों द्वारा संहार, कनिष्क विमान दुर्घटना आदि से जो अविश्वास का वातावरण बन गया था, उसका अंत होने के बाद यही कहा जा सकता है कि सुबह का भूला शाम घर लौट आये तो बुरा नहीं। अब पंजाब के नेताओं का पहला काम यह है कि वे अविश्वास के वातावरण को यथाशीघ्र दूर करें, और पंजाब के चेहरे की मुस्कराहट फिर से लौटायें। यह बात अलग है कि उग्रवादियों की हिसंक घटनाओं से अकालियों एवं पूरे सिख समुदाय पर जबर्दस्त दबाव पैदा कर दिया था। किन्तु अब समझौते की सही भावना के अनुरूप काम करना चाहिये। प्रशासन के लिये चेतावनी है कि उग्रवादियों पर अपना दबाव बनाये रखे। उग्रपंथी आज अलग-थलग पड़ गये हैं और वे अपना अस्तित्व साबित करने के लिये फिर कुछ सिरफिरी बातें कर सकते हैं। अतएव उन पर कड़ी निगाह रखना जरूरी है। और प्रशासन के इस काम में अकालियों को पूरी मदद करना चाहिये। प्रयास यह होना चाहिये कि पंजाब में शीघ्र ही जनप्रतिनिधि शासन शुरू हो जाये।''

**दैनिक भास्कर**
**25 जुलाई 1985**

# अंततः

**□ महेश श्रीवास्तव**

अंततः जिन्न बोतल में उतर गया है। जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है, वे बहुत दिनों से हवा में थे और ऐसा नहीं कि समझौता पहले नहीं हो सकता था। अभाव था तो समुचित वातावरण और पहल का। मंत्र तो हमें पहले भी याद थे किन्तु, उनका शास्त्रोक्त उच्चारण नहीं किया जा सका। राजीव गांधी ने लोंगोवाल के साथ शास्त्रोक्त विधि से मंत्रोच्चार किया और अपने हाथों को, जिन्न को बोतल में उतार देने की करामात से अभिरंजित कर लिया है। पंजाब समस्या का जिन्न बोतल में बंद है और सारा देश राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि इस जिन्न ने हजारों निरपराधों की बलि ली थी, सिखों की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था और सबमें बड़ी बात जिन्न के पीछे खड़े आतंकवाद के भूत ने देश की एकता का चीर हरण प्रारंभ कर दिया था। जिन्न का उन्मादी आतंक अतिवाद की सीमा तक पहुंच कर थकने लगा था कि राजीव गांधी ने उचित अवसर पर उसे बोतल

में उतारने का करतब कर दिखाया। निश्चय ही संत की पुरोहिती के वगैर यह संभव नहीं होता।

समझौता जिन मुद्दों पर हुआ है उनमें किसी पक्ष के झुकने अथवा सीना तानने की गुंजाइश नहीं। देश-हित में यदि कोई पक्ष झुका भी तो वह उसकी गरिमा में ही वृद्धि करता है। समझौता राजीव गांधी के लिये देश का और संत लोंगोवाल के लिये अकाली दल या सिखों का नेतृत्व करते रहने की अनिवार्य शर्त बन गई थी। संत भिंडरावाला के पिता द्वारा खड़ी की गई चुनौती के संदर्भ में तो और भी अधिक। दोनों से हटकर देश की एकात्म मानसिकता को खण्डित होने से बचाने का भी यही अंतिम उपाय था, जो सम्पन्न हो चुका है। अतः यह प्रश्न कि चण्डीगढ़ पंजाब को देने का निर्णय ठीक है अथवा नहीं या सेना की विशेष शक्तियों को वापस लेने का औचित्य है अथवा नहीं, व्यापक राष्ट्रहित में गैरमौजू हो गये हैं। अधिकांश विषयों पर तो आयोग को ही फैसला करना है और हमारा विश्वास देश की न्याय प्रतिभा पर अभी बरकरार है। फिर जिन्न को बोतल में उतारने के काम में यदि होम करने में थोड़े बहुत हाथ जलने की कहावत चरितार्थ भी हो जाती है, तो यज्ञ की पूर्णाहुति में यह कष्ट बहुत महंगा नहीं।

किन्तु लोगों को शंका है कि जिन्न की पूंछ बोतल से बाहर अभी भी लहरा रही है। हरियाणा में मिलाये जाने वाले हिन्दी भाषी क्षेत्रों का सीमांकन अभी होना है। यह कार्य भाषायी साम्प्रदायिकता को जन्म दे सकता है। परोक्ष रूप से इस प्रकार का फैसला भी उन्मादी भावना को तुष्ट करने का प्रयास है। यह भी जरूरी नहीं कि पंजाब समस्या के हल होते ही आतंकवाद और पृथकतावाद का भूत जिन्न को पूंछ पकड़ कर बाहर निकालने की कोशिश नहीं करे। जिन्न की बोतल के बाहर लहरा रही पूंछ से हमें सावधान रहना होगा। हां, फिलहाल जिन्न कैद है अतः चुनाव का रास्ता साफ है और पंजाब के लोग वोट का भूत सिर से उतार कर मतपेटी में कैद करने को तत्पर। यह खुशी की बात है। **यह अवसर मध्यप्रदेश के लिये भी उपलब्धिपूर्ण और सुखद है।**

दैनिक जागरण
26 जुलाई 1985

# पंजाब के इतिहास में नया अध्याय

□ गुरूदेव गुप्त

पंजाब समस्या का समाधान प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी के संक्षिप्त कार्यकाल की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इतिहास इसे कभी भुला नहीं सकेगा। समाधान का विशिष्ट पहलू यह है कि एक ओर से दिन-प्रतिदिन नई पेचीदगियाँ पैदा की जाती रही, प्रतिपक्षी संगठन रूठे हुये अलग बैठे रहे और दूसरी ओर श्री गांधी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उसका हल खोजते रहे। किसी को यह विश्वास ही नहीं था कि वर्षों से उलझी हुई समस्या को श्री गांधी एक झटके में ही सुलझा देंगे। प्रतिपक्ष के नेता स्वयं ही श्री गांधी की राजनीतिक सूझ-बूझ पर दंग हैं और सब ने एक स्वर से समझौते का स्वागत किया है।

समझौते की शर्तें दोनों पक्षों के लिये पूर्णतया सम्मानजनक हैं। यदि चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया है तो पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा

को सौंप दिये जायेंगे। पानी के बंटवारे, आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के मुद्दे तथा सीमा निर्धारण के मामले, इनके लिये गठित आयोग को सौंपे जायेंगे। यह भी समझौते की एक उल्लेखनीय सफलता है कि दोनों पक्षों ने आयोग के निर्णय को बेहिचक स्वीकार करने के प्रति सहमति व्यक्त की है। आयोग द्वारा प्रतिवेदन देने की अवधि भी निश्चित कर दी गई है और यह भी घोषित कर दिया गया है कि निर्णयों को आगामी गणतंत्र दिवस से लागू किया जायेगा। जाहिर है कि वर्ष 1986 का गणतंत्र दिवस केवल पंजाब में ही नहीं, पूरे देश में नये उल्लास के साथ मनाया जायेगा।

लोंगोवाल के अनुसार समझौते के साथ ही अकालियों का आंदोलन भी अपने आप खत्म हो गया है। समझौते के तुरन्त पश्चात अकाली प्रतिनिधियों ने कहा भी है कि समझौते का पंजाब में भरपूर स्वागत होगा। दिल्ली अकाली दल को तो इतनी प्रसन्नता हुई कि उसके नेता समझौते की खबर सुनते ही लड्डू लेने को दौड़ गये। गुरूद्वारों में प्रसाद चढ़ाया गया और कीर्तन भजन होता रहा। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अकाली दल स्वयं भी समझौते के लिये बेचैन था और अब उसे एक अभूतपूर्व मानसिक शान्ति की अनुभूति होगी।

समझौते से पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रश्न भी हल हो गया है। वहां अब सहज ही चुनाव की घोषणा भी की जा सकेगी। पंजाब का वातावरण भी ऐसा बन जायेगा कि वहां स्थाई सरकार का गठन संभव होगा। प्रतिपक्षी संगठन पहले तो उग्रवादियों का समर्थन कर समस्या को उलझाते रहे और बाद में तटस्थ की भांति अलग बैठ गये। यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि पंजाब समस्या को सुलझाने में प्रतिपक्षी दलों का कोई योग नहीं रहा और पूरा श्रेय केवल प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का ही है। प्रतिपक्षी संगठनों को चुनाव परिणामों के बाद अपनी यह भूल स्वीकार करना पड़ेगी।

समझौते में पंजाब और हरियाणा की सीमा निर्धारण का मुद्दा

शामिल होने की वजह से अन्य राज्यों के मामलों में भी यही सवाल उठ सकता था किन्तु श्री गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि न तो बड़े राज्यों का विभाजन होगा और न ही किसी राज्य की सीमा के पुर्ननिर्धारण का प्रश्न ही उठाया जायेगा। इससे यह प्रायः निश्चित हो गया है कि प्रधानमंत्री या केन्द्र सरकार को अब फिजूल की समस्याओं में नहीं उलझना पड़ेगा तथा राष्ट्र के विकास पर पूरी शक्ति केन्द्रित की जा सकेगी।

समझौते से एक मुद्दा जरूर ऐसा उभरा है जिस पर सोचने की जरूरत शेष बनी रहेगी। पंजाब विशुद्ध रूप से पंजाबियों तथा पंजाबी भाषियों का प्रांत बन जायेगा। अखिल भारतीय गुरूद्वारा कानून बनाने का प्रावधान भी ऐसा है जो अन्य धर्मावलम्बियों में अपने पूजा स्थलों के लिये अलग कानून बनाने की इच्छा पैदा कर सकता है।

अकाली दल की ओर से समझौता वार्ता में मुख्यतया संत लोंगोवाल और उनके दो सहयोगी सुरजीत सिंह बरनाला एवं बलवंत सिंह ने ही भाग लिया है। यह आशा की जाती है कि पंजाब के अन्य प्रमुख अकाली नेताओं एवं संगठनों को भी संत लोंगोवाल समझौते से सहमत कर सकेंगे। संयुक्त अकाली दल, अखिल भारतीय स्टूडेन्ट फेडरेशन और प्रमुख ग्रन्थियों को संतुष्ट करने का पूरा दायित्व संत लोंगोवाल को ही वहन करना पड़ेगा।

समझौते का आतंकवादियों पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा। अपनी उग्रवादी कार्यवाईयों को चलाते रहने का वे साहस नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें भी नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिये तैयार होना पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अलग-थलग रह जायेंगे और स्वयं अकाली संगठन उन्हें नियन्त्रित करेगा।

पंजाब में आतंकवादियों को भी अपना रास्ता बदल देना चाहिये। उनके सामने यह बात साफ हो चुकी है कि श्री गांधी पंजाब में पूर्ण शांति

और व्यवस्था चाहते हैं ताकि पंजाब की जनता को भी सुकून मिले और वहां के विकास के रास्ते भी साफ हों। पिछले चार वर्षों की उलझनों ने यहां के विकास में ठहराव ला दिया था। समझौते के बाद उसकी रफ्तार में फिर से तेजी आना चाहिये।

पंजाब की समस्या पिछले चार वर्षों से पूरे देश का सिरदर्द रही है। इसे हल कर राष्ट्र संरचना का नया स्वच्छ वातावरण निर्मित करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को है। इसके लिये भावी पीढ़ियां उनका कृतज्ञता की भावना के साथ ही स्मरण करेंगी।

देशबन्धु
28 जुलाई 1985

# मध्यप्रदेश को गर्व है कि पंजाब का समाधान मिला

□ मायाराम सुरजन

किसी को भी कल्पना नहीं थी कि पंजाब समस्या का समाधान इतने निकट आ गया है। जब 22 जुलाई के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के रात्रि-कालीन समाचार प्रसारण में यह कहा गया कि कल (23 जुलाई को) अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंदसिंह लोंगोवाल प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से मिल रहे हैं तो सहसा विश्वास नहीं हुआ कि यह करिश्मा कैसे संभव हो रहा है। यह ठीक है कि पिछले कुछ दिनों से संत लोंगोवाल के रुख में जो संतुलन आया था वह इस बात का संकेत करता था कि संतजी अपने इस धर्मयुद्ध मोर्चे को अनन्तकाल तक नहीं चलाना चाहते। पंजाब की बिगड़ती हुयी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने से उनका चिन्तित होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर उन्होंने संगरूर की

एक सभा में यह भी स्पष्ट किया था कि वे पंजाब के बाहर अन्य राज्यों में बसे सिख समुदाय के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हिन्दू-सिख भाईचारे तथा संविधान के अंतर्गत पंजाब की समस्या का हल खोजने की इनकी घोषणाओं से जरूर ही यह आशा बंधने लगी थी कि देर सवेर स्थिति पर काबू पा लिया जायेगा। किन्तु ऐसे कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं हुये कि समस्या हल के इतने करीब पहुंच गयी है।

दरअसल न तो कभी संत लोंगोवाल या अकाली दल के ही किसी संत से यह खबर लगी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संतजी को वार्ता के लिये आमंत्रित किया है और न शासन ने ही यह संकेत दिये कि इस दिशा में कुछ अगुवायी हो रही है। संत लोंगोवाल और उनके सहयोगी बराबर इस बात पर जोर देते रहे कि जब तक उनकी सात सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक केन्द्र से वार्ता असंभव है। उधर सरकार भी यह कहती रही कि वह जितना कुछ कर चुकी है उससे अधिक झुकने के लिये तैयार नहीं है। समझौते के आकांक्षी तथा बुद्धिजीवी इलाकों में यह विचार जरूर चलता रहा कि सरकार ने अकाली दल की चार मांगे तो स्वीकार कर ही ली हैं। अब तीन ही तो बची हैं जिन्हें मिल बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। सरकार की तरफ से भी उसकी ओर अधिक न झुकने की घोषणाओं के बावजूद नरमी के संकेत बराबर मिलते रहे। आतंकवादी कानून को पुर्नर्जीवित नहीं किया गया। साथ ही राजीव गांधी ने तो संत लोंगोवाल के नरम पर स्पष्ट रुख पर बधाई तक दे दी।

जैसा कि खबरों से मालूम होता है पंजाब के राज्यपाल श्री अर्जुनसिंह तथा अकाली नेताओं के बीच पिछले महीने में 14 बार वार्तायें हुई। इसमें सात बार तो वे संतजी से ही मिले चार बार प्रकाशसिंह बादल से और तीन बार गुरचरणसिंह तोहड़ा से। ताज्जुब इस बात का है कि इतनी बैठकें हो जायें और कानों कान खबर तक न उड़े। जब कभी यह खबर बाबा जोगिन्दर सिंह वाले संयुक्त अकाली दल या अन्य अविश्वसनीय क्षेत्रों से

फैलायी भी गयी कि संतजी और सरकार के बीच गुपचुप समझौता वार्ता हो रही है तो दोनों ही और से इसका खंडन किया जाता रहा। परिस्थितियों को देखते हुये सामान्यतः इस खंडन को स्वीकार भी कर लिया गया।

सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वे मुलाकातें कब हुयीं, कहां हुयीं इसका कोई ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि राज्यपाल श्री अर्जुनसिंह लगभग रोजाना ही रात्रि में दिल्ली की ओर आते और पौ फटने के पहले ही चंडीगढ़ वापिस पहुंच जाते। सप्ताह में एक दो बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी मुलाकात होने के समाचार भी प्रकाशित होते रहते। दूसरी ओर संत हरचंदसिंह लोंगोवाल भी लगातार जनसंपर्क दौरे पर रहकर अपने पक्ष में वातावरण मजबूत करते रहे। रोजाना ही अलग-अलग जगहों से अनेक वक्तव्य प्रसारित होते रहे। ऐसी स्थिति में अब यह अनुमान लगाना सहज है कि संतजी और सिंहजी (अर्जुनसिंह) अपनी दिन भर की व्यस्ततायें तो उजागर करते रहे किन्तु रात्रि के दौरों में उनकी मुलाकातें होती रहीं।

यद्यपि सभी क्षेत्रों में इस समझौते का स्वागत किया गया है। पर बाबा जोगिन्दरसिंह के अकाली दल ने समझौते को साफ-साफ नकार ही दिया है। तथापि लोंगोवाल पक्ष के अकाली दल के कुछ नेताओं के मतभेद भी साफ तौर पर सामने आ गये हैं। अकाली दल की बड़ी बैठक के पूर्व संत लोंगोवाल, सुरजीतसिंह बरनाला, प्रकाशसिंह बादल, गुरचरणसिंह तोहड़ा तथा बलवंतसिंह की एक अलग बैठक में इन मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न भी किया गया किन्तु बड़ी बैठक में शामिल होते समय श्री बादल ने प्रेस को बताया कि समझौते के हर मुद्दे पर मतभेद है। श्री तोहड़ा ने भी इसी तरह का विचार प्रकट किया। फिर भी बड़ी बैठक में समझौते का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बावजूद सब ठीक हो गया है यह सोचना सही नहीं होगा।

संत हरचंदसिंह लोंगोवाल के लिये गुरचरणसिंह तोहड़ा हमेशा संदिग्ध व्यक्ति रहे हैं। पिछले पांच छः वर्षों से दोनों के बीच केवल चुनाव समझौता ही कारगर रहा है। दोनों अपने-अपने दलों या समितियों के प्रधान बने रहे- यही समझौते का मुद्दा होता था। सच तो यह है कि श्री तोहड़ा आतंकवादियों के अधिक निकट रहे हैं। जब जत्थेदार कृपालसिंह ने संत जनरैलसिंह भिंडरावाले को अकाल तख्त की चाबी नहीं दी थी तो श्री तोहड़ा ने तीन बार यह आदेश दिया कि स्व. भिंडरावाले को अकाल तख्त में बसने दिया जाये। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ही स्वर्णमंदिर तथा अकाल तख्त के ग्रन्थियों को नियुक्त करती है। अतः जत्थेदार कृपालसिंह को मजबूरन अकाल तख्त के दरवाजे भिंडरावाले के लिये खोल देना पड़े। संत लोंगोवाल तथा श्री तोहड़ा के बीच विचारों की खाई बराबर बनी रही जो कि चुनाव के समय वे एक दूसरे के सहायक हो जाया करते थे।

जहां तक प्रकाशसिंह बादल का प्रश्न है वे भी जेल से रिहा होने के बाद संत लोंगोवाल के उतने करीब नहीं रहे थे। बाबा जोगिन्दर सिंह द्वारा संयुक्त अकाली दल की कमान सम्हालने के बाद जब बादल के निकटतम सहयोगी आत्मासिंह तथा रघुवीरसिंह चीमा संयुक्त अकाली दल में शामिल हो गये तो संत हरचंदसिंह लोंगोवाल की नजर में बादल की साख भी गिर गयी। उन्होंने यह महसूस किया कि बादल दो नावों पर एक साथ सवारी करना चाहते हैं। जब जहां पलड़ा भारी होगा खिसक जायेंगे। इसीलिये दोनों के बीच अविश्वास की दरार पैदा हो गयी।

इन गांठों के बावजूद तीनों एक साथ चलने का दिखावा करते रहे। इधर संत लोंगोवाल ने आतंकवाद का स्पष्ट विरोध तथा हिन्दू सिख एकता का नारा लेकर सघन जनसंपर्क जारी रखा। पंजाब के बाहर भी वे यदाकदा सिख समुदाय के बीच उपस्थित होते रहे। इससे न केवल उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुयी वरन उनके विचारों को भी अधिकारिक जन समर्थन प्राप्त हुआ। शायद बादल तथा तोहड़ा के उनके साथ बने रहने का यही रहस्य है।

जिस प्रकार लोंगोवाल-गांधी वार्ता की घोषणा से लोगों को आश्चर्य हुआ इसी प्रकार इसके त्वरित समझौते से भी। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्यपाल अर्जुनसिंह जी ने अपने माध्यमों के मार्फत तथा सीधी मुलाकातों में समझौते के लिये काफी मजबूत जमीन तैयार कर ली थी। उनका सबसे बड़ा कमाल यह था कि इन वार्ताओं के दौरान उन्होंने पंजाब के सभी धाकड़ नेताओं को एक तरफ बैठा दिया। न तो उन्होंने सरदार बूटासिंह को विश्वास में लिया और न दरबारासिंह को। राष्ट्रपति जैलसिंह से भी वे दूर ही रहे। गरज यह कि उन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा न तो किसी को विश्वास में लिया और न किसी अन्य से कोई सलाह ली। वे अपने आत्म विश्वास तथा स्वविवेक पर ही अधिक निर्भर रहे।

यह भी संभव है कि उन्होंने श्री लोंगोवाल के अन्य सहयोगियों जैसे श्री बादल तथा तोहड़ा के साथ शायद ही कोई संयुक्त बैठक ली हो। इन तीनों से वे अलग-अलग ही वार्ता करते रहे तथा बादल व तोहड़ा के विचारों से अवगत हो जाने के बाद उन्होंने सिर्फ संतजी से ही बातचीत करना उचित समझा। शायद इसीलिये प्रकाशसिंह बादल को यह कहना पड़ा कि यदि झूठ ही बोलना था तो उसके लिये बहुत सारी जगह पड़ी थी। कम से कम केशगढ़ साहब में तो यह नहीं किया जाना चाहिये था। साफ है कि संत लोंगोवाल ने भी वार्ता के दौरान अपने दोनों इन साथियों को वार्ता की प्रगति से अवगत नहीं कराया। अर्जुनसिंह जी की यह मौन कूटनीति ही गांधी-लोंगोवाल समझौते में परिणित हुयी। यदि बैठक संयुक्त होती तो शायद इतनी जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता था।

इस समझौते को अंतिम परिणति मान लेना उचित नहीं होगा। यह असंभव नहीं है कि श्री बादल एवं श्री तोहड़ा बाबा जोगिन्दरसिंह के संयुक्त अकाली दल में ही शामिल हो जायें। यदि अपने मतभेदों के बावजूद वे ऐसा नहीं करें तो सिर्फ संत लोंगोवाल का प्रबल जनसमर्थन ही इसका कारण हो सकता है। बाबा जोगिन्दरसिंह तथा अखिल भारतीय सिख छात्रसंघ का

अगला कदम क्या होगा यह अभी घोषित नहीं किया गया है। यदि यह समझौता फलीभूत हो जाता है तो निश्चय ही उनका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जायेगा और वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में वे समझौता लागू होने में तरह-तरह की बाधायें डाल सकते हैं। आतंकवाद को पुर्नर्जीवित करने के प्रयत्न भी किये जा सकते हैं। अभी सिख फोरम के जगजीत सिंह अरोरा ने भी समझौते पर अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। वे एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। हम जानते हैं कि सरकार इन खतरों के प्रति पूरी तरह जागरूक है।

श्री अर्जुनसिंह को जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन ही पंजाब का गर्वनर नियुक्त किया गया, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि पंजाब की समस्या का राजनैतिक स्तर पर हल खोजने के लिये उन्हें वहां भेजा जा रहा है। वहां न तो आई.ए.एस. अधिकारी सफल हुये और न फौजी गर्वनर सतारावाला। अब कोई कूटनीतिज्ञ ही गुत्थी को सुलझा सकता है। श्री अर्जुनसिंह के सामने ये कोई छोटी चुनौती नहीं थी, किन्तु अपनी सूझबूझ से उन्होंने अभूतपूर्व सफलता पायी है। उन्होंने राज्यपाल पद की शपथ पंजाबी में ली। आम सभाओं या कार्यक्रमों में भी पंजाबी भाषा का खूब प्रयोग किया। नागरिक जीवन के अलग-अलग तबको से मिलकर उन्होंने अपने प्रति एक विश्वास पैदा किया। लोग उन्हें एक ईमानदार प्रशासक के रूप में स्वीकार करने लगे। मध्यप्रदेश को अर्जुनसिंह जी पर गर्व है। हमारी शुभकामनाएं और बधाई उसमें शामिल हैं।

# छायाचित्र : संदर्भ समझौता

अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर

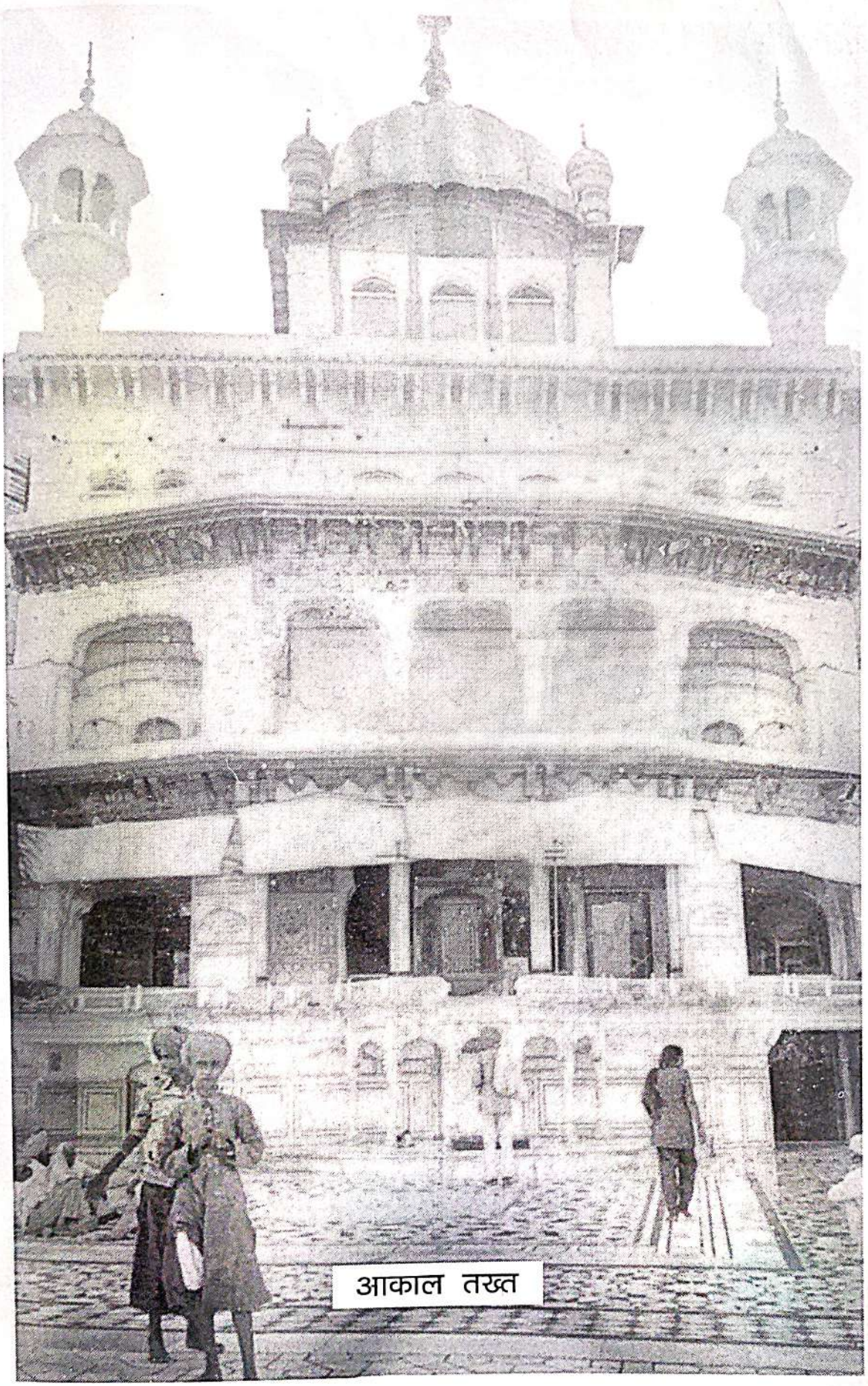

आकाल तख्त

बर्फ की सिल्लियों पर रखा भिंडरावाले का शव

हुगली में श्रीमती इंदिरा गाँधी की हत्या का समाचार सुनते राजीव गाँधी

पंजाब में एक उद्घाटन समारोह में राजीव गाँधी

छोटे-छोटे बच्चों के बीच राजीव गाँधी

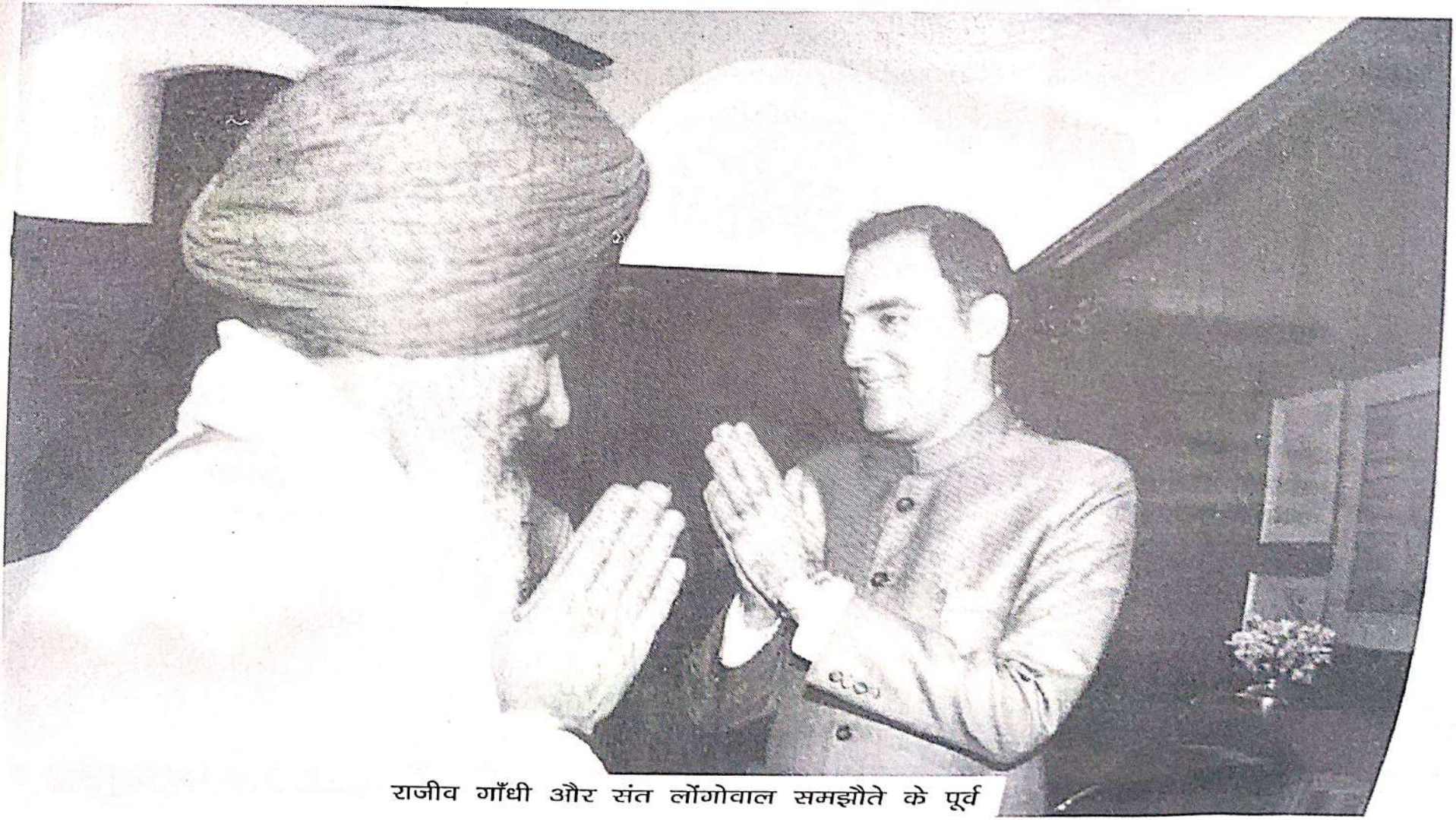

राजीव गाँधी और संत लोंगोवाल समझौते के पूर्व

समझौते पर चर्चा करते हुए राजीव गाँधी सरदार बलवंत सिंह,
संत लोंगोवाल, सुरजीत सिंह बरनाला एवं अर्जुन सिंह

समझौते पर हस्ताक्षर करते राजीव गाँधी साथ में वी. पी. सिंह,
सरदार बलवंत सिंह, संत लोंगोवाल, बरनाला, अर्जुन सिंह एवं एस. बी. चव्हाण

समझौते की प्रति संत लोंगोवाल को सौंपते हुए राजीव गाँधी

समझौते के बाद एक दूसरे का अभिवादन करते हुए

समझौते के बाद चुनाव : मतदान केन्द्र पर मतदाता

ललित श्रीवास्तव

21जुलाई 1933 को जन्मे ललित श्रीवास्तव मूल रूप से शिक्षक, पत्रकार और साहित्यकार हैं। एम.ए., एम.एड. तक उच्च शिक्षा प्राप्त ललित श्रीवास्तव जबलपुर की एक शिक्षण संस्था में प्राचार्य रहे एवं इसी बीच वे हिन्दी टेलीप्रिन्टर न्यूज़ सर्विस "समाचार भारती" के जबलपुर ब्यूरो प्रमुख बने, तभी वे जबलपुर पत्रकार संघ के मंत्री भी निर्वाचित हुए।

1966 से जबलपुर से प्रकाशित "कृति परिचय" हिन्दी मासिक पत्रिका के वे संस्थापक संपादक हैं यह पत्रिका मध्यप्रदेश की एकमात्र राजनीतिक – साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिका है जो कि 1990 से भोपाल से प्रकाशित हो रही है।

शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता जगत् में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के बाद उन्होंने 1973 में राजनीति में प्रवेश किया एवं जबलपुर नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। वे माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के सदस्य और कार्य समिति के निर्वाचित सदस्य बनें तथा दमोह की लोकप्रिय "चित्रगुप्त शिक्षण संस्था" के निर्वाचित अध्यक्ष भी हैं।

आपने शिक्षकों, जन समस्याओं और कांग्रेस द्वारा चलाये गये सभी आन्दोलनों में अनेक बार जेल यात्रा की। काँग्रेस के सिद्धांतों, आदर्शों में उनके समर्पण को देखते हुए 1980 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने उन्हें मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी का महामंत्री मनोनीत किया, आपने महामंत्री के पद पर लगभग 12 वर्षों तक सक्रिय भूमिका निभाई।

बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न ललित श्रीवास्तव की मौलिक कविताओं का एक संग्रह "आभास" प्रकाशित हुआ है। आपकी तीन अन्य पाठ्य-पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। वे हैं- प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र, सुगम नागरिक ज्ञान भाग-एक और भाग-दो। 'शून्य से शिखर' तक की यात्रा करने वाले ललित श्रीवास्तव के संघर्ष एवं समर्पण की भावना का समुचित मूल्यांकन कर प्रदेश की अग्रणी संस्था ''जनपरिषद'' ने आपको 'प्रदेश श्री' की उपाधि से अलंकृत किया।

उनकी सक्रिय संगठनात्मक सेवाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने उन्हें "मध्यप्रदेश लेदर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन" का अध्यक्ष मनोनीत किया और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। 1995 में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव गाँधी शिक्षा मिशन मध्यप्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य भी मनोनीत किया गया। आज भी वे काँग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और "कृति परिचय" हिन्दी मासिक पत्रिका के माध्यम से देश, संस्था और नेतृत्व के प्रति समर्पित हैं।

निवास ई-114/3, शिवाजी नगर,
भोपाल, मध्यप्रदेश
फोन नं 552255, 762626